

षष्ठसु मललल, खंड 6, अंक 42, सोमवलर, 1 अगस्त, 1977/10 श्रलवल, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. VI, No. 42, Monday, August-1, 1977/Sravana 10, 1899 (Saka)

लोक-सभल वलद-वलवलद
कल
संक्षलप्त अनूदलत संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दूसरल सत्र
Second Session]



[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभल सचलवलल
नई दलल्लल

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अमूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42, सोमवार, 1 अगस्त, 1977/10 श्रावण, 1899 (शक)
No. 42, Monday, 1 August, 1977/Sravana 10, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 705 और 707 से 710	*Starred questions Nos. 705 and 707 to 710	1-13
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 28	Short Notice Question No. 28	13-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 706 और 712 से 724	Starred questions Nos. 706 and 712 to 724	17-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 5490 से 5504, 5506 से 5545, 5547 से 5585, 5587 से 5685 और 5687 से 5689	Unstarred Questions Nos. 5490 to 5504, 5506 to 5545, 5547 to 5585, 5587 to 5685 and 5687 to 5689	27-143
दिनांक 13-6-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to USQ. No. 6 dated 13-6-1977	143
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	144-146
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	146
मंत्रियों के सम्बलों और मांगों से संबंधित (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill—introduced	147
लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (अर्जन) और प्रकोर्ण उपबन्ध विधेयक—पुरःस्थापित	Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provisions Bill—Introduced	147-148
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) पूर्वी रेलवे पर मनिहारी घाट और सकरी गली घाट के बीच अप्रत्याप्त नौका सेवा	(i) Inadequate ferry service between Manihari Ghat and Sakrigali Ghat on the Eastern Railway	148
(दो) देश में नदियों के जलस्तर के बढ़ जाने के कारण फसलों और जन धन को हानि	(ii) Rise in water level of rivers in the country causing damage to crops life and property	148
(तीन) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मकान के नक्शे	(iii) Building Plans of the former Prime Minister house	148

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(चार) इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा संकटग्रस्त लोगों में वितरण के लिए प्राप्त सहायता सामग्री की बिक्री से लगभग 50 लाख रुपये खर्च किये जाने तथा अन्य विर्त्तिय सौदे	(iv) Re: Indian Red Cross Society having spent about Rs. 50 lakhs out of sale proceeds of their relief material and certain other financial transactions	149
(पांच) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगे मजदूरों सहित मजदूरों को 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी की मांग	(v) Demand for payment of 8.33 per cent bonus to workers including those in public sector undertakings	151
लोकपाल विधेयक—	Lokpal Bill—	
दोनों सभाओं के संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion for reference to Joint Committee—Adopted	
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	150
श्री ओ०वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	158
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R. K. Amin	159
श्री अशोक कृष्ण दत्त	Shri Ashoke Krishna Dutt	160
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	161
श्री श्याम सुन्दर दाम	Shri S. S. Das	162
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee.	163
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	164
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R. L. P. Verma	165
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re : Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	170-171
श्री हुक्म देव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	170

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 1 अगस्त, 1977/10, श्रावण, 1899 (शक)
Monday, August 1, 1977 / Sravana 10, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री के० मल्लन्ना: इससे पहले कि आप प्रश्नों को लें, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद।

श्री के० मल्लन्ना: इसका प्रश्न से सम्बन्ध है। मैं अंग्रेजी में प्रश्न पेश करता हूँ। उसका उत्तर हिन्दी में होता है। मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर: मेरे प्रश्न की संख्या 720 है और मुझे पता नहीं कि इस तक पहुँचा जायेगा या नहीं। किन्तु यदि आप प्रश्न का शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दिए गए प्रश्न को देखेंगे तो वे भिन्न-भिन्न हैं। मैंने जो कुछ पूछा है, उसे मुख्य प्रश्न से हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: बेहतर हो यदि आप मुझे मेरे कक्ष में मिलें? मैं इसे ठीक करवा दूंगा।

Shri Ramji Lal Suman : I have to raise a point of order. 20 Questions are supposed to be disposed of during the question hour. But when the Health Minister stands for giving reply only two questions are disposed of. We get reply in respect of written questions, but not of short notice questions. I request that all the questions should be replied to which are before the House, whether they are only two. The list should contain only those questions which are certainly replied to.

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे मेरे कक्ष में मिलिए।

Ajanta and Ellora Paintings

†705. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state:

(a) Whether Ajanta and Ellora cave paintings are getting spoiled now; and

(b) if so, the steps being taken by Government for the preservation of these paintings?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):
(a) & (b) The paintings are not getting spoiled now. The Ajanta paintings are being treated and preserved by the Archaeological Survey of India as per expert advice it has obtained from Indian and UNESCO experts. The paintings at Ellora are also being treated and preserved.

Shri Sukhendra Singh: Mr. Speaker the Ajanta and Ellora cave paintings are of world fame and people from all over the world come to see them. We earn a handsome amount of foreign exchange therefrom. But from time to time we come to know from the newspapers that these paintings are getting spoiled, because of percolation of water from the roofs of these caves. Besides this there are elements who take pictures of these paintings and in this way they try to steal these paintings. Therefore I want to know whether the Government is aware of the fact that these unique paintings which are symbol of our culture are getting spoiled and if so, what action is being taken by Government in this regard?

Dr. Pratap Chandra Chunder: It is fact that some times such reports appear in newspapers. But a Committee under the Chairmanship of Dr. Moti Chand, Director Prince of Wales Museum was set up in July 1971. That Committee consisted some other persons also. Later on some members of that Committee were changed. That Committee has made some suggestions. We are constantly implementing those suggestions. Besides this two experts named Dr. Pawalo Mora and Dr. Mrs. Lora Mora from Unesco came to India and they approved the way of preservation of these paintings. A third expert, Prof. Lowrence Je Majevisky, chairman of the Conservation Centre for Fine arts, New York University also came to India and he has also approved it.

Shri Sukhendra Singh: There are several other important caves in the country like Ajanta and Ellora. Is there any list of those caves with the Government and if not, whether the Government will prepare any such list, so that these fine paintings and caves of world fame may be preserved. Have you set up any Committee in this regard? If not, whether a Advisory Committee would be set which would make suggestion from time to time for their preservation?

Dr. Pratap Chandra Chunder: We will consider this suggestion.

Shri Phirangi Prasad : The Minister has said that these paintings are not getting spoiled. If it is so whether any expenditure has been incurred on their maintenance for the last 3 years?

Dr. Pratap Chandra Chunder : Sir, we have incurred a considerable amount of expenditure on their maintenance and repair. In 1974-75 rupees 90,399 were spent on annual repairing and Rs. 1,10,102 were spent on special repairs of Ajanta caves. Similarly in the year 1975-76 Rs. 83,813 were spent on annual repairs and Rs. 1,19,828 on special repairs. In 1976-77 Rs. 1,02,468 were spent on annual repairs and Rs. 1,55,501 on special repairs. Similarly we incurred expenditure on Ellora also.

श्री जी० एस० रेड्डी: क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि इन गुफाओं की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए जो धनराशि नियत की गई है, क्या वह पर्याप्त नहीं है और क्या वह इन प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिए अधिक धन की व्यवस्था कर रहे हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : वास्तविकता यह है कि इस वर्ष अजंता के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है। वार्षिक मरम्मत के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की है तथा विशेष संरक्षण के लिए 2,63,500 रुपये की। जबकि गत वर्ष ये राशियाँ क्रमशः 1,02,000 रुपये तथा 1,55,000 रुपये थीं।

इसी तरह एलोरा वार्षिक मरम्मत के लिए इस वर्ष 1,50,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। विशेष संरक्षण के लिए लगभग उतना ही है, जितना कि अजंता के लिए। लगभग 23,000 रुपये अधिक होगा।

Shri Dharamveer Vashisht: I want to know from the Education Minister whether any steps have been taken to protect these paintings from being disfigured and their theft?

Dr. Pratap Chandra Chunder : Sir, their theft is not possible because they are carved on the walls. But the number of persons appointed for their preservation is 10. They are Chemical Assistants and Attendants.

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या सरकार ने इन विभिन्न प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए व्यापक जरूरतों का अनुमान लगाया है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

श्री सोनू सिंह पाटिल : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि अजंता गुफा में जो भीति चित्र हैं, उन्हें उनके मूल रूप में नहीं लाया गया है और जो मरम्मत आदि की जाती है वह निम्न स्तर की होती है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मूल स्तर का क्या अर्थ है, इस बारे में कुछ कहना कठिन है क्योंकि हम 20वीं शताब्दी में रह रहे हैं। फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि इन तीन विशेषज्ञों ने, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, वहाँ होने वाली मरम्मत को ठीक बताया है।

जनता फ्लैटों की बिक्री

707. श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यानमें लाई गई है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एलाटियों से प्रारम्भिक मूल्यों से तीन गुना से अधिक मूल्य लेकर जनता फ्लैट बेचे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकारकी क्या राय है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचना दी है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : श्रीमान, क्या यह सही नहीं है कि प्रसाद नगर में जिन लोगों के दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स हैं, उनके कल्याण ऐसोसियेशन द्वारा यह बात समाचारपत्रों के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाई गई है। मुझे पूरा पता नहीं है कि यह बात सरकार तक पहुँची है अथवा नहीं क्योंकि उस समय मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसलिए हो सकता है कि उनके विभाग ने सभी फाइलें उनकी मेज पर रख दी हों। दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन विशेष फ्लैटों का मूल्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 10,000 रुपये आंका था। उन्होंने इन फ्लैटों को निम्न आय के वर्ग के लोगों को 28,000, 26,000 तथा 25,000 रुपये में बेच दिया। साथ ही इन फ्लैटों का प्लास्टर गिर रहा है और वे काफी समय से खाली पड़े हुए हैं। क्या यह सही नहीं है और सरकार इस गलती को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव कर रही है।

श्री सिकन्दर बख्त : इन सब बातों से मुझे पता नहीं चलता कि उनका प्रश्न क्या है ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : प्रश्न यह है कि क्या उन फ्लैटों का वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त : अधिक मूल्य नहीं लिया गया है। माननीय सदस्या को सारी बातों का पता नहीं है। शुरू में जब इस योजना के बारे में सोचा गया था तो योजना का नक्शा तैयार करते समय यह निर्णय किया गया था कि ये जनता फ्लैट होंगे। किन्तु जब इस योजना को विज्ञापित किया गया था तो इन्हें निम्न आय वर्ग के रूप में विज्ञापित किया गया था न कि जनता वर्ग के रूप में। फ्लैट की जो मूल लागत तय की गई थी, सरकार उसी पर अडिग है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

शायद इस बात से भ्रांति उत्पन्न हुई होगी कि 1971 के आरम्भ में मादीपुर में जनता फ्लैट की लागत 8000 रुपये थी, किन्तु इन फ्लैटों का मूल्य धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। माननीय सदस्या का यह कहना बिल्कुल सही है कि निचली मंजिल, पहली मंजिल तथा दूसरी मंजिल के फ्लैटों का मूल्य क्रमशः 28,000, 26,000 तथा 25,000 रुपये हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या यह सही नहीं है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भूमि की प्रीमियम लगाकर फ्लैट का मूल्य 10,000 तय किया ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह सही नहीं है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : चूंकि मुनीर्का आदि जैसे क्षेत्रों में जिन लोगों ने जनता तथा निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैट खरीदे हैं, उन लोगों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन फ्लैटों का अधिक मूल्य लिया गया है। क्या मंत्री महोदय फ्लैटों के आवंटन में हो रही अनियमितता तथा कदाचार तथा अधिक मूल्य लेने आदि मामलों का जांच करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मेरा विचार है कि इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है...

एक माननीय सदस्य : वह हंस क्यों रहे हैं ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इसमें हंसी का क्या बात है। मैंने पूछा है कि इसकी जांच क्यों नहीं की जाये। यह उन लोगों के लिए हंसी नहीं है जो कि अपने खून पसीने का कमाई इसमें लगाते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : दिल्ली विकास प्राधिकरण की मूल्य निर्धारण की नीति पर पुनर्विचार हो रहा है। अतः केवल उसी के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्या वास्तव में फ्लैटों का अधिक मूल्य लिया गया है। इस समय हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

Shri Sukhdev Prasad Verma: The Minister has just now stated that there was no over-charging. I want to know from him as to what was the cost of those flats at the time of their construction and at the time of their allotment what price was charged. What was the basis of increasing their price?

Shri Sikandar Bakht: When the scheme was conceived this very cost was fixed at that time.

डा० सुब्रमण्यम् स्वामी : अन्य सदस्यों के साथ-साथ मुझे भी इस बात की चिन्ता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जिस ढंग से आवास योजना को चला रहा है उसमें कुछ गलती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इसका एक कारण यह है कि भूतपूर्व चेयरमैन, श्री जगमोहन का संजय गांधी के साथ सम्बन्ध था। क्या वह यह आश्वासन देंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे व्यक्ति को किसी भी दशा में नहीं बिठाया जायेगा क्योंकि समाचारपत्रों में कुछ इस तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : श्रीमान, क्या इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : श्रीमान, जब कभी कोई महिला सदस्य कोई प्रश्न पूछती है तो वह हंस देते हैं। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो क्या वह हंसते नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनको हम में से कइयों से अधिक संसदीय अनुभव है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनता फ्लैटों के बारे में इस सरकार ने सोचा है या भूतपूर्व सरकार ने सोचा था। क्या श्री जगमोहन को अगले तथा पिछले दरवाजे की बजाय बीच के दरवाजे से लाया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा सुब्रमण्यम् स्वामी : क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह हमें इतना आश्वासन क्यों नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ क्या यह सही है कि जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है जनता फ्लैटों में दराड़े पड़नी शुरू हो गई हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि 1971 में प्रति वर्ग फुट निर्माण लागत क्या थी और आज क्या है। क्या लागत में वृद्धि हुई है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : इस समय मेरे पास ये ब्योरे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको सूचना चाहिए?

श्री सिकन्दर बख्त : हाँ

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना की जरूरत है।

Shri Shiv Narain: Now the Janata Party is in power. Their responsibilities have increased now and therefore the position regarding Mr. Jagmohan should be made clear.

श्री सिकन्दर बख्त : दुर्भाग्य से जनता सरकार तथ्य ढंग से काम नहीं करती। दिल्ली विकास प्राधिकरण की जांच चल रही है। तथ्यों का पता लगाने वाली समिति ने 31 जुलाई तक अपना प्रतिवेदन देना था। अर्थात् तथ्यों का पता लगाने वाली समिति के लिए अपना प्रतिवेदन पेश करने की कल अंतिम तिथि थी। वास्तविकता यह है कि उनका पुनर्वास कर दिया गया है और श्री जगमोहन अभी भी वहीं है, जहां वह थे। जब तक उनके विरुद्ध मामले सिद्ध नहीं हो जाते तब तक सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। उनके विरुद्ध कोई प्रमाण सिद्ध होना चाहिए। तथ्यों का पता लगाने वाली समिति दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी मामलों की जांच कर रही हैं और रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

बीजों का प्रमाणीकरण तथा उत्पादन

708. **श्री बसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजों के उत्पादन और प्रमाणीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के कारण वर्ष 1976-77 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण के कार्यक्रम में काफी कमी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके फलस्वरूप बीज की किस्म के स्तर में गिरावट आई है और प्रमाणित बीजों के उत्पादन में कमी हुई है और साथ ही राष्ट्रीय बीज निगम की आय में भी बहुत कमी हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ। पंजाब सरकार द्वारा अपने राज्य में एक बीज प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने के फलस्वरूप वर्ष 1976-77 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम के बीज प्रमाणीकरण कार्य में 5159 हेक्टर तक की कमी आई।

(ख) इसके फलस्वरूप, प्रमाणित बीजों की कोटि के स्तर में कमी होने का न तो कोई मामला सूचना में आया है और न इस कारण से प्रमाणित बीजों के कुल उत्पादन में कोई कमी आई है। वर्ष

1976-77 के दौरान पंजाब राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी की आय 2,86,393 रुपये थी। तदनुसार प्रमाणीकरण के कार्य में राष्ट्रीय बीज निगम की आय में इतनी ही कमी आई।

(ग) राज्य स्तर की एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण एवं बीजों का उत्पादन धीरे-धीरे अपने हाथ में लेने के कारण आय में हुई कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम अपने उत्पादन कार्यक्रम को व्यापक बनाकर अपने विपणन सम्बन्धी ढांचे को मजबूत बना रहा है।

श्री बसंत साठे: श्रीमान, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति दोनों ने ही अपने प्रतिवेदनों में बताया है कि देश में बीज का उत्पादन कम होता जा रहा है। अपने प्रतिवेदन में 1974-75 की प्राक्कलन समिति ने बताया था कि बीजों के उत्पादन में गिरावट आई है। जहां तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है यह देखा गया है कि बीज उत्पादन 1973-74 में 250 लाख हैक्टियर के आधार स्तर से बढ़कर 1978-79 में 400 लाख हैक्टियर हो जाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान कार्यक्रम क्या है और तीनों ही किस्मों अर्थात् प्रजनक बीज आधार बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन लक्ष्य का कितना अनुमान लगाया गया है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उन्होंने समूचे देश में कितना लक्ष्य पूरा कर लिया है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: जहां तक प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है यह मेरे पास अभी नहीं है। किन्तु प्रमाणित बीजों आदि के उत्पादन के सम्बन्ध में मैं आपको यह बता सकता हूं कि अब अपेक्षित क्षेत्रों की जरूरतों के लिए 1.45 लाख टन काफी होगा और 1981 तक हमें 30 लाख क्विंटल की जरूरत होगी। हम तब तक इतना उत्पादन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अतः हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री बसंत साठे: आपकी कौन-कौन सी एजेंसियां हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम तथा बीज विकास एजेंसियां।

श्री बसंत साठे : कल के अखबार में यह बताया गया था कि प्रेस रिलीज के अनुसार गेहूं की अगली बुवाई के लिए गेहूं का लगभग 1,40,000 क्विंटल बीज उपलब्ध होगा। उसमें यह भी कहा गया है कि गेहूं के बीज की मांग 400,000 क्विंटल है। इस तरह 260,000 क्विंटल की कमी पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि गेहूं के उत्पादन में 650,000 टन की गिरावट आएगी। ये वास्तविक तथ्य हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूंगा कि आल इंडिया सीड ग्रोअर्स मर्चेंट्स एंड नर्सरी मैन्स एसोसियेशन तथा आल इंडिया क्रॉप इम्प्रूवमेंट तथा सीड प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन जैसी एजेंसियां भी हैं। यह प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 35 में लिखा हुआ है। इस गैर-सरकारी एजेंसियों को बीजों का उत्पादन करने की अनुमति है। किन्तु उनके बीज निम्न कोटि के होते हैं। दोनों ही समितियों ने यह बताया है। मैं यह कह दूंगा कि किसानों को धोखा दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि बीजों की अच्छी किस्म तथा उनके प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: जहां तक बीज प्रमाणीकरण का सम्बन्ध है पहले यह काम पूरी तरह राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया जाता था। इसके बाद इसमें विविधता आई और राज्य बीज निगम बन गए। कई राज्यों में ये निगम बन चुके हैं तथा कहीं-कहीं बन रहे हैं। किन्तु ऐसा कार्यक्रम है कि प्रायः सभी राज्यों में उनकी बीज प्रमाणीकरण एजेंसियां होंगी। जहां तक बीज की मात्रा का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा कि जितने समाचारों का उन्होंने उल्लेख किया है, वे हमारे विभाग से सरकारी तौर पर नहीं निकाले गए हैं। अगले मौसम के लिए उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी बीज पड़ा हुआ है। गेहूं का बीज राष्ट्रीय बीज निगम के पास कम से कम 2,81,000 क्विंटल है। 1,20,000 क्विंटल डी०बी०सी० के पास है। पंजाब के क्षेत्रों में असामयिक वर्षा के कारण लगभग 40,000 क्विंटल बीज खराब हो गया। वे 90,000 क्विंटल बीज का भंडार

तैयार कर रहे थे। किन्तु अब उनके पास 50,000 क्विंटल बीज है। इसी तरह हरियाणा के पास 50,000 क्विंटल गेहूं का बीज है जिसे वे जरूरतमंद क्षेत्रों को सप्लाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने गैर-सरकारी ऐजेन्सियों का उल्लेख किया है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: कुछ गैर-सरकारी ऐजेन्सियां भी हैं। किन्तु उनके पास प्रमाणित बीज नहीं होता। कुछ व्यक्तिगत लोग उनसे खरीद करते हैं।

श्री बसंत साठे : वह प्रमाणित बीज के रूप में विक्रिता है। आप बीज अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह प्रमाणित बीज के रूप में बाजार में नहीं जाता।

श्री बसंत साठे : मैं जानता हूं यह प्रमाणित बीज के रूप में बाजार में विक्रिता है। इसी तरह से धोखावाजी शुरू हुई है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रमाणित बीज के रूप में नहीं। यह विभिन्न लेबलों को लगाकर बाजार में जात है। बीज अधिनियम में शीर्षक के रूप में एक उपबन्ध है। 'अधिसूचित प्रकारों या किस्मों के बीज का विनियमन तथा बिक्री' धारा 6 में कहा गया है कि:—

“कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित दो बातों के न होने पर किसी अधिसूचित किस्म के बीज का आदान-प्रदान या किसी अन्य तरीके बेचने का काम नहीं कर सकता।

(क) बीज अपनी किस्म में समरूप है ;

(ख) उस बीज में धारा 6 के खण्ड (क) के अन्तर्गत विशिष्टीकृत प्रजनन तथा शुद्धता की न्यूनतम आवश्यकता के समान हो।”

अध्यक्ष महोदय : यदि वे इसे बेचते हैं तो यह कानून का उल्लंघन है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह धारा 7 के अन्तर्गत आता है।

Shri Hukam Dev Narain Yadav: I want to know from the Government whether they are aware of the fact that the seed produced by State Government seed producing farms, particularly by Government farms in Bihar are of sub-standard as compared to the seed produced by an ordinary farmer. Is it also a fact that the private seed producers have connections with these agencies and they purchase seed from them and thereafter those seeds are certified ? For instance in Samastipur of Bihar maize seeds are produced by mechanised farms and then the seal of National Seed Corporation is put on them and in this way they are certified. That seed does not grow up as a result hundreds of acreage of land become fallow.

So such malpractices are going on. I want to know whether Government will enquire into it so that guilty persons may be punished? Will the Government set up a high level Committee to go into all these malpractices ?

Shri Surjeet Singh Barnala: So far as Government agencies are concerned, the farmers purchase seed of special quality from them and that is sowed in the presence of Inspector. After that when the Crop grows up it is inspected twice or thrice. When it is found that it is of different variety it is removed from there so that seed of good quality may grow up. Thus the seed of that field is called certified seed. No other seed is certified.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में सरकार मूंगफली का बीज सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थी। इससे किसानों को बहुत हानि होगी। यदि राज्य सरकार मूंगफली का बीज उपलब्ध नहीं कर सकी तो क्या यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह इसकी व्यवस्था करे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: यह बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। नहीं तो हमने कोई न कोई व्यवस्था कर दी होती।

Shri Dwarika Nath Tiwari: There are two agencies for seed production namely National Seed Corporation and state seed production and certification Agency. Does the National Seed Corporation has any control on these State agencies? What is the Criterion for certification of seeds. What is the method adopted for certification of seeds produced by others? Has the Minister seen that seed? I have seen it and I sow it in the lawn of my bungalow. The seeds of foodgrains and vegetables are of sub-standard and the land becomes fallow.

Shri Surjeet Singh Barnala: I have already submitted that the seeds produced by others are not certified. If others want to produce certified seeds, they have to apply and in the application the applicants clearly indicate that in so much acreage of land they want to produce a particular seed. Thereafter due consideration is given to his application and fee is charged from him. Then the Inspector inspects his cultivation. Later on when the seed is ready it is get certified.

श्री डी० एन० तिवारी: मैं जानना चाहता था कि राष्ट्रीय बीज निगम का राज्यों की एजेन्सियों पर क्या नियंत्रण है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : राष्ट्रीय बीज निगम का इन एजेन्सियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह केवल उनका मार्ग दर्शन कर सकता है और जरूरत के समय उनकी सहायता कर सकता है; राज्यों की एजेन्सियों स्वतंत्र हैं।

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : 1963-64 में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण करने से किसानों को बीजों में विश्वास उत्पन्न होने लगा और वे इन बीजों को खरीदने लगे। इससे देश में हरित क्रांति आने लगी। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि बाद में जब कुछ गैर-सरकारी एजेन्सियों तथा कुछ राज्यों की एजेन्सियों ने बाजार में आना शुरू किया तो इससे बीजों की कोटि में गिरावट आने लगी और कई किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा। बीजों में अपमिश्रण के कारण फसलों को कई बीमारियां होने लगीं। इस तरह अब किसानों का इन बीजों से विश्वास हटने लगा है। दूसरे अधिक उपज देने वाले बीज केवल बाजरा, मकई तथा ज्वार में पाये जाते हैं। कपास की तरह इनमें भी संकर की आवश्यकता है। यदि फाउन्डेशन सीड तथा मदर सीड में कोई दोष पाया जाता है तो सरकार के लिए संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दोनों पहलुओं पर विचार करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: हम बीज की उपलब्धता पर लगातार ध्यान रखे हुए हैं। हाइब्रिड बीज का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि इस बीज को साल में केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष नया बीज उगाना पड़ता है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है अवश्य ही कुछ गैर-सरकारी एजेन्सियां हैं। किन्तु हम किसानों को सूचित करते हैं कि यदि वे बीज इन एजेन्सियों से खरीदेंगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे हमारी जिम्मेदारी केवल प्रमाणित बीजों की है जिन्हें हम किसानों को सप्लाई कर रहे हैं।

Choudhary Balbir Singh: Is the Hon. Minister aware of the fact that if a particular seed is sowed continuously for two or three years it loses its fertility. If so, whether the Government would make arrangements for the availability of new seed every year or after every two years. The highbreed seeds lose their fertility even after a year.

Shri Surjeet Singh Barnala: I have pointed out that the high breed seeds are produced every year. It cannot be lasted for three years. We have to change the seed of wheat and rice too.

Shri Chandra Shekhar Singh : I Want to know whether the Minister is aware of the fact that the seed which was supplied by National Seed Corporation and state Seed Corporation in Eastern U.P. last year had only 30% germination whereas it was written on the packets that it has 90% germination. What action has been taken in this regard?

National seeds Corporation sells wheat seeds at Rs. 2.70 per kg. whereas the Banaras Hindu University sells them at Rs. 6/- per kg. Will the Hon'ble Minister arrange to have some diffe rent price paid for the wheat produced from Banaras Hindu University?

Shri Surjeet Singh Barnala: I have not received any complaint from U.P. If any such complaint is received, the same will be examined by the Government.

Shri Chandra Shekhar Singh: Will the Hon'ble Minister arrange to remove the variation in the price at two places, as pointed out by me ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं पता लगाऊंगा कि वहां मूल्य इतना अधिक क्यों है।

श्री के० लक्ष्मी : राष्ट्रीय बीज निगम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये गये हैं और यह किसानों को घटिया बीज दे रहा है। इसका प्रमाणित करने का तरीका ठीक नहीं है जिसकी वजह से घटिया किस्म के बीज किसानों को सप्लाई किये जा रहे हैं। इसके बीजों में मिलावट है। यह किसानों को धोखा दे रहा है। क्या माननीय मंत्री इसके कार्याकरण को सुधारेगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि राष्ट्रीय बीज निगम अथवा राज्य की अन्य प्रमाणित करने वाली एजेंसियों के बीज अच्छे नहीं हैं। यह कहना गलत है कि घटिया बीज सप्लाई किये गये हैं। इन्हीं बीजों की वजह से देश में उत्पादन बढ़ा है।

Shri Bharat Bhushan: The Hon'ble Minister has admitted that due to rains, the seed production has declined this year. How does he propose to make good this reduction in production?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ है लेकिन कुछ क्षेत्रों में उत्पादन अधिक भी हुआ है जहां से बीज सप्लाई किये जा सकते हैं।

केरल केरा कृषक संगम से प्राप्त ज्ञापन

709. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल केरा कृषक संगम से दिनांक 22 जुलाई, 1977 का ज्ञापन मिला है जिसे कृषि और सिंचाई मंत्री को संबोधित किया गया है और जिस पर इसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं तथा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और गोआ तथा महाराष्ट्र के बहुत से संसद् सदस्यों द्वारा प्रेषित किया गया है;

(ख) उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मांगे रखी गई हैं; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ।

(ख) ज्ञापन में उठाए गये मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:—

“(1) एक अखिल भारतीय नारियल बोर्ड का तत्काल गठन करने के लिए कदम उठाना;

- (2) मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिए मूल स्तर पर नारियल के उत्पादों पर जो आयात शुल्क लगाया जाता था, उसे फिर से लगाना; और
- (3) नारियल के तेल को खाद्य तेलों के वर्ग से हटाना।”
- (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इन मुद्दाओं पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :—

(1) नारियल बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में मुद्दाव :

भारत सरकार ने नारियल बोर्ड के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों की राय ले ली है और अंतिम निर्णय लेने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

(2) नारियल के उत्पादों पर मूल स्तर पर आयात शुल्क फिर से लगाने के बारे में मुद्दाव :

नारियल के तेल का आयात उदार करने तथा आयात शुल्क फिर से लगाने के संबंध में प्रत्यक्ष खपत के लिए खोपरा/नारियल के तेल को खाद्य तिलहनों/तेलों के आयात की मुक्त लाइसेंसिंग नीति में शामिल किया गया है। नारियल के तेल पर आयात शुल्क की मात्रा उस स्तर पर रखी गई है जिससे उसका विक्रय मूल्य देशी नारियल के तेल के सम मूल्य या उसके आस-पास हो। खोपरा पर जो आयात शुल्क पहले था, वह अब भी जारी है। इसके अतिरिक्त केरल में नारियल के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि देश में सीमित आधार पर नारियल के तेल के आयात की अनुमति दी जाये। सरकार इस स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण कर रही है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात नीति नारियल उत्पादकों के हितों के विरुद्ध न हो।

(3) नारियल के तेल को खाद्य तेलों के वर्ग से हटाना :

नारियल का तेल, साबुन तथा प्रसाधन संबंधी उद्योगों की कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तथापि इससे खाद्य तेल के रूप में इसकी महत्ता कम नहीं होती। औद्योगिक क्षेत्र में नारियल के तेल की मांग मूल्य स्तर के अनुसार लचीली होती है। परन्तु खाद्य तेलों के लिए नारियल के तेल का उपयोग अपरिवर्तित रहा। अतः इसका देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : नारियल बोर्ड के गठन के संबंध में नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों की क्या राय है और सरकार इसके बारे में क्या अन्तिम निर्णय लेने का विचार रखती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सभी संबंधित राज्य नारियल बोर्ड के गठन के पक्ष में हैं। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण में बताया गया है कि खाद्य तेलों के लिये नारियल के तेल का उपयोग अपरिवर्तित है और इसलिए सरकार यह नहीं मानती कि नारियल का तेल खाद्य तेल नहीं है। क्या यह सत्य है कि देश में नारियल के तेल के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग ही खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है और शेष 80 प्रतिशत अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या सरकार इसे खाद्य तेल नहीं मानेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : कर्नाटक का स्थान नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में दूसरे नम्बर पर है। क्या सरकार वहां पर नारियल बोर्ड की स्थापना करेगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह मामला विभिन्न मंत्रालयों के पास भेजा जायेगा। विधि मंत्रालय और फिर वित्त मंत्रालय इस संबंध में विचार करेंगे। उसके बाद मंत्रिमण्डल इस पर निर्णय लेगा। तब विधेयक तैयार किया जायेगा और संसद् के सक्ष लाया जायेगा। इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री के० मलन्ना : नारियल के तेल और इसके उत्पादों का अन्य देशों से आयात करने के कारण स्थानीय लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या यह आयात नहीं रोका जा सकता? देश में नारियल के तेल और इसके उत्पादों का कितना उत्पादन होता है और क्या यह उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आयात बिल्कुल बन्द नहीं किया जा सकता। अतबता उस पर पाबन्दी लगा दी गई है।

देश की कुल आवश्यकता के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं श्रीमन्।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : केरल के अलावा और कौन से राज्य नारियल के तेल का खाद्य तेल के लिए में उपयोग करते हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कर्नाटक की जनसंख्या का एक भाग भी इसे खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करता है।

डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या यह निर्णय करने का कोई निश्चित आधार है कि अमुक तेल खाद्य तेल है अथवा गैर-खाद्य अथवा तदर्थ आधार पर यह निर्णय किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या तदर्थ आधार पर अथवा वैज्ञानिक आधार पर नारियल के तेल को खाद्य तेल माना जाता है?

डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद : केवल नारियल के तेल को ही नहीं अन्य तेलों को भी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जिसे खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खाद्य तेल समझा जाता है।

Correspondence course by Central Hindi Directorate

*710. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state:

(a) the salient features of the correspondence course scheme being run by Central Hindi Directorate and the number of non-Hindi speaking Indians living in the country and the number of Hindi lovers residing abroad who have taken admission under this scheme during the last three years; and

(b) whether Government have also started or proposed to start a scheme to teach Hindi through Indian languages and the details thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):
(a) & (b) A statement is laid on the Table.

STATEMENT

(a) & (b) Under the Scheme of Correspondence Courses of the Central Hindi Directorate for teaching Hindi to non-Hindi speaking Indians and foreigners, the following courses are conducted:—

(A) General Courses:

- (i) Hindi Pravesh (A two-year Elementary Course for beginners).
- (ii) Hindi Parichaya (A two-year advance Course subsequent to Hindi Pravesh).

(b) Special Courses designed for Government Servants :

- (i) Prabodh (One year Elementary Course).
- (ii) Praveen (One year Course subsequent to Prabodh).
- (iii) Pragya (One year advance Course subsequent to Hindi Praveen).

The enrolment to the various Courses during the last three years is as follows:

Year	Indians	Foreigners	Total
1974-75	5,941	245	6,186
1975-76	6,951	325	7,276
1976-77	15,430	411	15,841 (including students Tamil Medium)

Teaching of Hindi through Tamil was started with Hindi Pravesh Course in July 1976 for which the enrolment is 3,723.

The proposal to start the teaching of Hindi through other Indian languages in a phased programme is under consideration.

Shri Nawab Singh Chauhan : From the statement laid on the Table, it is learnt that 15,430 Indians and 411 foreigners took this course during 1976-77. It shows that the course is becoming very popular. I want to know from the Minister whether Government have issued any advertisement in the press giving information about the method applying for the course and the expenditure involved therein?

Dr. Pratap Chandra Chunder : We are still considering the ways as to how it can be made more popular. So far 15,000 people have enrolled themselves, out of which more than 3,700 are from Tamilnadu.

Shri Nawab Singh Chauhan: I wanted information about fee etc. and whether it has been published in the Newspapers as to how application should be submitted ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : Advertisements are given in all paper. The fee is Rs. 20 only.

Shri Nawab Singh Chauhan: Is there any proposal to introduce teaching of Hindi through other Indian languages, as is being done in case of Tamil ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : It is a phased programme. Teaching through Malayalam will be started from July, 1978, then through Telgu from July, 1979, then through Kannad and Bangla from 1980 and then from Oriya from 1981.

श्री बी० अरुणाखलम : जब सरकार भातीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है क्या हिन्दी के माध्यम से भी तमिल पढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : शिक्षा निदेशालय ने स्वयं शिक्षा माला के अन्तर्गत कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं और हमारे पास हिन्दी तमिल स्वयं शिक्षा, मूल्य 3.80 रु०, हिन्दी तेलगु स्वयं शिक्षा मूल्य 1.80 रु० आदि आदि जैसी पुस्तकें हैं। तमिल और तेलगु भाषाओं को हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जा सकता है और स्वयं शिक्षा माला के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों द्वारा ऐसा किया जा रहा है।

Shri Om Parkash Tyagi : I want to know the State-wise break up of the figures furnished by the hon. Minister. In view of the national importance of Hindi is he willing to exempt the people from charging fee, which being done at present and whether the facility of free coaching can be extended.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : फीस बहुत कम है। केवल 20 रुपये है। इस में डाक खर्च भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या फीस माफ की जा सकती है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Urga Sen : In order to ensure development of regional languages and to enable the people of South learn the languages of the North and *vis-a-vis*, will the hon. Minister introduce a two-month refresher course under which Hindi speaking people may go to South and the persons knowing Tamil, Telgu and Kannad may come to the North for learning Hindi and provide some special facilities particularly to Members of Parliament for learning Tamil, Telgu and Kannad ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : That can be done by purchasing a book for Rs. 3.80.

Dr. Sarojini Mahishi : I want to know whether any other Hindi agencies will also be given permission to do the type of work being done by the Central Hindi Directorate ? I want to know the amount given to the Central Hindi Directorate during the last two years, the amount utilised by them and the amount spent on publication of books.

Dr. Pratap Chandra Chunder : The main question pertains to correspondence course. Regarding correspondence course I may say that for 1974-75 out-lay Rs. 8 lakhs ; income—Rs. 1,46,381 and expenditure—Rs. 3,88,918. The other figures are not with me at present.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

फेनफार्मीन औषधि का स्वास्थ्य पर प्रभाव

28. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मधुमेय के रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली एक औषधि फेनफार्मीन जन स्वास्थ्य के लिए एक आसन्न खतरा है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस औषधि के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The Government are aware of a report that had recently appeared in the Press that phenformin, a drug used by

diabetics, was being banned by the Health, Education and Welfare Department of the United States of America because the U.S. Government had found that it constitutes "an imminent hazard to the public Health"

(b) Phenformin is being used in the country for the treatment of diabetes. However, its use as compared to other oral anti-diabetic drugs is not much.

(c) Government are examining the question as to whether the use of Phenformin should be prohibited, in consultation with medical experts in the field.

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने प्रश्न अंग्रेजी में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : यह बात रोज कही जाती है। आप प्रश्न पूछिए।

एक माननीय सदस्य : उत्तर समझे बिना वह प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : लिखित उत्तर अंग्रेजी में भी है। उन्हें हिन्दी में उत्तर देने का अधिकार है। साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था है।

श्री एन० आर० लक्ष्मीनारायणन् : मैं मानता हूँ कि साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था है। परन्तु जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे, तो सभा में काफी शोर था और मैं उनकी बात न सुन सका। साथ-साथ अनुवाद में ठीक से न सुन सका। वह अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं। सदस्य को यह जानने का अधिकार है कि मंत्री ने वास्तव में क्या कहा है। वह जो भाषा बोले हमें सुनाई देनी चाहिए।

Shri Ram Avedesh Singh : Under the rules the Minister can reply either in Hindi or in English.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नियमों के अन्तर्गत मंत्री हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं। यदि साथ-साथ अनुवाद में गड़ती होती है, तो इसका कारण यह है कि साथ-साथ अनुवाद करने वाले दक्ष नहीं हैं। हम अच्छे भाषान्तर प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है कि हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषणों का सही-सही अनुवाद नहीं होता। हम इस स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : प्रश्न यह नहीं है कि अनुवाद सही है अथवा नहीं। मेरा निवेदन तो यह है कि जब तक मुझे यह पता न हो कि मंत्री महोदय ने क्या कहा है, मैं क्या प्रश्न पूछूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह कठिनाई अन्य सदस्यों के साथ भी है। जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता है तो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो अंग्रेजी न समझते हों। उन्हें भी वही कठिनाई होगी।

श्री पी० जी० मालंकर : महोदय, मेरा निवेदन है कि अनुवाद में कोई त्रुटि नहीं है। साथ-साथ अनुवाद कई वर्षों से हो रहा है और वह पूर्णतया संतोषजनक है।

श्री वसंत साठे : मैं अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषायें जानता हूँ। अनुवाद बिल्कुल सही होता है। शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : अनुवाद के सही अथवा गलत होने का प्रश्न नहीं है। मेरी कठिनाई केवल यह है कि शोर के कारण मैं सुन नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य कठिनाई यह है कि जब कोई सदस्य प्रश्न पूछता है तो दूसरे बातें करते रहते हैं। उसे प्रश्न पूछने नहीं दिया जाता। यदि हर सदस्य शांत रहे तो, हर व्यक्ति कार्यवाही को अच्छी तरह सुन सकता है।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि फेनफार्मिन का प्रयोग भारत में मधुमेह के इलाज के लिये किया जाता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस देश में इस दवाई का प्रयोग बहुत ही कम होता है। प्रश्न यह नहीं कि उसका प्रयोग बहुत कम होता है या अधिक होता है, यह इस देश के लोगों के जीवन से संबंधित है।

उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अमरीका में बिना निर्माताओं की बात सुने या यह बताये कि यह लोगों को हानि पहुँचाती है या लाभ पहुँचाती है, इस पर अचानक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है? क्या हम यह बात किसी तरह जान सकते हैं? यह बात भलि भाँति जानते हुए कि यह दवाई घातक हो सकती है, सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव रखती है? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वह अभी विचार कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इतना समय क्यों लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी घातक दवाई के प्रभाव को रोकने की कोई मशीनरी है ताकि इस देश के लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके? कार्यवाही करने में इतनी देर क्यों लगती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस दवाई का प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में कितने लोग इस दवाई का प्रयोग करते हैं।

Shri Raj Narain : Our Government is alert and takes, is taking and will take proper action at proper time. This use of this drug was banned in U.S.A. on 25th July. It is truth that this drug has got different effects in different persons in different climate.

Fenformin should not be consumed by drunkards as it will have adverse effects on them. It should not be taken by those who resort to hunger strike for a long period. It should not be consumed by persons suffering from kidney, liver or heart trouble. Persons who complain of vomiting or nausea should not take this drug. It should not be given to children at all.

This short notice question is based on the press report appearing in 'The Times of India' dated 27-7-1977. This press report carries the date-line 'Washington 26th July, 1977'. This report will reveal that the Secretary of Health, Education and Welfare Department of U.S. Government had declared on 25-7-1977 that they are going to ban fenformin used for the treatment of diabetes, because, U.S. Government have felt danger to public life from this drug. Use of fenformin can cause something in blood which results in breathing trouble.

Fenformin is a drug which is used for treatment of diabetes, orally. The drugs used for treatment of diabetes are of two types viz. drugs which are taken through injections such as Insulin and the drugs which are taken orally such as fenformin.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या आप उसके कुप्रभावों पर विचार करने और उन्हें रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाने का विचार रखते हैं।

Shri Raj Narain : We have not so far received any report about death or development of some serious disease by the use of this drug. As it has been banned in U.S.A. and Norway, we have instructed our experts to go into the matter. We will also ban it on receipt of any complaint.

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह दवाई किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए हानिकारक है और इसका प्रयोग बहुत ही कम लोगों द्वारा किया जाता है। परन्तु मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। (1) इस देश में इस दवाई का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या क्या है? (2) इस देश में इस दवाई के प्रयोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? क्या सरकार के पास इस संबंध में आंकड़े हैं? क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी? परिवार नियोजन

के मामले में माननीय मंत्री ने मृतक के परिवार को 5000 रुपये देने की घोषणा की है। क्या माननीय मंत्री इस दवाई के प्रयोग से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को भी ऐसी राशि देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

Shri Raj Narain : This question relates to use of fenformin and not forced sterilisation. We have got no information about any death due to use of fenformin. As it has been banned in U.S.A. and Norway only one week ago, we have also instructed our experts to go into the matter minutely. On receipt of their report the question of banning it will arise otherwise not.

Prof. P.G. Mavlankar : Whether it is a fact that the number of diabetes patients in our country is increasing every year as result of which the use of such drugs is naturally increasing ? Will the hon. Health Minister give an assurance in this House that ill-effects of not only this drug but also of other allopathic medicines, use of which causes aderse effects on diabetes patients, will be considered and they will be banned ? The hon. Minister has said that it has been banned in U.S.A. and Norway only one week before. Will he also get an inquiry conducted to find out whether the cause for which it has been banned there do exist in this country or not ? I also want to know whether the Health Ministry will consult the President and other experts of the Diabetic Association of India, whose headquarter is, I think, located in Bombay ?

Shri Raj Narain : I will consult anybody who wishes to do so. I am myself a diabetes patient. Previously I use to take Restanan. I stopped taking it on advise of doctors. Now I take fenformini.e. D.I.B.T.D. I am going to stop taking it also and was jailed 58 times. During British period I went to jail four times for a total period of four years. I therefore, suggest that they should start the use of *Karela* juice as these medicines affected our health sometimes. By the use of *Karela* juice my diabetes has been cured. By using indigenous medicines we can get rid of all these ailments.

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशेष औषधि का विज्ञापन कर रहे हैं। (व्यवधान)

Prof. P.G. Mavlankar : Whether it is a fact that the number of diabetes patients is increasing early? If so, what steps being taken to control it? Whether the Hon. Minister is consulting Diabetic Association of India, Bombay in this connection ?

Shri Raj Narain : I do not have such information that diabetic patients are increasing.

श्री बयालार रवि : मंत्री महोदय का कहना है कि मधुमेह के लिए दवाइयां हैं। क्या ये दवाइयां इतनी महंगी हैं कि गरीब लोग उन्हें नहीं खरीद सकते और क्या सरकार उनके मूल्य घटाने पर विचार कर रही है ?

Shri Raj Narain : There should be complete silence in the House otherwise no business can be transacted.

It is correct that the medicines of diabetes are becoming costly day by day. I have already said that in their place we should take Cheap Ayurvedic medicines like Vasant Kusumakar Ras, Chandra Prabhavati etc.

Dr. Karan Singh: There is no cure for diabetes in Allopathy. Moreover, the medicines given in Allopathy for curing diabetes are dangerous for health. I want to know whether any information will be given to the country whether the use of Saccharine is harmful or not ?

Yoga and Ayurved can cure diabetes. But these require vide spread publicity in the country. What steps the hon. Minister is going to take in regard thereto ?

Shri Raj Narain : I am very grateful to the hon. Minister Dr. Karan Singh. This is only one question which covers the entire subject matter. So I would request the Minister of Information and Broadcasting, Shri Adwani to arrange publicity of the medicines I have

mentioned on the radio. Some of the other medicines are Shilajit, Deudaru, Karchi, Saptrangi etc. which I would like to add in the list.

श्री कंबर लाल गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय कुछ दवाओं के नामों के सुझाव दे रहे हैं लेकिन न तो वह डाक्टर हैं और ना ही उनके पास ऐसा लाइसेंस है।

the names of the medicines & drugs which the hon. Minister is suggesting will be published in the newspapers and on the basis of his suggestion if any one takes any of these medicines and he has reaction of this medicines, who will be responsible for that ? My submission is that it should be the right of the doctor to suggest medicine and not the Minister who has no licence.

अध्यक्ष महोदय : विधान या कानून के अनुसार जब तक किसी के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है तो वह किसी दवाई का सुझाव नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय के पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। इसलिये वह किसी दवाई के नाम का सुझाव नहीं दे सकते।

Shri Raj Narain : Sir, There is a saying in our area that a patient becomes doctor also. Therefore when I am a patient, I am a doctor too.

Dr. Karan Singh has asked a very good question. Please listen its reply.

He is correct to say that saccharine is also related to diabetes because the people suffering from this disease do not take sugar they take Saccharine instead. Dr. Karan Singh was Health Minister some 6 months ago. There was a time in America when all of a sudden Saccharine was banned all of a sudden and the entire stock of all the shops was seized. It has been said that Saccharine is injurious to health and that no body should use it. I had discontinued the use of Saccharine five years ago. I, therefore, on the basis of my own experience, would suggest that it would be better not to use Saccharine. Drink Coffee and tea and a bit of sugar if need be.

There are two views regarding saccharine. Ban on the saccharine was lifted after some time in America and it is in use there. Here in our country there is no ban on the use of saccharine Dr. Karan Singh has been Health Minister. I would request him to pass on to me any secret information if he has it. We shall make use of it.

We are cautious about it. It is correct that there is no complete treatment of diabetes. Research work is continuously going on in this regard.

An hon. Member : Adopt yoga.

Shri Raj Narain : We are starting it. But the opposition, the Congress is opposing it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के विस्तार

विषयक समिति

706. डा० बापू कालदास : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का छठी योजना पर विचार करते समय सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के विस्तार हेतु और संसाधनों, इन क्षेत्रों का चयन करने हेतु निर्धारित अवधि पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(ख) चूंकि सूखा का प्रकार बदलता रहता है, इसलिए क्या चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्र शासित प्रत्यायोजित योजनाओं के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की परिभाषा पर पुनर्विचार किया जा रहा है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) सूखा ग्रस्त इलाकों में लघु तथा सीमान्त किसानों की परिभाषा में इसके क्षेत्र का विस्तार करने हेतु हाल ही में संशोधन किया गया है। एक विवरण, जिसमें ब्यौरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लघु तथा सीमान्त किसानों की संशोधित परिभाषा सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये 13 राज्यों में से 7 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा राजस्थान में लागू है। लघु किसानों की संशोधित परिभाषा जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का विस्तार किया गया है, नीचे दी गई है:—

(हैक्टेयर में)

राज्य	सिंचित क्षेत्र	शुष्क क्षेत्र
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1.50	3.00
2. गुजरात		
(क) शुष्क इलाके—कच्छ, बंसकान्था, मेहसाना	1.50	7.00
(ख) अर्ध-शुष्क इलाके—गुजरात के अन्य सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिले	1.50	3.00
3. हरियाणा—सभी सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिले	1.50	7.00
4. जम्मू तथा काश्मीर-यथोपरि-	1.50	3.00
5. कर्नाटक -यथोपरि-	1.50	3.00
6. महाराष्ट्र -यथोपरि-	1.50	3.00
7. राजस्थान		
(क) शुष्क इलाके (बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरु, जोधपुर, जालौर, पाली)	1.50	7.00 (जैसलमेर में 10.0)
(ख) अर्ध-शुष्क इलाके—राजस्थान के अन्य जिले	1.50	3.00

सीमान्त किसानों के प्रयोजन हेतु, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपदान के उद्देश्य के लिए छोटी जोत के रूप में पहचानी गई जोत की अधीन जोत सीमान्त जोत समझी जाएगी।

अन्य सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राज्यों में, छोटे किसानों में वे किसान शामिल हैं जिनके पास केवल दो हैक्टेयर तक शुष्क भूमि अथवा 1 हैक्टेयर श्रेणी 1 की सिंचित भूमि की जोते हैं। 1 हैक्टेयर शुष्क भूमि अथवा ½ हैक्टेयर श्रेणी 1 की सिंचित भूमि वाले किसानों को सीमान्त किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Delayed Arrears in Cooperative Sector

*712. **Shri Iswar Choudhary** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state (a) whether Government have information that increase in the amount of delayed arrears on a large scale in the Cooperative Sector has also become a problem ; and

(b) If so, whether Government have made a study of its causes and formulated an alternate scheme for the rehabilitation of those weaker farmers, who are unable to fulfil the promises of repayment due to continuous drought and scarcity conditions ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) ;(a) Yes, Sir.

(b) The level of overdues in the cooperative sector has been reviewed from time to time by the Government and the Reserve Bank of India. Several studies conducted by the R.B.I. have gone into the causes of overdues and suggested remedies. The main relief recommended and available to those farmers who are unable to repay the instalments due to the cooperatives for reasons beyond their control are : (a) conversion of the short-term agricultural production loan into medium-term loans repayable over 3 to 5 years. (b) conversion of medium-term loans to longer duration, and (c) the re-scheduling of long-term loans. State Governments have been advised to set up Agricultural Credit relief Funds for write-off of short-term production loans given by the cooperatives to the weaker sections, in cases of successive crop failures due to natural calamities. A programme of rehabilitation by way of conversion facilities to those borrowers who did not secure this facility earlier due to administrative failures has also been recommended.

दिल्ली बृहद योजना का उल्लंघन

*713. **श्री किशोर लाल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा दिल्ली बृहद योजना का उल्लंघन करने के बारे में कोई जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने उल्लंघन किये गये किन्-किन स्थानों पर तथा कब-कब किये गये और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त उल्लंघन के लिये जिम्मेवार अधिकारियों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे उल्लंघनों के स्थान, समय तथा उत्तरदायी अधिकारियों का एक विवरण संलग्न है। सामान्यतः उल्लंघनों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकरण का होगा, अन्यथा जब तक कि साबित न हों।

(ग) फिलहाल कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

विवरण			
क्रम संख्या	क्षेत्र/योजना का नाम	समय	सरकारी अभिकरण
1	2	3	4

1. पुनर्वास कालोनियां

(कृषि योग्य हरी पट्टियों में)

- (1) पटपड़ गंज समूह (कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी और कुछ ग्रुप आवास समितियों की जमीन) । 1976-77 दिल्ली विकास प्राधिकरण
- (2) दिल्ली से रोहतक के लिए रेलवे लाइन के उत्तर में सुल्तानपुरी
- (3) महरौली बदरपुर रोड के दक्षिण में खानपुर
- (4) बजीराबाद बांध के उत्तर में गोकुलपुर समूह

2. वाणिज्यिक विकास

- (1) क्षेत्रीय विकास प्लान में मनोरंजन तथा भूमिगत वाहन ठहराने के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र कनाट प्लेस (आंतरिक सर्किल में भूमिगत पणन केन्द्र) 1976-77 नई दिल्ली नगर पालिका
- (2) धार्मिक संस्थानों के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र मन्दिर मार्ग के उत्तर में बिड़ला मन्दिर के समीप होटल तथा धर्मशाला 1977 नई दिल्ली नगर पालिका
- (3) रिहायशी प्रयोजन तथा समीपवर्ती पार्कों और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट सिद्धार्थ एन्क्लेव (सनलाइट कालोनी के समीप) 1976 दिल्ली विकास प्राधिकरण
- (4) जामा मस्जिद के सामने मनोरंजनात्मक प्रयोगार्थ उद्दिष्ट क्षेत्र में 1976 दिल्ली विकास प्राधिकरण
- (5) डिफेन्स कालोनी के पुल के नीचे पणन केन्द्र 1976 दिल्ली विकास प्राधिकरण

3. परिवहन केन्द्र तथा व्यापारिक योजनाएँ

- (1) बजीराबाद बांध रोड के उत्तर में कृषि योग्य हरित क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर तथा व्यापारिक स्कीम 1976 दिल्ली नगर निगम

1	2	3	4
	(ii) समालका गांव (ग्रामीण क्षेत्र) में ट्रांसपोर्ट नगर तथा व्यापारिक स्कीम।	1976	दिल्ली नगर निगम
4.	भू-उपयोग में विशेष "उद्योगों" से "संस्थानिक" प्रयोग में परिवर्तन (आई०आई०टी०)	1976-77	दिल्ली विकास प्राधिकरण
5.	जोन तथा सब-डिवीजन विनियम		
	बृहतयोजना के उपबन्धों के विरुद्ध सब डिवीजन नियमों की अवहेलना करके अधिक मंजिले, अधिक निर्माण आदि के कुछ मामले ध्यान में आये थे। उपरोक्त उल्लंघन/परिवर्तन 1975 और मार्च 1977 के बीच के प्रतीत होते हैं।	1975 से मार्च 1977	दिल्ली विकास प्राधिकरण
6.	मोतिया खान तथा झण्डेवालान क्षेत्र		
	(i) झण्डेवालान क्षेत्र में भू-प्रयोग को "आवास युक्त फैक्ट्रियों" से बदल कर "वाणिज्यिक" (लग-भग 9 एकड़ क्षेत्र) करना।	1976	दिल्ली विकास प्राधिकरण
	(ii) मोतिया खान क्षेत्र भू-उपयोग को आवास युक्त फैक्ट्रियों से बदल कर रिहायशी (18.5 एकड़ क्षेत्र तथा "ट्रकटर्मिनल" से बदल कर "रिहायशी" 7 एकड़) में बदलना।	1976	दिल्ली विकास प्राधिकरण

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रधान उच्च शिक्षा

*714. श्री के० मालन्ना : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रधान उच्च शिक्षा देने के लिये चुनींदा कालेजों और विश्वविद्यालयों को सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों का चयन करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को ग्रामीण वातावरण तथा समाज की विकासात्मक आवश्यकताओं को अधिक अनुकूल बनाने तथा शिक्षा को कार्य/व्यावहारिक/क्षेत्र अनुभव के साथ जोड़ने के आशय से आयोग ने उन्हें पुनर्गठित करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना को आवश्यक बातों में पाठ्यक्रमों के शैक्षिक घटक को विभिन्न क्षेत्रों, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव की जा रही वास्तविक समस्याओं तथा कार्य अनुभव संबंधी परिस्थितियों के अनुकूल प्रयुक्त घटकों के साथ जोड़ना भी शामिल है। इसके लिए बुनियादी विषयों या विषय-ग्रुपों से सम्बन्धित

कुछ प्रासंगिक प्रयुक्त विषयों को शुरू करना तथा परम्परागत पाठ्यक्रमों को इस ढंग से पुनः अनुस्थापित किया जाना अपेक्षित होगा कि छात्र क्षेत्र कार्य, परियोजना कार्य, विस्तार आदि के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं में अपने सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग कर सकें। आयोग उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को खरीदने, कार्यशालाओं तथा प्रयोगशालाओं, मार्गदर्शी प्लान्टों आदि को स्थापित करने और अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिये सहायता देने की व्यवस्था करेगा। प्रथम चरण में प्रयोग का प्रस्ताव विश्व-विद्यालयों तथा विशेषज्ञों के परामर्श से ऐसे 100 कॉलेजों का पता लगाना है जिन में पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने की योजना का परीक्षण किया जा सके।

आदिवासी क्षेत्रों में टैपिओका की खेती की योजना

715. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 जुलाई, 1977 के "टाईम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार मंत्रालय ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में टैपिओका की खेती को बढ़ावा देने के लिए 18 लाख रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या केरल के आदिवासी क्षेत्रों को उक्त योजनाओं में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जी नहीं, अभी यह प्रस्ताव तैयार हो रहा है।

विदेशी एजेंसियों द्वारा पब्लिक स्कूलों को सहायता

* 716. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पब्लिक स्कूलों को कुछ विदेशी एजेंसियों से सहायता मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून में प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश

* 717. श्री भानु कुमार शास्त्री :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित वयस्क नेत्रहीनों के राष्ट्रीय केन्द्र तथा उसके प्रशिक्षण केन्द्र में विगत दो वर्षों से किसी भी प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो प्रवेश बन्द कर देने के क्या कारण हैं ;

(ख) इन दो वर्षों के दौरान जब कि वहां कोई प्रशिक्षणार्थी नहीं थे, उक्त केन्द्र पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस केन्द्र की प्रतीक्षा-सूची में कितने नेत्रहीन व्यक्ति प्रवेश पाने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय नेत्रहीनार्थ केन्द्र में दृष्टिहीन और कमजोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए स्कूल, ब्रेल उपकरणों का निर्माण करने के लिए एक वर्कशाप, वयस्क नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, शेल्डर्ड वर्कशाप, केन्द्रीय ब्रेल प्रेस तथा नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय शामिल हैं। स्टाफ के बहुत से समान सदस्यों, समान सेवाओं इत्यादि के कारण प्रत्येक यूनिट के लिए खर्च के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तो भी सम्पूर्ण केन्द्र पर पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित खर्च हुआ था:—

	लाख रुपये
1975-76	24.17
1976-77	22.74

(ग) प्रवेश के लिए अपने आप आवेदन करने वालों की एक प्रकार की वॉटिंग लिस्ट रखने की कुछ असमान्य सी प्रक्रिया अपना ली गई थी। मार्च, 1977 में, जब केन्द्र में प्रवेश आरम्भ होने वाले थे, 214 व्यक्तियों को, जिन्होंने पहले भी आवेदन किया था और जिनके नाम सूची में थे, फिर से नए आवेदन पत्र भेजने के लिए कहा गया था। उनमें से 89 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे थे। केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए अन्य नए आवेदन पत्रों के साथ उनके मामलों पर भी विचार किया जाएगा और उपलब्ध खाली स्थानों के अनुसार दाखिले दिए जाएंगे।

विवरण

वयस्क नेत्रहीनार्थ प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय नेत्रहीनार्थ केन्द्र का एकमात्र ऐसा एकक है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए दाखिल किया जाता है। इस केन्द्र का काम केवल प्रशिक्षण प्रदान करना है, रोजगार दिलवाना नहीं। प्रशिक्षणार्थियों को भोजन, रहने सहने, वस्त्रों, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती है।

2. जनवरी, 1975 तक बहुत से प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी उस समय तक केन्द्र को छोड़ने से इन्कार कर दिया था, जब तक कि उन्हें अपनी पसन्द के अनुसार उपयुक्त रोजगार नहीं दिया जाता। जब उन्हें काम दिए भी गए, तब भी उनमें से कुछ ने बेकाम स्वीकार करने से इन्कार कर दिया क्योंकि वे उनकी आशाओं के अनुसार नहीं थे।

3. प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद भी रहने वाले व्यक्तियों और प्रशिक्षणार्थियों ने अनेक हड़तालें, गड़बड़ और प्रदर्शन किए, जिनसे केन्द्र के कार्य में व्याधात पड़ा। इसलिए जनवरी 1975 के बाद तब तक नए प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश देना सम्भव नहीं था जब तक कि प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद रहने वाले व्यक्ति केन्द्र छोड़ नहीं देते। इस प्रकार का अन्तिम व्यक्ति सितम्बर, 1976 के मध्य में केन्द्र को छोड़कर चला गया।

4. सरकार ने अब प्रोस्पेक्टस में संशोधन कर दिया है और आशा है कि ऐसे व्यावसायों में नए दाखिले शीघ्र किए जाएंगे, जिनमें रोजगार के अधिक अवसर मिलने की संभावना है। ऐसा एक तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है। उस दल ने यह भी सिफारिश की थी कि इस केन्द्र को दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता दे दी जाए, जो अनुसंधान करे, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे तथा पुस्तकों, सहायक यन्त्रों तथा उपकरणों का निर्माण करे और उनका वितरण करे। आशा है कि यह संस्थान पांचवीं योजना की अवधि के दौरान स्थापित कर दिया जाएगा।

ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आवास के लिए राज्यों की वित्तीय सहायता

*718. श्री पी० के० कोडियन: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की एक लाख मकान योजना की भांति किसी अन्य राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजना का श्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1976-77 के वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय नवम्बर-दिसम्बर, 1975 में, उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता सहित कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत आवास स्कीम योजना आयोग को भेजी थी।

(ख) इस स्कीम की अनुमानित कुल लागत 75.00 करोड़ रुपये थी, पांचवीं योजना अवधि के दौरान इनमें से 42.75 करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ी थी। पांचवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित 42.75 करोड़ रुपयों में से, राज्य सरकार ने उल्लेख किया कि 10.00 करोड़ रुपये की राशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध थी। शेष 32.75 करोड़ रुपयों के बारे में सरकार ने केन्द्र द्वारा राशि का दो-तिहाई और राज्य सरकार द्वारा एक तिहाई बटवारे का प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार ने सुझाव दिया कि 32.75 करोड़ रुपये की राशि का उसका एक तिहाई भाग जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार को ऋण के रूप में दिया जाय।

एक मकान की अनुमानित लागत 1800 रुपये थी। इस अनुमान में 400 रुपये की मजदूरी (अकुशल श्रम) शामिल था जिसमें से यह आशा की गयी थी कि जिसे आवास मिलेगा वह मजदूरी के रूप में 300 रुपये का अंशदान करेगा। इस प्रकार कुल लागत 1500 रुपये प्रति आवास आंकी गई। वास के मानक नाप में एक कमरा 14 फुट × 9 फुट और एक बरामदा सहित रसोई 8 फुट × 6 फुट था कुल निर्मित क्षेत्र 350 वर्ग फुट होगा। 1980-81 के अन्ततक छः वर्ष की अवधि में इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के पांच लाख भूमिहीन परिवारों के लिए मकानों का निर्माण करने का विचार था।

(ग) इस स्कीम पर योजना आयोग में विचार किया गया। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में दो कारणों से कठिनाई हुई। प्रथमतः राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित ग्रामीण आवास-स्थल कार्यक्रम में मकानों/झोंपड़ियों के निर्माण की व्यवस्था न थी और इस कार्यक्रम में किसी किस्म का संशोधन राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन पर आवश्यक था। दूसरी बात यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय

योजना बनाते समय केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सभी संसाधनों तथा जीवन बीमा निगम के सब संसाधनों को भी ध्यान में रख लिया गया था। इस प्रकार न तो केन्द्रीय सरकार के पास और न जीवन बीमा निगम के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध था।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन

* 719. श्री प्रसन्न भाई मेहता: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह अनुरोध किया गया है कि केन्द्र द्वारा चलाये जाने वाले सभी विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और प्रत्येक विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच करने के लिये जांच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस बात को कहां तक स्वीकार किया गया है; और

(ग) उसके कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक परिषद्, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में रुचि लेने वाले कुछ वर्गों से क्रमशः दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। अभिवेदनों की जांच की जा रही है।

'स्पोर्ट' तथा 'एथलेटिक्स' की गतिविधियों में कथित राजनीति

* 720. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या विभिन्न खेलों में योग्य तथा क्षमतावान खिलाड़ियों को अपनी दक्षता और तकनीकी में वृद्धि करने के लिये, ताकि वे ओलम्पिक्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और प्रतियोगिताओं में प्रभावी सफल रूप से भाग ले सकें, प्रशिक्षण, धन राशि आदि उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष प्रयास किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विवरण क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीमों का चयन तथा प्रशिक्षण अलग अलग राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों/प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्षेत्र में आता है, जो कि स्वायत्त निकाय हैं। तथापि, अनुरोध किए जाने पर, यह मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीमों को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की देख रेख में प्रशिक्षित किए जाने की सुविधाएं प्रदान करता है, और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान खिलाड़ियों के भोजन तथा आवास, खेल उपकरण तथा चिकित्सा पर होने वाला व्यय उस संस्था द्वारा वहन किया जाता है। इस शर्त पर कि धन उपलब्ध हो तथा अखिल भारतीय खेल परिषद की सिफारिशों से, विदेशों में महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीमों का यात्रा व्यय भी सरकार द्वारा किया जाता है।

कांगड़ा की कला

721. श्री दुर्गाचन्द : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

- (क) क्या सरकार को कांगड़ा की प्राचीन कला के बारे में जानकारी है ;
- (ख) क्या सरकार ने कांगड़ा स्कूल आफ आर्ट का अध्ययन भी आरम्भ किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ध्यौरा क्या है, और
- (घ) कांगड़ा स्कूल आफ आर्ट में सुधार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : कांगड़ा स्कूल आफ आर्ट की रचनाओं के संग्रह और संरक्षण तथा उनके बारे में ज्ञान के प्रसार हेतु विभिन्न संग्रहालयों और ललित कला अकादमी के जरिए पुस्तकों के तस्वीर, काटे, पुनर्निर्माणों के प्रकाशन और प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

Open University

*722. Shri Hargovind Verma :

Shri Giridhar Gomango :

Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

- (a) whether Government have decided to have an "Open University" a proposal for which was under consideration of the previous Government;
- (b) if so, when this university will start functioning ; and
- (c) if not, the reasons for not opening this university ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):

(a) to (c): The proposal is still under consideration of the Government.

किसानों के साथ "पैकेज डील"

*723. श्री पी० वी० पैरियसानी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या किसान के साथ "पैकेज डील" करने की कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत उसे उचित मूल्य पर खाद, बीज आदि की सप्लाई के बदले निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निर्धारित मूल्य पर वसूली एजेंसियों को बेचना पड़ता है ;

(ख) इस व्यवस्था की अत्यावश्यक बातें क्या हैं ; और

(ग) इसको कहां तक अपनाया गया है और कितनी सफलता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क): जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Protection of Crocodiles, Alligators, Black Buck and Musk Deer from Extinction

***724. श्रीSurenraBikram :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state ;

(a) the programmes being implemented for the growth of crocodile species and where ; and

(b) what immediate action is being taken to protect black-buck, crocodile and alligator, musk deer from extinction ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The programme for conservation & breeding of three species of Crocodilia is being implemented in Katherniabat in U.P., Bhitarkanika and Satkosia in Orissa, Sunderbans in West Bengal, Sutnur in Tamil Nadu, Gir in Gujarat, Hyderabad in Andhra Pradesh and Rawat-Bhata in Rajasthan.

(b) To protect the black-buck and Crocodiles from extinction, the Govt. of India have extended financial assistance to the Govt. of Gujarat for the development of a sanctuary for Black-Buck at Velavadar, and for Crocodile schemes in Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, U.P. & West Bengal. The proposal to set up a musk deer farm in the Chamoli Distt. of Uttar Pradesh is being examined in consultation with the State Govt. Alligators are not found anywhere in India.

वैज्ञानिकों का पिछड़े क्षेत्र में अनिवार्य कार्य

5490. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिकों को निश्चित अवधि के लिये देश के पिछड़े क्षेत्रों में काम के लिए अनिवार्य रूप से भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उसके बारे में यदि कोई आपत्तियां हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जो हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों के अन्तर्गत देश के पिछड़े या अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में न्यूनतम कालावधि सेवा जरूरी है ।

(ख) विज्ञानियों को उन क्षेत्रों में नियुक्त करने और वहां काम करने के लिये क्षतिपूर्क लाभ देने हेतु उपयुक्त गार्ड डलइन निर्धारित करने का प्रश्न परिषद के विचारधीन है । विज्ञानियों के ऐसे क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है ।

10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र

5491. श्री खोद मसूद : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) दिल्ली में 10+2+3 की नई शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत 1977 में हुई दसवीं कक्षा की परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे ;

(ख) ऐसे कुल कितने छात्रों को रोका गया है ;

(ग) ऐसे कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जिन्हें कुछ विषयों में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अंक मिले हैं जिससे वे ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते;

(घ) क्या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दसवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं और जिन्हें उन्हीं के मूल स्कूलों में दसवीं कक्षा में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) जबकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी छात्र को "उत्तीर्ण" अथवा "अनुत्तीर्ण" घोषित नहीं किया है तो उन्होंने बहुत से छात्रों को कैसे "रोका" है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) : दिल्ली माध्यमिक परीक्षा 1977 में 47,012 विद्यार्थी बैठे थे ।

(ख) और (ग) वर्तमान मानदण्डों के अनुसार, सभी विषयों में 30% तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कक्षा XI के किसी न किसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पात्र हैं । 29,594 विद्यार्थी इस श्रेणी में आते हैं । एक या दो विषयों में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 10 अगस्त, 1977 को होने वाली कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए पात्र हैं । 9,669 विद्यार्थी एक विषय में कम्पार्टमेंट तथा 5,765 विद्यार्थी दो विषयों में कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए पात्र हैं । ये विद्यार्थी एक या दो विषयों में कम्पार्टमेंटल परीक्षा में जैसी भी स्थिति हो, 30% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा XI में दाखिला लेने के लिए पात्र हो जाएंगे । इस प्रकार 47,012 उम्मीदवार जो 1977 की परीक्षा में बैठे थे उनमें से केवल 2,984 उम्मीदवार कक्षा XI में दाखिला लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) विद्यार्थियों को पास तथा फेल घोषित नहीं किया गया था परन्तु यह मानदण्ड केवल दाखिले के लिये न्यूनतम स्तर की एक समान नीति रखने के लिये निर्धारित किया गया था ।

Land Utilisation Board

5492. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether the Central Government have advised the State Governments to establish land Utilisation boards in the States ; and

(b) if so, the number of States which have agreed so far to establish such boards and the progress made in this regard ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) So far twenty-two States/Union Territories have constituted the Land Use Boards (List appended). Besides these :—

- (i) The Government of Gujarat has created a Soil and Water Management Directorate which according to them will serve the purpose of a State Land Use Board.
- (ii) The Government of Andhra Pradesh is contemplating enactment of "Andhra Pradesh Land Improvement Scheme Bill" having provisions of constituting "State Level Board" which may deal with matters relating to Land Use also on the lines suggested by the Government of India.
- (iii) The Government of Orissa and Rajasthan have agreed to constitute the Land Use Boards.

Statement**States/Union Territories where State Land Use Boards have been constituted**

1. Himachal Pradesh
2. Maharashtra
3. Uttar Pradesh
4. Madhya Pradesh
5. Haryana
6. Tamil Nadu
7. Manipur
8. Kerala
9. Bihar
10. Karnataka
11. Assam
12. Meghalaya
13. West Bengal
14. Nagaland
15. Punjab
16. Tripura
17. Jammu and Kashmir
18. Goa, Daman & Diu
19. Arunachal Pradesh
20. Delhi
21. Pondicherry
22. Mizoram.

Scholarships to Students in Gujarat

5493. **Shri Motibhai Chaudhary** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the number of students in Gujarat who were granted scholarships under Scholarship Scheme for Recognised Residential Secondary Schools during 1975-76 and 1976-77 and the number out of them who actually received the scholarships;

(b) the number of recognised residential secondary schools in Gujarat and the number out of them where the medium of instruction is Gujarati;

(c) whether Government propose to recognise Gujarati medium schools also in Gujarat as in the absence of such schools the scholarship holders are deprived of the benefit of scholarship;

(d) whether Gujarati medium schools, even of good standing are not being recognised; and

(e) whether the students who have been awarded scholarships will be permitted to study in any Gujarati medium secondary schools till such schools get recognition ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder)
 (a) 20 Scholarships were awarded to the students in Gujarat under the Government of India Scheme of Scholarships in Approved Residential Secondary Schools during 1975-76 out of which 18 were availed. Two scholarships were cancelled because the parental income of the selected scholars exceeded the prescribed income limit under the Scheme. 10 scholars were awarded scholarships during 1976-77 and all of them have been availed.

(b) Three. None with Gujarati medium.

(c) Yes, Sir.

The Ministry have requested the Government of Gujarat to recommend some good residential schools with Gujarati medium and four such schools have now been requested to furnish some information required for the purpose of inclusion in the list of approved schools.

(d) Only those schools which fulfil the requirements of the Scheme are granted approval. No school of good standing with Gujarati medium has approached this Ministry for recognition.

(e) No, Sir.

Selected scholars are entitled to the awards only when they are nominated and admitted to the Residential Schools approved under the Scheme. Selected scholars are, however, nominated to the existing approved Schools with English/Hindi medium.

दिल्ली में समूह आवास सहकारी समितियों को विकसित भूमि का आवंटन

5494. श्री दुर्गा चन्द : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहकारी समूह आवास समितियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सहकारी समूह आवास समितियों को कहा जा रहा है कि वे उन्हें आवंटित भूमि का विकास स्वयं अपने खर्चे पर करें, यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ;

(ग) पीतमपुरा में सहकारी भूखण्ड आवास समितियों को किस कीमत पर जमीन आवंटित की गई और उसी कालोनी में सहकारी समूह आवास समितियों को किस कीमत पर जमीन आवंटित की गई ;

(घ) क्या सहकारी समूह आवास समितियों को पीतमपुरा ने पूर्ण विकसित भूमि का आवंटन करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या समूह आवास समितियों को पीतमपुरा में सस्ती दर पर जमीन का आवंटन करने का भी विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां, ग्रुप आवास सहकारी समितियों को सूचित किया गया था कि उन्हें 54 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अनन्तिम दर पर विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा ।

(ख) जी, हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण ही केवल उस भूमि के इर्द-गिर्द तक का विकास करता है जो समिति को आवंटित की जाती है । भूमि के आन्तरिक विकास का कार्य जिसमें सम्पर्क मार्ग, सीवर जल सप्लाई का कनेक्शन आदि शामिल हैं, समितियों का ही स्वयं उत्तरदायित्व है ।

(ग) जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सलाह दी थी सहकारी आवास निर्माण समितियों को अविकसित भूमि 9 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवंटित की गई थी । ग्रुप आवास समितियों को 54 रुपये प्रति वर्ग मीटर (45 रुपये प्रति वर्ग गज) की अनन्तिम दर से विकसित भूमि दी जा रही है ।

(घ) जैसे कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि विकसित भूमि देने का प्रस्ताव है ।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ?

जनकपुरी रिहायशी योजना के लिए निर्धारित स्थल

5495. श्री मोहन जैन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में जनकपुरी रिहायशी योजना के ए-2 और ए-3 ब्लकों में (1) मकानों (2) स्कूलों (3) सामुदायिक एवं वाणिज्यिक केन्द्रों और (4) पूजा स्थलों के लिये कितने निर्धारित भूखण्ड ऐसे हैं जो अभी तक आवंटित नहीं किये गये हैं अथवा बेचे नहीं गये हैं ;

(ख) इन ब्लकों में ऐसे कितने स्थल हैं जो बेच दिये गये हैं परन्तु जिन पर अभी तक कोई स्थाई संरचना खड़ी नहीं की गई है ;

(ग) ऐसे स्थलों की संख्या क्या है जो इन ब्लकों में अभी तक अविकसित अथवा अल्प-विकसित हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे रिक्त स्थलों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्या और कब तक कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

पेराई, क्षमता, पेरा गया गन्ना, चीनी की प्राप्ति और गन्ने का मूल्य

5496. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में 1975-76 और 1976-77 के मौसम के लिये गन्ना पेराई की क्षमता क्या थी, कुल कितना टन गन्ना पेरा गया, कुल कितने कार्यदिवस थे, गन्ने से औसतन कितनी चीनी प्राप्त हुई, चीनी का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, गन्ने का प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम मूल्य कितना था और फसल काटने, परिवहन अथवा चीनी कारखानों द्वारा कारखानावार दिये गये अन्य किसी प्रकार के प्रोत्साहन सहित कितना वास्तविक मूल्य अदा किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : 1975-76 और 1976-77 के पेराई मौसमों के दौरान देश में स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की संख्या क्रमशः 260 और 277 है जिनमें से 252 फैक्ट्रियों ने 1975-76 के पेराई मौसम और 270 ने 1976-77 के पेराई मौसम में कार्य किया था ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें 1975-76 और 1976-77 में मौसमों के लिए क्रमशः दैनिक गन्ना पेराई क्षमता, पेरा गया गन्ना, अवधि, वसूली, उत्पादित चीनी, गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य और वास्तव में दिया गया मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 878/77] ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों में असंतोष

5497. श्री आर० बी० स्वामीनाथन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अन्याय और नियमों को भेदभावपूर्ण ढंग से लागू किये जाने के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों में व्यापक असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 'साइंटिस्ट्स वेल्फेयरियम' ने जुलाई, 1977 में केन्द्रीय मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(घ) उन्हें कहां तक स्वीकार किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विज्ञानी और तकनीकी कर्मचारी संघ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विज्ञानियों के अभी हाल में बने कुछ अन्य अमान्यता प्राप्त संघ अभी हाल ही से, परिषद् के अन्तर्गत अपनी नौकरी से संबंधित विभिन्न मामलों के संबंध में प्रतिवेदन पेश कर रहे हैं।

(ख) विज्ञानियों के कल्याण संगठनों (वैल्फेयरियम) से जुलाई, 1977 में, कोई ज्ञापन पत्र नहीं भिजा मालूम होती है। फिर भी, उनके द्वारा इसके पहले, मई, 1977 के आरम्भ में एक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(ग) और (घ) ज्ञापन-पत्र में वैज्ञानिक कल्याण संगठनों द्वारा की गई मांगों और उन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित एक वक्तव्य संलग्न है।

विवरण

वैज्ञानिक कल्याण संगठन की मांगे	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही
1	2
विज्ञान में एम० एस्० सी० की उपाधि वाले सभी कर्मचारियों का जो इस समय 'एस' संवर्ग (परिषद् में समाप्त होने वाला वर्ग) में है, उनको सीधे उनके उपयुक्त संवर्ग 'एम' जो कृषि अनुसंधान सेवा का प्रारंभिक वर्ग है (रु० 700—1300) में प्रवेश दिया जाना चाहिए 'एस' संवर्ग को समाप्त कर देना चाहिये।	1. कृषि अनुसंधान सेवा का ग्रेड 'एस' (रु० 550—900) उन विज्ञानियों के इंडक्शन से बनाया गया था जो इस ग्रेड में पहले से ही कार्य कर रहे हैं और ऐसे वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए भी, जो निम्न ग्रेड (रु० 425—700) में कार्य कर रहे थे। कृषि अनुसंधान सेवा में इस ग्रेड को केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिये ही बनाये रखा गया है और ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति या सेवा-निवृत्ति के बाद धीरे-धीरे कुछ सालों में इस ग्रेड को समाप्त कर दिया जायेगा। सेवा नियमों में इस ग्रेड में कोई भी नयी

1

2

भरती करने का विचार नहीं है। इस ग्रेड के जिन कर्मचारियों ने इस ग्रेड में सेवा के पांच साल पूरे कर लिये हैं, जिसमें निम्न ग्रेड (425-700) की सेवा भी शामिल है, उनको कृषि अनुसंधान सेवा के एस-1 ग्रेड में पदोन्नति की जा रही है, बशर्ते कि वे इस पदोन्नति के लिये कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में उपयुक्त पाए जाएं। ग्रेड 'एस' के वर्तमान कर्मचारियों को भी ग्रेड ए०आर०एस० की एस०-1 ग्रेड परीक्षा में गत वर्ष तथा इस वर्ष भाग लेने की स्वीकृति बिना उनकी आयु एवं उक्त ग्रेड में उनके सेवा काल की अवधि आदि का विचार किए दे दी गई है।

ग्रेड 'एस' के तुरंत हटाना तथा सभी वर्तमान इस ग्रेड से कर्मचारियों को एक साथ ग्रेड एस-1 में पदोन्नति करना सेवा के हित में नहीं होगा।

2. जब तक कि वर्तमान वैज्ञानिकों के भविष्य का फैसला न हो जाए, तब तक नई भर्ती को बिल्कुल रोक देना चाहिए।

ग्रेड एस-1 की रिक्तियों की संख्या, जिन पर ए०एस०आर० बी० द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जा रही है, पदोन्नति के लिये छोड़ी गई पर्याप्त रिक्तियों की संख्या के बाद ही, तय की गयी है। अतः वर्तमान ग्रेड-1 'एस' के विज्ञानियों को यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि उनको एस-1 ग्रेड में पदोन्नति के लिए पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी। विज्ञानियों के प्रतिनिधियों को इस स्थिति की सूचना पहले ही दी जा चुकी है।

3. सभी संवर्गों में, किता रिक्तियों के भी, 5 साल बाद अपने आप पदोन्नति होनी चाहिए।

3. अपने आप होने वाली पदोन्नति सेवाओं की कुशलता को गिरा सकती है। परिणत वर्तमान अवस्था को बदलना उचित नहीं समझती जिसमें कि विज्ञानियों की एक ग्रेड से अगले बड़े ग्रेड (वेतनमान) में पदोन्नति उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर होती है। पदोन्नति की यह प्रक्रिया कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल (ए० एस०

1

2

आर० बी०) के परामर्श से निर्धारित की गई है। कृषि अनुसंधान सेवा के नियम 19 (1) में पहले से ही यह प्रावधान है कि इस प्रकार की पदोन्नतियां बिना उच्च वेतनमानों में रिक्तियों के भी की जायेंगी।

Dharna by Delhi Teachers

†5498. Shri Ramji Lal Suman : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether any teachers of Education Department of Delhi Administration has given a notice on the 1st June, 1977 to stage a dharna at the residence of Shri Chandra Shekhar, the Janta Party President from 3rd July, 1977 and in front of the office of the Union Public Service Commission from 7th September, 1977;

(b) if so, the demands of the teachers; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) to (c) According to the information given by Delhi Administration, only one teacher had given notice to stage dharna but he has not taken any such step. He made certain allegations against the officers of the Administration. They were found baseless and the complaint was filed under orders of the competent authority.

राष्ट्रीय बीज परियोजना का मूल्यांकन

5499. श्री हरिकेश बहादुर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विक्रांत' मासिक के मई अंक में बड़े पैमाने पर हुई जासूसी की गतिविधियों के बारे में प्रकाशित समाचार में कोई सच्चाई है और यदि हां, तो इस बारे में क्या जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या यह सूचना विश्व बैंक, जो कि एन०एस०पी० तैयार कर रहा था, को चोरी छिपे भेज दी गई थी और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ;

(ग) क्या भारत सरकार को पता है कि योजना आयोग ने राष्ट्रीय बीज परियोजना का विरोध किया था, परन्तु मंत्रालय के अधिकारी उक्त परियोजना को शीघ्र तैयार करने जा रहे हैं ; और

(घ) क्या वह सभा पटल पर योजना आयोग का दिनांक 25 अक्टूबर, 1976 का मूल्यांकन प्रतिवेदन रखेंगे ताकि इस महत्वपूर्ण मामले पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व सभा को इस सम्पूर्ण मामले पर विचार करने का अवसर मिल सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 'विक्रांत' के मई, 1977 के अंक में छपी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर किसी तथाकथित उच्च अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को किसी प्रकार की वर्गीकृत सूचना देने का आभास नहीं होता। सरकार का विचार है कि विश्व बैंक को

केवल साधारण जानकारी प्रदान की गई है, जो सामान्यतः उपलब्ध है। अतः छानबीन करने अथवा कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) : योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया था। उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना की सूक्ष्म बातों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ फिर से विचार-विमर्श किया गया और संशोधित परियोजना अब भारत सरकार के विचाराधीन है। सरकार के विषये यह उम्मीद होगी कि इस मामले में सभा में बहस करने से पूर्व अपना मत स्थापित कर ले।

भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर

5500. श्री के० लक्ष्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के कार्य के बारे में 7 से 14 जून, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस (बंगलौर) और कन्नडप्रभा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले को संस्थान के नोटिस में उपयुक्त कार्रवाई के लिए ला दिया गया है।

लंदन स्थिति इंडिया आफिस लाइब्रेरी का अर्जन

5501. श्री सुशील कुमार धारा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी के अर्जन की दिशा में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार द्वारा नृथक-नृथक रूप से और अथवा सामूहिक रूप से क्या कार्य किया जाना है ;

(ख) ऐसी क्या कठिनाइयां हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं और उन्हें सुलझाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) लाइब्रेरी के अर्जन के संबंध में कार्यवाही अथवा उसका अर्जन कब तक पूरा हो जाएगा।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) 1947 से इस मामले पर इंग्लैंड की सरकार से बातचीत चल रही है। पुस्तकालय सहित इंडिया आफिस भवन और इसकी अन्तर्वस्तुओं के स्वामित्व के मामले से सम्बन्धित विभिन्न आशयों की सम्बन्धित सरकारों द्वारा जांच की जा रही है। 1968 में इंग्लैंड की सरकार से एक मध्यस्थता करार प्रारूप प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारत सरकार का यह विचार है कि इस

मध्यस्थता करार प्रारूप के सम्बन्ध में यदि उप महाद्वीप के देशों द्वारा एक ग्राम दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यह लाभदायक होगा। सम्बन्धित देशों को मान्य प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं लेकिन अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं निकले हैं।

मैसर्स जोतिन्द्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

5502. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जोतिन्द्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध विभिन्न विवरणों के अनुसार माल सप्लाई न करने और विभिन्न सरकारी विभागों विशेषकर विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के सब स्टोर्स को बिना 'मार्क' वाला माल सप्लाई करने की शिकायत है ;

(ख) क्या उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किए गए माल का पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

(ग) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण की जाने के दो महीने के बाद तक भी माल सप्लाई नहीं किया जाता है ; और

(घ) विभिन्न विवरणों के अनुसार माल सप्लाई न करने के लिए उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बहल) : (क) जी, हां फर्म द्वारा विभिन्न मांगकर्ताओं को 25-10-75 से 31-3-76 तक की अवधि में जस्ती लोहे की पाइपों की सप्लाई के बारे में चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बाद में तीन शिकायतें वापस ले ली थीं और एक शिकायत की जांच की जा रही है।

(ख) जी. हां।

(ग) सरकार की निगाह में ऐसा कोई मामला नहीं आया जहां निरीक्षण के समय से दो महीने या अधिक समय बाद भी माल सप्लाई न किया गया हो। अलग से एक मामला ऐसा था जिसमें कि सात सप्ताह की देर हुई थी, जिस पर फर्म के साथ कार्यवाही की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Setting Up of Sugar Factories in Gujarat

5503. Shri Dharamsinhbhai Patel : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number and places of small and big sugar factories for the setting of which in Gujarat State, an approval has been accorded so far and where these factories have been set up and are functioning and where the work has not been started so far;

(b) the number of applications pending as on 31-3-1977 for keeping approval for setting up sugar factories and reasons for pending these applications; and

(c) when these pending applications are likely to be disposed of ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Ten Sugar factories so far have been set up in Gujarat State (3 in Surat District, 2 in Bulsar

District, 2 in Amereli District, 1 in Junagadh District, 1 in Kaira District and 1 in Rajkot District).

Six licences issued for setting up of new sugar units, in Gujarat State are pending implementation. (2 in Surat District, 1 in Bulsar District, 1 in Junagadh District, 1 in Ahmedabad District and 1 in Bhavnagar District).

(b) No application is pending consideration.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक आवास सम्पदा के लिये सहायता

5504. श्री के० बी० चेतरी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक आवास सम्पदाओं की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाढ़ और सूखापीड़ित राज्यों के किसानों को ऋण का भुगतान

5506. श्री समर गुहः क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के बाढ़ और सूखा पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को पुनर्वास के लिये दिये गये ऋणों का अनेक वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में किसानों को भुगतान न किये गये ऋणों का व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों के दुर्बल वर्ग को दिये जाने वाले बकाया ऋण के बारे में पुनरीक्षण की घोषणा करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार किसानों को पुनर्वास के लिये ऋण नहीं देती। इसको दृष्टि में रखते हुए अतिदेय ऋणों की राज्यवार रकमों का विवरण देने अथवा इसप्रकार के ऋणों को भेजने का प्रश्न ही नहीं होता।

मसूर दाल का उत्पादन और खपत

5507. डा० बसन्त कुमार पंडित: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 की फसल में मसूर दाल का उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) सामान्य खपत के लिये प्रति वर्ष दाल में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) मसूर की दाल के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान अलग से जारी नहीं किये जाते हैं। मसूर की दाल का उत्पादन, रबी की अन्य दालों के अखिल भारतीय अनुमानों में शामिल किया गया है। जिन राज्यों के सम्बन्ध में यह जानकारी उपलब्ध है, उनमें वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान मसूर की दाल के उत्पादन के अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। इन सब राज्यों से अभी तक वर्ष 1976-77 से संबंधित ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) मसूर की दाल सहित दालों की वार्षिक मांग, अन्य दालों तथा इसके एवज में अन्य खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, उनके मूल्यों के स्तर, उपभोक्ताओं की आय का स्तर, जनसंख्या की वृद्धि, आदि कई बातों पर निर्भर करती है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए, मसूर की दाल की सामान्य खपत का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1974—76 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान मानव उपभोग के लिये उपलब्ध कुल दालों की औसत वार्षिक मात्रा 97 लाख मीटरी टन थी।

विवरण

चुनीदा राज्यों में 1975-76 तथा 1974-75 के दौरान मसूर दाल के उत्पादन के अनुमान

(हजार मीटरी टन)

राज्य	1975-76	1974-75
असम	4.7	5.5
बिहार	88.6	98.3
हरियाणा	11.9	11.3
हिमाचल प्रदेश	1.0	1.0
जम्मू और कश्मीर	0.4	0.4
मध्य प्रदेश	156.3	149.5
महाराष्ट्र	5.8	5.1
पंजाब	9.0	9.0
राजस्थान	6.5	9.1
त्रिपुरा	0.2	0.1
उत्तर प्रदेश	104.2	93.8
पश्चिम बंगाल	74.0	74.0

स्त्रोत:—चना तथा तुर के अलावा रबी की दालों के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान, 1975-76

चीनी की कमी

5508. श्री मुल्लियार सिंह मालिक: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान देश में चीनी की भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त चीनी के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मई, 1977 के पहले पखवाड़े के दौरान खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आई थी। मूल्यों को नीचे लाने की दृष्टि से सरकार ने खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति मई, 1977 के 90 हजार मीटरी टन से बढ़ाकर जून और जुलाई के दौरान 120 हजार मीटरी टन कर दी थी। इसका बाजार पर लाभकारी प्रभाव पड़ा क्योंकि देश की प्रमुख मंडियों में चीनी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आई जबकि देश के अधिकांश भागों में मूल्य मई, 1977 के अन्त में चल रहे मूल्यों की तुलना में सामान्यतया 5 से 15 रुपये प्रति क्विंटल कम चल रहे हैं।

Bungling in the distribution of controlled Wheat, Sugar at Fair Price Shops

5509. Shri Yuvraj : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) whether the number of fair price shops in rural areas is more than 1,86,000 and there is bungling on large scale in the distribution of controlled wheat and sugar and these were not mostly supplied to the people at fair price; and

(b) if so, the measures taken to bring about qualitative improvements and if not, the reasons therefore ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) At present about 1.87 lakh fair price shops are functioning in the rural areas for distribution of foodgrains, sugar etc. The internal distribution of foodgrains and sugar within the State is the responsibility of the State Government concerned. By and large the fair price shops are functioning satisfactorily in the rural areas and any complaint received regarding the non-supply of wheat and sugar to the people of those areas is taken up with the State Government concerned for necessary remedial action. All the State Governments have been advised that surprise checking of fair price shops should be done by the State Government officials and severe punishment should be given to those found guilty.

Contribution by Banks Towards Rural Development

5510. Shri Jagadambi Prasad Yadav : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether none of the banks is contributing substantial amount of money towards the rural development;

(b) whether the policy of the present Government is aimed to ensure rural development on priority basis and provide employment to the youth; and

(c) if so, whether Government propose to take some action in this regard ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Cooperatives continue to be the main institutional source for provision of agricultural credit. During the cooperative year 1974-75 (ending with 30th June, 1975) the short and medium term credit advanced by cooperative banks and by primary agricultural credit societies was Rs. 781.00 crores and Rs. 118.00 crores respectively; it is estimated to be of the order Rs. 870.00 crores and Rs. 110.00 crores respectively in 1975-76. In the sphere of long-term development finance for agriculture, the land development banks constituted the main source for the provision of credit. While the quantum of fresh long-term loans issued by

the cooperative land development banks was only Rs. 12.00 crores in 1960-61, it has gone up Rs. 181.00 crores in 1974-75 and the estimated loaning during 1975-76 is of the order of Rs. 193.00 crores.

The Commercial banks are emerging as the second most important institutional source or providing agricultural credit to the farmers. The level of outstandings of direct financing by scheduled commercial banks for agriculture operations stood at Rs. 648.43 crores as on 30th June, 1976. It is being increasingly recognised that there are limitations in commercial banks undertaking direct financing of agriculture; they will, therefore, progressively utilise the cooperative system for meeting agriculture credit.

Regional Rural Banks are a new set up institutions sponsored jointly by Government of India, State Governments and commercial banks, they are being established in areas where the existing institutional structure is inadequate and potential for agricultural development is good. They have a special responsibility for financing weaker sections of the society. 47 Regional Rural Banks have been established by March, 1977. 45 of these Banks had advanced Rs. 13.09 crores upto that date and mobilised deposits to the tune of Rs. 10.25 crores.

(b) and (c) The Government is giving highest priority to rural development. A sum of Rs. 168/- crores has been provided in the present Budget for implementation of various rural development programmes as against about Rs. 94/- crores provided in the previous year. More specifically, for some of the important programmes like Small and Marginal Farmers' development Agencies, Drought Prone Areas Programme, Tribal Areas and Hill Area Development Programmes, a sum of Rs. 99/- crores has been provided this year as against about Rs. 64/- crores last year.

A programme of Integrated Rural Development was initiated last year and 20 districts were selected for it. This important programme, the main objective of which is to generate employment opportunities for the 'rural poor' and 'disadvantaged groups' has been given a new orientation so that it may really become the instrument of improving the quality of life of the 'rural poor' in a certain time frame. The present Government are also thinking in terms of bringing integration in approach and methodology of various rural development schemes in a much wider area than the present 20 districts.

The Government are also seized of the problems of unemployment and under-employment and this particular aspect was kept in view while framing the Budget proposals. Besides the continuing programmes, this year three new schemes, viz., Link roads in rural areas, development of Rural markets and Desert Development, are being taken up to strengthen the rural infra-structure as also to accelerate the pace of development in area suffering from economic and social disadvantages. Also a scheme to utilise food-grains from surplus stocks to generate additional employment in the rural areas has been initiated. Thus the main thrust of the various on-going rural development programmes as well as the new schemes being initiated is on bringing about all-round rural development and creation of additional employment opportunities in the rural areas specially for the 'rural poor' and other 'disadvantaged groups'.

Loan Facilities to Handicapped

5511. **Shri S. S. Somani** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken any scheme for providing loan facilities to handicapped;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the type of organisations included in the scheme ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander):
(a) The Government of India (Ministry of Finance) have formulated a scheme known as

“Differential Rate of Interest Scheme” for providing loans, *inter-alia*, to physically handicapped persons pursuing a gainful occupation and also to Institutions for physically handicapped persons pursuing a gainful occupation for purchase of durable equipment and/or raw material. The loans will be advanced by Public Sector Banks and non-nationalised Banks having lead responsibility.

(b) and (c) A copy of the guidelines issued by the Ministry of Finance, on the “Differential Rate of Interest Scheme” was laid on the Table of the Lok Sabha on 17-6-1977 in reply to Unstarred Question Nos. 919, 957 and 842.

Irrigation Scheme for Bihar

*5512. **Shri Mritunjay Prasad Varma** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number and the names of the irrigation schemes for Bihar State awaiting approval of the Central Government;

(b) the number and the names of the sanctioned irrigation schemes for which entire amount as asked for has been allocated indicating the allocations against each sanctioned irrigation scheme;

(c) the number and names of the sanctioned irrigation schemes for which only partial allocations have been made indicating the amount against each scheme; and

(d) the up-to-date details in regard to the utilisation, proper utilisation and mis-utilisation of the allocations for the schemes ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Reports for 16 major and 30 medium new irrigation schemes of Bihar are at present under various stages of technical scrutiny in the Central Water Commission in consultation with the State Government. A list of these schemes is at Annexure I. [Placed in Library. See No. LT. 879/77].

(b) and (c) Details of such schemes are given in the statement at Annexure II. [Placed in Library. See No. LT. 879/77].

(d) The approved outlay for major and medium irrigation scheme for 1976-77 was Rs. 51.00 crores, which was fully spent during that year. During 1977-78, the approved outlay is Rs. 71.61 crores, which is expected to be fully utilised.

प्रमुख परियोजनाओं में भू-सर्वेक्षण

5513. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनसागर के आयाकट में तथा देश की अन्य बड़ी परियोजनाओं में भू-सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त सर्वेक्षण किया जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नागार्जुनसागर परियोजना में मृदा सर्वेक्षण किया जा चुका है। ये सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में पहले नहीं किये जा रहे थे। अतः योजना आयोग ने राज्य सरकारों को मार्च, 1974 में निदेश दिये थे कि 1-3-75 से केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली वृहत सिंचाई परियोजना सम्बन्धी रिपोर्टों में कमान्ड क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षणों के बारे में भी रिपोर्ट भी शामिल की जानी चाहिये।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

लारेन्स रोड, नई दिल्ली में दुकानों के प्लॉटों का आबंटन

5514. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 6 जुलाई, 1977 के 'स्टेट्समैन' में लारेन्स रोड, नई दिल्ली में दुकानों के प्लॉटों के आबंटन के लिये विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लॉट का माप 13.5 वर्ग मीटर है और कोने के और बिना कोने के प्लॉट की कीमत क्रमशः 12,900 रुपये और 9,000 रुपये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्लॉटों का आबंटन फल, सब्जी विक्रेताओं और रेड़ीवालों आदि को किया जायेगा; और

(घ) यदि हां तो अखंडियों से प्रति वर्ग मीटर 1,000 रुपये लेने के क्या कारण हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुनाफाखोरों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) जी हां, जैसा कि विज्ञापन में प्रकाशित है।

(घ) सरकार ने विस्तृत पुनरीक्षण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस योजना पर आगे कार्यवाही रोक दी है।

हिमाचल कृषि विपणन निगम द्वारा सेवाओं का विपणन

5515. श्री बालक राम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल कृषि विपणन निगम कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश में सेवाओं के विपणन में देश के विभिन्न भागों विशेषकर दिल्ली में प्राइवेट व्यापारियों के एकाधिकार को खत्म करने में प्रभावपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1976 के दौरान इन दो राज्यों से बेची गई कुल पेटियों में से इस एजेंसी द्वारा कितनी सेवा की पेटियां बेची गई और कम पेटियां बेचे जाने और बिक्री की राशि कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी सेवा के मौसम में इस एजेंसी के कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम केवल हिमाचल के सेवाओं का कारोबार करता है। यह निगम हिमाचल प्रदेश के सेवाओं के व्यापार में एक प्रभावशाली एजेंसी बन गया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम ने 1976 में 9 लाख पेटियों का कारोबार किया। यह उस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के विपणन की गई पेटियों का लगभग 20 प्रतिशत है।

(ग) निगम को सेब विपणन सुविधाओं के विकास के लिये विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सहायता सुलभ की जा रही है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश बगवानी उत्पाद विपणन निगम को मजबूत बनाने तथा साथ ही साथ सेबों के विपणन के लिये आकर्षक सुविधाओं की व्यवस्था करता है जिससे राज्य के सेब उत्पादकों को लाभ होगा। यह परियोजना कार्यान्वयन के अन्तर्गत है तथा इसकी दिसम्बर, 1978 तक पूर्ण होने की आशा है।

Acquisition of Land

5516. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) the total acreage of land acquired by Government under the ceiling on Land Act from 1974 to 1976, year wise and the number of persons whose land has been acquired; and

(b) the number of persons who have been given land on lease in their names and the acreage of land given to each of them, year wise ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) The periodwise information is being collected from the States and will be laid on the Table of the Sabha when received.

भारतीय खाद्य निगम, बम्बई द्वारा ठेके के आधार पर कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करना

5517. श्री के० सूर्यनारायण : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम बम्बई द्वारा ठेके के आधार पर कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में कहीं अन्यत्र खपाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम, बम्बई ने केवल 89 दिन के लिये पूर्णतया अस्थायी आधार पर कुछ कर्मचारी रखे थे। निगम ने यथासम्भव अधिक से अधिक इन कर्मचारियों की नियुक्ति बढ़ाने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये हैं। तथापि, ठेके की शर्तों के अनुसार ऐसे 149 कर्मचारियों को सेवा से निकालना पड़ा था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5518. श्रीमती बी० जयलक्ष्मी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग के लगभग 1100 कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में 2 जुलाई, 1977 से हड़ताल पर हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्वास बस्तियों के निवासियों का जीवन सारे क्षेत्र में अत्यन्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण दूभर हो गया है ;

(ख) यदिहां, तो इन कर्मचारियों की क्या मांगें हैं तथा उनको पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुरी, गोबिन्दपुरी आदि जैसी पुनर्वास बस्तियों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दरबख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग का स्टाफ 1 जुलाई, 1977 से 8 जुलाई, 1977 तक कामरोको हड़ताल पर था।

(ख) (i) स्टाफ द्वारा की गई मांगें जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, संलग्न विवरण 'क' में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 880/77]

(ii) इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, संलग्न विवरण 'ख' में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 880/77]

(ग) सड़कें, वर्षा जल नालियां, शौचालय ब्लाक, जल पूर्ति प्रबन्ध तथा सड़कों की बिजली जैसी मूलभूत अधिकांश सुविधायें स्वीकृत योजनाओं में दिये गये उपबन्धों के अनुसार त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और खिचड़ीपुरी कालोनियों में पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अलावा, इन कालोनियों में निवासियों को रहने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिये, कूड़ेदानों, मूत्रालय ब्लाकों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, दूर दर्शन केन्द्रों और बाल बाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय भवन, दूध का डिपो और स्थानीयपणन केन्द्रों का निर्माण चल रहा है और उनके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की संभावना है। त्रिलोकपुरी कालोनी में 28 बिस्तरों के एक अस्पताल पर भी विचार किया जा रहा है।

गोबिन्दपुरी पुनर्वास कालोनी नहीं है लेकिन एक अनधिकृत कालोनी है जहां कुछ सुधार कार्य चल रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

5519. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूल की अत्यधिक मांग को देखते हुये सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में और अधिक विद्यालय खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यालय खोले जायेंगे और किन-किन नगरों में ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1977-78 शिक्षा वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नया केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोदो भाषा के लिए लिपि

5520. श्री चरण नरजरि: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसाम में रहने वाले बोदो लोगों ने आसाम में बोदो भाषा के लिये देवनागरी लिपि को अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि बोदो भाषी लोगों में इसके प्रति भारी उत्साह होने के बावजूद भी बोदो भाषा के लिये देवनागरी लिपि की क्रियान्विति का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है; और

(ग) बोदो भाषा के लिये देवनागरी लिपि की सफल क्रियान्विति के लिये सरकार का विचार क्या ठोस उपाय करने का है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बोदो माध्यम के 1364 प्राथमिक स्कूलों में देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। देवनागरी को अपनाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। तथापि, अब तक 1731 शिक्षकों को देवनागरी लिपि में प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्कूलों को भी बिना मूल्य के पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं। राज्य सरकार ने असम राज्य पाठ्यपुस्तक उत्पादन तथा प्रकाशन निगम को देवनागरी लिपि में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने तथा प्रकाशित करने के लिये कहा है। सरकार के पास बोदो अध्यापकों को देवनागरी लिपि में प्रशिक्षण देने के लिये कोकराझर में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Ancient Temple in Village Godhna and Larwah

***5521. Shri R.N. Rakesh :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether there is any ancient temple in village Godhna and Larwah in development block Majhwa in Mirzapur district, U.P. where a board has been put up showing it as property of the Central Government;

(b) in case it is the property of the Central Government, whether Government have issued any order to the Department of Archaeology to conduct a research in regard to the script inscribed thereon and the historical importance of this place; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to conduct a research in regard to historical importance of the temple ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder)
(a) No, Sir, No temple in village Godhna and Larwah is under Central protection.

(b) and (c) Do not arise.

Repairs and Maintenance Work in Rehabilitation Colonies under D.D.A.

5522. Shri Mahi Lal : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the maintenance work in rehabilitation colonies coming under the slum wing of the D.D.A. has been in a most unsatisfactory condition since the time of emergency and the material required for repair etc. is often not available in the stores for such colonies; and

(b) whether efforts would be made to improve this situation ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :
(a) No, Sir.

(b) Efforts are made continuously to keep these colonies in a satisfactory state of maintenance.

अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिये भूमि के अधिग्रहण का अधिकार

5523. श्री जी० बाई० कृष्णन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी राज्य से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण करने आदि का अधिकार केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजोतसिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

गुजरावाला हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसायटी दिल्ली

5524. श्री जी० एम० बनतवाला: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरावाला हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसायटी, दिल्ली के कितने सदस्यों को सोसाइटी ने प्लॉट आवंटित किये तथा उन्होंने सोसायटी में अपने नाम कब पंजीकृत कराये थे तथा उन्हें किस वर्ष प्लॉट आवंटित किये गये ;

(ख) सोसायटी ने कितने सदस्यों को अब तक प्लॉट आवंटित नहीं किये हैं तथा उनके नाम सोसायटी में कब पंजीकृत हुए थे तथा उन्हें प्लॉट आवंटित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार मकान निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों के पंजीकरण का रिकार्ड रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहकारी समितियां पंजीकृत सदस्यों की सूची में फेरबदल न करें अथवा नये नाम न लिखें क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) : (क) 1968-69 में समिति के 602 सदस्यों को प्लॉट आवंटित किये गये बताया गया है। उन्हें 1957-1966 के मध्य पंजीकृत किया गया बताया गया था।

(ख) जैसे कि सूचित किया गया है 1957-1966 के मध्य पंजीकृत किये गये बताए गये 63 सदस्यों को समिति ने प्लॉट देने हैं। इसके अतिरिक्त एक सदस्य ने अदायगी नहीं की बताया गया है। उनको प्लॉट अलॉट करने में विलम्ब के कारण निम्नलिखित बताये गये हैं:—

(i) सदस्यों ने उनको दिये जा रहे प्लॉटों के स्थान पर अपेक्षाकृत बड़े प्लॉट देने पर जोर दिया तथा

(ii) दिल्ली प्रशासन द्वारा अतिरिक्त भूमि के आवंटन पर विलम्ब।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया कि ऐसे रिकार्ड वह अपने पास रखता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई सब्जी मण्डी, आजादपुर, दिल्ली में दुकानों की लागत

5525. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या निर्माण गौर आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई सब्जी मंडी, आजादपुर में एलाट की गई प्रत्येक छोटी दुकान की क्या लागत थी और प्रत्येक दुकान की भूमि और उस पर निर्माण की पृथक् पृथक् लागत क्या थी;

(ख) जब एलाटियों की तरफ से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानें बनाने का निर्णय किया गया था उस समय एलाटियों को कितनी लागत बताई गई थी;

(ग) क्या दुकानों की भूमि का आकार वह नहीं है जिसके लिये पैसा वसूल किया गया था;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण वसूल किये गये अधिक पैसे को लौटा देगा; और

(ङ) क्या सरकार का छोटी दुकानों के एलाटियों द्वारा उनसे वसूल किये गये पैसे को कम करने के बारे में दिये गये अभ्यावेदन पर पुनर्विचार करने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आजादपुर में आबंटित की गई छोटी छोटी दुकानें सात प्रकार के भिन्न आकार की हैं। इन दुकानों की निर्माण की लागत तथा भूमि की कीमत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आवंटियों से सूचित की गई कीमत 5,000 रुपये है। आवंटियों के अनुरोध पर इसके नीचे बेसमेंट बनाने के बाद में इसे संशोधित कर 8,000 रुपये कर दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) वाणिज्यिक प्लॉटों के आबंटन के सम्बन्ध में वर्तमान कीमत निर्धारण नीति पर सरकार पुनर्विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन में लिखी गई बातों पर भी विचार किया जायेगा।

विवरण

क्रम सं०	आकार		मांगी गई	भूमि की कीमत			
	वर्ग फुट में	वर्ग गज में	निर्माण की अनुमानित लागत (रुपये)	वर्ग 'क' आरक्षित दर 75 रुपये प्रति वर्ग गज	वर्ग 'ख' वाणिज्यिक दर 100 रुपये प्रति वर्ग गज	वर्ग 'ग' वाणिज्यिक + 20 प्र० श०- 120 रुपये प्रति वर्ग गज	
1.	.	80	8.89	5867	666.75	889.00	1066.80
2.	.	150	16.16	11000	1212.00	1616.00	1939.20
3.	.	170	18.88	12467	1416.00	1888.00	2265.60
4.	.	180	20.00	13200	1500.00	2000.00	2400.00
5.	.	210	23.33	15400	1749.75	2333.00	2799.60
6.	.	240	26.66	17600	1999.50	2666.00	3199.20
7.	.	252	28.00	18480	2100.00	2800.00	3360.00

पौधा सुरक्षा रसायनों पर शुल्कों में कमी

5526. डा० हेनरी आस्टिन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पौधा सुरक्षा रसायनों पर लगाये गये शुल्कों को समाप्त करने अथवा उन में कमी करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि मंत्रालय को विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन विभिन्न कीटनाशक दवाओं के खुदरा मूल्यों को भी नियंत्रित करने का है ताकि किसानों को समूचे तौर पर प्रस्तावित राहतमूल्य का लाभ पहुंचाया जा सके?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

Agricultural Universities and their Graduates

5527. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of Agricultural Universities at present in the country;

(b) whether the number of graduates coming out of the existing agricultural universities is not sufficient for putting into use the developments in the field of farming technique and implementation of schemes for raising agricultural output; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) There are 22 Agricultural Universities in the country at present including I.A.R.I. which has the deemed university status.

(b) The number of graduates coming out of the existing agricultural universities is sufficient to meet the demand for ongoing programmes related to increased agricultural production. The number is however, not sufficient to transfer known agricultural technology to all farmers in the country.

(c) The Government is strengthening the agricultural universities and providing financial support for their development to cope with the demands of the trained personnel for agricultural development.

सी० पी० डब्ल्यू० डी० के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरिंग तथा एग्जिक्यूटिव इंजीनियरों के लिये विशेष वेतन भत्ता

5528. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष वेतन भत्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय डिजाइन संगठन में कार्यरत केवल सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों और एग्जिक्यूटिव इंजीनियरों को ही देने का विचार है और उसी संगठन के सहायक तथा जूनियर इंजीनियरों को नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी नहीं, केन्द्रीय डिजाइन संगठन में अधीक्षक इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों को कोई विशेष वेतन देने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है। वे पहले ही, 1 मई 1974 से तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मुख्यालय का विशेष वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

एस० एन० बोस भौतिक विज्ञान संस्थान

5529. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्गीय राष्ट्रीय प्रोफेसर सत्येन्द्र नाथ बोस की स्मृति में कलकत्ता में भौतिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय भौतिक विज्ञान के एस० एन० बोस संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख): जी हां। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने, भौतिकी में उच्च अध्ययन तथा बुनियादी अनुसन्धान के लिये सुविधायें उत्पन्न करने, भौतिकी तथा गणित की कुछ शाखाओं में अल्प उत्तर एम० एस० सी० पाठ्यक्रम आयोजित करने, पत्रिकायें तथा शोध निबन्ध प्रकाशित करने और उद्योगों, अनुसन्धान संस्थाओं आदि के लिये परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये, संस्थान स्थापित किया है।

(ग) और (घ) इस संस्थान के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया गया है। आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वे, उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं और प्रयुक्त गणित विभाग के लिये, जो कि संस्थान का ही अंग है, अतिरिक्त शिक्षण-पदों के सृजन के लिये, वित्तीय सहायता देने हेतु सहमत हो गये हैं।

पुनर्वास विभाग में अनुसूचित जातियों के श्रेणी III तथा IV के कर्मचारी

5530. श्री अहमद एम० पटेल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निपटान स्कन्ध, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में 1 सितम्बर, 1976 को कितने अनुसूचित जातियों के श्रेणी iii तथा iv के कर्मचारी फालतू घोषित किये गये थे और गृह सैल को अन्तरित किये गये थे;

(ख) क्या गैर-अनुसूचित जातीय के अस्थाई भूतपूर्व कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों के स्थाई पदों पर वहीं रख लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ स्थाई अनुसूचित जाति कर्मचारियों ने, जिन्हें 1 सितम्बर, 1976 को फालतू घोषित किया गया था, पुनर्वास विभाग (निपटान स्कन्ध) जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली वापस बुलाने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं और उनके अनुरोध अस्वीकार कर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनुसूचित जाति के श्रेणी iii के 10 स्थाई कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया था और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैल को स्थानान्तरित कर दिया गया था। अनुसूचित जाति के श्रेणी iv के किसी भी कर्मचारी को फालतू घोषित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति के तीन स्थाई कर्मचारियों के पुनर्वास विभाग में अपनी वापसी के लिये अनुरोध किया था। तथापि, उनके अनुरोध को नहीं माना जा सका क्योंकि उन के अपने ग्रेडों में कोई नियमित रिक्ति उपलब्ध नहीं थी।

सरकारी प्रेस, कोरट्टी की 'इंटक' यूनियन

5531. श्री बयालार रवि: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी प्रेस कोरट्टी (केरल) की 'इंटक' यूनियन से कोई मांगे प्राप्त हुई ; और

(ख) यदि हां, तो वे मांगे क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारी संघ, कोरट्टी जोकि आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्ध है, ने यह मांग की है कि अगस्त, 1977 का वेतन तथा भत्ते अंशम त्थौहार के अवसर पर 25 अगस्त, 1977 को मुद्रणालय के कर्मचारियों को दे दिये जायें। उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

Installation of Statue of Mahatma Gandhi at India Gate, New Delhi

5532. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government had taken a decision to replace the statue of the British Emperor, George V, installed at India Gate by Statue of Mahatma Gandhi, the father of the nation;

(b) if so, the progress made so far in this direction and the reasons for the delay; and

(c) the time by which the statue is likely to be installed there ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Certain matters of detail, regarding the nature and type of statue, the exact location, etc., are under discussion. Steps to instal the statue will be taken after that. No specific date can be fixed at this stage.

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा अनाज को खराब होने से बचाने के लिये सुझाव

5533. श्री प्रद्युम्न बाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष कितना अनाज सड़ जाने या कीड़ा लग जाने अथवा रोडेंट संदूषण के कारण नष्ट हो जाता है;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि खराब होनेवाले इस अनाज का लगभग 50 प्रतिशत भाग छूते हुए गोदामों में अनाज रखकर और उसे कीड़ों से बचाने के कम से कम उपाय करके बचाया जा सकता है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अनाज को खराब होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजोत सिंह बरनाला): (क) से (ग) फंफूंदी, कीड़ों और चूहों द्वारा नष्ट की गई खाद्यान्नों की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान देना संभव नहीं है। तथापि, उपयुक्त, भण्डारण ढांचे सुलभ कर इस क्षति को 50 प्रतिशत और इससे भी अधिक स्तर तक कम किया जा सकता है। अन्न सुरक्षा अभियान के अधीन खाद्य विभाग के ग्यारह केन्द्रीय दल किसानों को वैज्ञानिक भण्डारण ढांचे अपनाने के लिये शिक्षित तथा उन्हें प्रेरित कर रहे हैं ताकि भण्डारण सम्बन्धी क्षति को बहुत ही कम किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम जैसे संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों को सम्भालने के लिये अधिक वैज्ञानिक भण्डारण ढांचों का निर्माण करवाया जा रहा है।

गुजरावाला हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

5534. **श्री बलबीर सिंह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरावाला हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली कालोनी के भाग I और II के कल्याण और उन्हें सुन्दर बनाने सम्बन्धी योजनाओं पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि वर्ष 1959—64 के दौरान सोसायटी के पास रजिस्टर्ड लगभग 63 सदस्यों को अभी भूमि आबंटित की जानी है जिसका विकास सोसायटी द्वारा अभी किया जाना है और उसके लिये काफी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सोसायटी को निदेश जारी करने का है कि वह तब तक कल्याण और सुन्दर बनाने सम्बन्धी योजनाओं पर कोई धनराशि खर्च न करे, जब तक सभी सदस्यों को भूमि आबंटित नहीं कर दी जाती और वे अन्य सदस्यों के बराबर नहीं आ जाते?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) समिति ने सूचित किया है कि कालोनी के भाग-I और भाग-II की कल्याण और सौंदर्य योजना पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

Government Accommodation for CSIR Staff

5535. **Shri V. Tulsiram :** Will the Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether permanent employees including Class IV employees of the CSIR are entitled to Government accommodation ;

(b) whether the employees, except the Class IV employees of the C.S.I.R. are allowed to change their Government accommodation;

(c) if so, the reasons for not allowing the class IV employees to change their Government accommodation; and

(d) whether Government propose to allow the class IV employees of the C.S.I.R. to change their Government accommodation like other Government employees and those of the C.S.I.R. ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):
(a) All permanent employees of the C.S.I.R. working at its headquarters in New Delhi are eligible for allotment of accommodation from the general pool.

(b) and (c) Employees of the C.S.I.R. other than those in occupation of Type I residences are allowed one change of residence each. Allottees of Type I residences were not being allowed change due to some mis-interpretation of the Rules.

(d) Yes, Sir.

बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों में हरिजनों और आदिवासियों की प्रतिशतता

5536. श्री ए० के० राय : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों में हरिजनों और आदिवासियों की प्रतिशतता कितनी है ;
- (ख) बिहार में इन विद्यालयों की संख्या कितनी है और वे कहाँ-कहाँ पर हैं, और
- (ग) क्या सरकार का विचार धनबाद-हजारीबाग जनजाति क्षेत्र में केवल हरिजनों और आदिवासियों के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शैक्षिक वर्ष 1976-77 के दौरान बिहार के केन्द्रीय स्कूलों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों की प्रतिशतता 3.6 थी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय स्कूलों को मुख्य रूप से रक्षा कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए खोला जाता है।

विवरण

बिहार में कार्यरत 19 केन्द्रीय विद्यालयों (सैन्ट्रल स्कूल्स) के स्थान:—

1. धनबाद
2. दीनापुर छावनी
3. बोकारो इस्पात शहर (स्टील सिटी)
4. गया
5. जवाहर नगर
6. पटना
7. हिनू, रांची
8. एच० ई० सी०, रांची
9. रामगढ़ छावनी
10. जमालपुर
11. सिघर्षी

12. भुरकुण्डा
13. घाटशिला
14. बरौनी
15. मैघातरुवर आइरन ओर प्रोजेक्ट, किरिवुर्
16. अमझीरी (पीराइट्स फासफैट्स एण्ड कैमीकल्स (लि०)
17. एच० ई० सी०, रांची (द्वितीय स्कूल)
18. बोकारो (बोकारो इस्पात लि०)
19. बरौनी रिफाइनरी टाऊनशिप (भारतीय तेल निगम लि०)

मद्रास में भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज

5537. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मद्रास में भारतीय खाद्य निगम के पास 225 लाख टन अनाज पड़ा है;
- (ख) क्या इसे उचित ढंग से रखा गया है या वह खुले में पड़ा है; और
- (ग) क्या यह भंडार रूत सरकार को ऋण के रूप में लिये गये गेहूं को वापस करने के लिये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी नहीं। अवादी, शोलावरम, इगमोर और हारबर समेत मद्रास में केवल 3.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के पास दक्षिणी जोन में खाद्यान्नों की कुल मात्रा लगभग 32 लाख मीटरी टन है। इसमें से लगभग 19 लाख मीटरी टन खाद्यान्न ढके हुए गोदामों में रखा है और शेष मात्रा कैप स्टोरेज में है। कैप स्टोरेज में भण्डारित अनाज की यथा सम्भव कम से कम क्षति हो, इसके लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं।

(ग) मद्रास समेत विभिन्न भारतीय बन्दरगाहों से जहाजों से भेजी जाने वाली गेहूं की मात्रा का निश्चय सोवियत रुम से गेहूं के रूप में उधार की गेहूं वापस करने के बारे में सिद्धांत रूप से करार हो जाने के बाद किया जाएगा।

East Pakistan Displaced Persons Rehabilitated in Paralkote

5538. Shri Subhash Ahuja :

Dr. Laxmijarayan Pandeya :

Will the Minister of Works and Housing & Supply & Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether 6,500 persons displaced from East Pakistan are to be rehabilitated in Paralkote area by the Dandakaranya Development Authority under the Dandakaranya Project;

(b) whether there is a provision that 25 per cent of the land to be reclaimed by D.D.A. shall be allotted for the rehabilitation of local Adivasis;

(c) the number of Adivasi families already settled in this region and whether as per assurance, the families already settled include 25 per cent Adivasi families;

(d) the number of Adivasi families yet to be settled there and the time by which they are likely to be settled;

(e) whether Adivasi families are provided the same amenities as are available to displaced persons and if not, the reasons for discrimination; and

(f) whether Government are considering any proposal for the removal of this discrimination ?

The Minister of Works & Housing & Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) As at the end of May, 1977, 7,663 families of displaced persons from former East Pakistan were in position at resettlement sites in the Paralkote Zone of the Dandakaranya Project;

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The basis for allotment of 25% of reclaimed land for tribal settlement is not in relation to the number of families but in relation to the land reclaimed. In the Paralkote and Kondagaon Zones of the Dandakaranya Project falling in Madhya Pradesh 14,894 acres of land was due to be given to the State Government for tribal settlement against the total area of 59,576 acres of land reclaimed upto 31st March, 1977. Against that, 9,945 acres have been made available for tribal settlement. As the balance land could not be released because the State Government had no landless tribals to settle in Paralkote Zone, a scheme for reclamation of 2400 acres of land in Bijapur Tehsil of Madhya Pradesh, at a cost of Rs. 18.24 lakhs has been sanctioned. The State Government have also been given the option to get a sum equivalent to the cost of reclamation of the balance land due, in case they have no landless tribals to settle.

The settlement of tribals on the 25% reclaimed land released by the Dandakaranya Project is the responsibility of the State Government concerned. The Government of Madhya Pradesh have not furnished information about the number of tribal families settled on the land released so far by the Dandakaranya Project nor about the likely time to be taken for their settlement but according to earlier report, the State Government had settled 858 tribal families on 7,554 acres of land. Besides the Dandakaranya Project have also settled 292 tribal families in Paralkote, in consultation with the State Government.

(e) Apart from the land and cost of reclamation, financial assistance is given to the State Government by the Dandakaranya Project, at the rate of Rs. 2850/- per family towards construction of house, purchase of bullocks, seeds and agricultural implements, contour bunding etc. This financial assistance for the tribal families is given as a grant and compares quite favourably with the financial assistance given to the displaced persons, major portion of which is in the form of a loan.

(f) Does not arise.

Amount given to M.P. for Education

5539. **Shri Govind Ram Miri :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the amount of grants given to the Government of Madhya Pradesh by the Central Government for education during the last three years and the dates on which this amount was given; and

(b) the amount of grants given to the State Government by the Central Government for education for the year 1977-78 and when this amount has been given ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Central Assistance for State Plan Programmes is released for the Plan as a whole and not for different heads of development.

(b) Does not arise.

साऊथ इंडिया स्टील एण्ड शूगर लिमिटेड, मुंडिमपक्कम द्वारा गन्ने का सहमत मूल्य न दिया जाना

5540. **श्री वेणुगोपाल गौडर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साऊथ अर्काट जिले में साऊथ इंडिया स्टील एण्ड शूगर लिमिटेड मुंडिमपक्कम गन्ना उत्पादकों को गन्ने के सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सहमत मूल्य नहीं देती है

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी सप्लाई किये गये गन्ने का भुगतान किसानों को विलम्ब से करती है और भुगतान को दीर्घकाल तक लम्बित रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि गन्ना उत्पादकों को कठिनाई न हो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । वर्ष 1973-74 और 1975-76 के दौरान सांविधिक अधिसूचित न्यूनतम मूल्य, राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य और फैक्ट्री द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है । वर्ष 1972-73 और 1974-75 में फैक्ट्री ने राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य नहीं दिया ।

(ख) 30-6-1977 की स्थिति के संदर्भ में इस फैक्ट्री पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बहुत कम है ।

(ग) (ख) के संदर्भ में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । (क) के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के अधीन प्रतिवर्ष प्रत्येक फैक्ट्री के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । अतः ये मूल्य सांविधिक हैं और सभी फैक्ट्रियों पर कानूनी रूप से लागू हैं । फैक्ट्रियों द्वारा दिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिस्तावित गन्ने का मूल्य सांविधिकेतर है । उनका भुगतान केवल अनुनय द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है । इस फैक्ट्री ने पहले दिये गये मूल्य से और अधिक मूल्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । जब तक यह फैक्ट्री गन्ने का सांविधिक अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं देती, तब तक उनके विरुद्ध कोई दण्डाभियोग नहीं चलाया जा सकता है ।

विवरण

वर्ष 1973 से 1976 के दौरान सर्वाधिक अधिसूचित न्यूनतम मूल्य, राज्य द्वारा सुझाया गया और फैक्ट्री द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य बताने वाला विवरण

साउथ इंडिया स्टील एंड शुगर लि० मुन्डिमपक्कम

वर्ष	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य	(मूल्य प्रति सीटरीटन) वास्तव में दिया गया मूल्य
	रु०	रु०	रु०
1973-74	8370	104.75	97.00
1975-76	90.00	105.01	100.00

Progress Made in regard to Rajghat Dam

5541. **Shri Laxminarayan Naink :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to Rajghat dam being constructed by the Government of Uttar Pradesh on Madhya Pradesh border and the reasons for delay in constructing this dam;

(b) the acreage of land proposed to be irrigated in Lalitpur and Jhansi districts in Uttar Pradesh and also in Tikamgarh, Guna, Shivpur and Datia districts in Madhya Pradesh separately from this dam;

(c) the length of canals in respect of which survey has been conducted in the aforesaid districts; and

(d) the quantum of electricity decided to be supplied to each of these districts separately ?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) : (a) to (d)
The work on the Rajghat Dam has not yet started.

The Rajghat Dam Project originally envisaged the construction of a dam on the Betwa River at Rajghat to provide irrigation facilities to areas in both Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The Chief Ministers of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, however, decided in a meeting with the Minister (Agriculture and Irrigation) on 17th August, 1976 that generation of power should also form an integral part of the Rajghat Dam Project and that the project report should be revised to include the construction of a power house at the Rajghat Dam, the cost and benefits of which would be shared equally by the two State Governments. The modified project report is yet to be prepared and submitted to the Central Water Commission by the State Governments.

The details of area to be irrigated and quantum of electricity to be produced and supplied to the different districts in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh would be available only after the project report has been formulated.

Detailed survey for canals is in progress. The length of canals would be known after the survey has been completed.

Pay Scales of Women Receiving A.N.M. Training

5542. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether there was a uniform scale of pay for the women receiving A.N.M. training when the appointing authority was Director but when district officers were made appointing authority the pay scales of the teachers of Junior High Schools and High Schools became different whereas the work and qualifications are the same; and

(b) if so, the time by which uniform pay scales would be applicable on the basis of equal work and qualifications ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander):
(a) and (b) According to the information furnished by the Ministry of Health and Family Welfare, the A.N.Ms. are appointed by the State Governments for the various Health Programmes under their administrative control. Their pay scales vary from State to State. The trainees while undergoing training get only stipend and there are no time scales of pay for them. The teachers of Junior High Schools/High Schools and A.N.Ms. belong to two different categories of staff who belong to two different administrative departments. The recruitment rules, scales of pay, service conditions of the A.N.Ms and the teachers therefore are different.

Expenditure on Development of Delhi and New Delhi

5543. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the expenditure incurred on the development of Delhi and Greater Delhi by Government is not excessive, keeping in view the poverty of the country; and

(b) whether Government propose to reduce such expenditure and spend the amount thus saved on the construction of kachcha roads of 5 lakh villages ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No, Sir.

(b) Provision for construction of Kachcha roads in villages is to be made by the respective State Governments/Union Territories.

योग मूल्यांकन समिति

5544. श्री हरी विष्णु कामत : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री योग मूल्यांकन समिति के बारे में 27 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य समिति की बैठक एम० एन० आई० पी० ई० एस० बोर्ड आफ गवर्नर्स के निदेशानुसार हुई है ;

(ख) क्या सिफारिशों पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जो नहीं। समिति के लिए बैठक करना संभव नहीं हुआ क्योंकि उसके अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है और नए अध्यक्ष की राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थाओं की सोसायटी के शासी बोर्ड द्वारा अभी नियुक्ति की जानी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वार्धक्य के पश्चात् विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की पुनर्नियुक्ति

5545. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्धक्य-आयु होने के पश्चात् पुनर्नियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने कोई निर्देश जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने उक्त निर्देश का उल्लंघन किया है और अनेक विभागों के अध्यक्षों को वार्धक्य आयु के बाद पुनर्नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) वि० अनु० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने मई, 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को यह सलाह दी थी कि यद्यपि अध्यापकों की अधिवाषिक आयु 60 वर्ष रहेगी, तथापि, विश्वविद्यालय को यह खुली छूट होगी कि यदि वह चाहते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी एक सीमित अवधि के लिए किसी प्रतीभावान अध्यापक को फिर से रोजगार में रख सकता है। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने इसके बाद जुलाई 1976 में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी थी कि उन अध्यापकों की, जिनको अधिवाषिकी आयु प्राप्ति के बाद फिर से सेवा में लिया जाता है, विभागाध्यक्षों अथवा संकायों के डीन अथवा प्रशासनिक दायित्व के ऐसे किसी पद पर नियुक्तियां नहीं की जाएं और यह अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कानूनों/अध्यादेशों में जहां आवश्यक हो संशोधन कर लिया जाए।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए विभागाध्यक्षों की नियुक्ति से भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सांविधियों/अध्यादेशों के संशोधन सम्बन्धी प्रश्न की जांच करने के लिए उसने एक समिति स्थापित की है।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय की सांविधियों/अध्यादेशों के अनुसार की जा रही हैं।

Contribution Towards Enforcement. U.G.C Pay Scales in U.P.

5547. **Shri Phirangi Prasad** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether the Central Government have contributed its share (80 percent) to the U.P. consequent upon the enforcement of pay scales as recommended by U.G.C. ; and

(b) if so, the purpose for which this amount has been spent ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) and (b) The Government of Uttar Pradesh had informed that Central assistance due to them on the basis of 80 % of the additional expenditure incurred on the revision of salary scales of teachers in universities and non-Government colleges in the state upto March 31, 1977 was Rs. 3,37,22,560/-. The Central Government has accordingly released Rs. 3,08,98,400/- to the State Government on 'on account' basis upto March 31, 1977. The figures of actual payments made to the teachers by the State Government are not yet available.

स्वर्णरेखा नदी बेसिन में जलनिष्कासन के लिये 'मास्टर प्लान'

5548. **श्री समरेन्द्र कुन्दू** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में बालासोर जिले की स्वर्ण रेखा तथा बुड़ाबलंग नदियों के बेसिन में बाढ़ तथा वर्षा के पानी के निकास हेतु कोई मास्टर प्लान बनाया गया है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य से कोई संवर्धन किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो कब और कितनी लागत का अनुमान लगाया गया और क्या इसे कार्यरूप दिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ख) उड़ीसा की राज्य सरकार ने 0.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए, नवम्बर, 1970 में स्वर्णरेखा की निचली पहुंचों में, जिसमें बालासोर जिले के क्षेत्र भी आते हैं, जल-निकास सुधार तथा तटबन्धों का निर्माण करने के लिए 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक स्कीम तैयार की थी। केन्द्रीय जल आयोग में इस स्कीम की जांच करने के पश्चात् तथा जल-आप्लावन की गहराई में हुई बढ़ोतरी को एवं तट-बन्धों के साथ के 173 ग्रामों में 52,800 व्यक्तियों की जन-संख्या के पुनर्वास की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया गया था कि बाढ़ों की तीव्रता को कम करने के लिए ऊपरी पहुंचों में जल-संचय के लिए जलाशयों की संभाव्यता के बारे में अन्वेषण किया जाना चाहिए। भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वर्णरेखा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस पहलू की भी जांच की थी और बिहार में स्वर्णरेखा पर चांडिल में प्रस्तावित बांध में बाढ़ के जल के संचय की व्यवस्था; पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तटबन्धों के निर्माण; और उड़ीसा की निचली पहुंचों में जल-निकास व्यवस्था में सुधार के लिए सिफारिश की थी। स्वर्णरेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा में तटबन्धों के निर्माण की संशोधित स्कीम अभी तक केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है किन्तु बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई चांडिल बांध की परियोजना रिपोर्ट केन्द्र में प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

अब तक उड़ीसा सरकार द्वारा बूड़ाबलंग नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निकास के लिए कोई बृहद् स्कीम (मास्टर प्लान) तैयार नहीं की गई है।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों पर चीनी

5549. श्री दुर्गा चन्द : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को लेवी चीनी जनसंख्या के आधार पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके वितरण राशनिंग की मात्रा में नगरवासियों तथा ग्रामवासियों के बीच विभिन्न राज्यों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) राज्यों को लेवी चीनी का आवंटन न केवल राज्य की जनसंख्या बल्कि (1) अतीत में खपत पैटर्न और (2) 1-7-1975 को प्रायोजित जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य में 300 ग्राम प्रति मास की प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने की नीति पर भी निर्भर करता है ।

(ख) जनसंख्या के विभिन्न वर्गों (ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच आवंटन समेत) वास्तविक मात्रा का आवंटन स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है । तथापि, इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी व्यक्ति को प्रतिमास 1 किलो से अधिक या एक परिवार को प्रतिमास 1 किलो से कम चीनी न दी जाए ।

डोवाला में गेहूं की क्षति

5550. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आगरा जिले में डोवाला नामक स्थान पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गये गेहूं के कुल 84000 बोरो में भरा अधिकांश गेहूं वर्षा और तूफान से खराब हो गया है क्योंकि वह खुले में रखा गया था ;

(ख) क्या अनाज खुले में रखने की व्यवस्था से सरकार को हुई हानि का अनुमान लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्य निगम के गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) जी हां । भारतीय खाद्य निगम ने बोदला (न कि डोवाला) जिला आगरा में खुले प्लेथ पर 8746 मीटरी टन अनाज का भण्डारण किया था । 27 मई, 1977 की रात को अंधड़ तूफान और भारी वर्षा के कारण गेहूं के 17 चट्टे गिर गए और पानी से 1700 बोरियां प्रभावित हुई थीं । इन बोरियों को तुरन्त साफ किया गया और सही स्थिति में लाया गया । इस प्राकृतिक विपदा के कारण लगभग 20 मीटरी टन गेहूं मानव उपभोग के अयोग्य हो गया था ।

(ग) क्योंकि यह क्षति मनुष्य के नियन्त्रण के बाहर के कारणों से हुई थी इसलिए स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है ।

सम्पत्त आयोग की सिफारिशें

5551. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पत्त आयोग की सिफारिशें नये चीनी कारखानों के लिये नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने नये चीनी कारखानों की इन समस्याओं पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। सम्पत्त समिति की सिफारिशें नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाभकारी हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ऊंची पूंजीगत लागत वाली चीनी फैक्ट्रियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए खुली बिक्री को चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता देने और उत्पादन शुल्क में रियायत देने की एक योजना मंजूर की गई है। पूंजीगत लागत, चीनी का वसूली प्रतिशत और आपरेशन के वर्ष पर निर्भर करते हुए खुली बिक्री का कोटा 40—100 प्रतिशत के बीच है। अतिरिक्त खुली बिक्री की चीनी के कोटे पर लेवी चीनी पर लागू दर से उत्पादन शुल्क लगाया जाता है।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था

5552. श्री जगन्नाथ शर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के कितने गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी और इससे कितने ग्रामीण लोगों को लाभ होगा तथा इस कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : अन्तर्राष्ट्रीय बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 38 ग्रामों की जल पूर्ति योजनाएं जिसके अन्तर्गत 8026 (1975 के आधार) आबादी आ जाती है, जिला गढ़वाल के लिये स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के जून, 1978 के अन्त तक पूरा किये जाने का समय निर्धारित है। इस जिले की 21 और ग्रामों की जल पूर्ति योजनाएं, जिसके अन्तर्गत 3736 (1977 के आधार पर) आबादी आ जाती है, तैयार की जा रही है। इन योजनाओं को सितम्बर, 1979 के अन्त तक पूरा किये जाने का समय निर्धारित है।

किराये में वृद्धि को रोकने के लिए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया जाना

5553. श्री बाला साहेब बिखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम दिल्ली में मकानों के किराये नियंत्रण करने में सफल रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्लेटों की कीमतें तेजी से बढ़ाये जाने और (रिहायशी) प्लेटों की नीलामी करने संबंधी नीतियों के इस आशय के अपेक्षित परिणाम निकले हैं कि कम आय वाले और निर्धारित आय वाले वर्गों के लोगों को मकान सुगमता से मिल जायें;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार का ऐसी क्या नई कार्यवाही करने का विचार है जिससे उन मकान मालिकों पर पाबन्दी लग जाये तो उक्त अधिनियम के उपबन्धों के बावजूद अपना मकान अधिक किराये पर देने के लिए व्यक्तिगत जरूरत और पुनर्निर्माण जैसे स्पष्ट आधारों पर खाली कराते रहते हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार इस अलोक-प्रिय प्रवृत्ति को कब रोकेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दरबख्त) : (क) 9 जून, 1955 के बाद बने मकानों को किराये पर दिए जाने के प्रथम पांच वर्षों के लिए मानक किराये का निर्धारण, जैसा कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में व्यवस्था है, लागू नहीं होता। ऐसे मामलों में, प्रथम पांच वर्षों में मानक किराया वही होगा जो मालिक और किरायेदार के बीच तय होगा। अतः उस सीमा तक, अधिनियम किरायों को नियंत्रित नहीं कर सका है।

(ख) यह सत्य है कि बंधी और साधारण आय वर्ग के आवास के लिए कुल मांग केवल डी० डी० ए० द्वारा पूरी करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। निर्माण की लागत में वृद्धि, जो वस्तुतः डी० डी० ए० की नीति नहीं है, एक कारण है जो सीमित साधनों के कारण मकानों के बड़े पैमाने पर निर्माण में बाधक है। तथापि, मध्यम और निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को रिहायशी प्लॉट पंचियों द्वारा और पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित किए जाते हैं, जो सरकारी नीति के अनुसार नीलाम की दरों से कम है।

(ग) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम पुनरीक्षणाधीन है।

(घ) डी० डी० ए० के मकानों की मूल्य निर्धारण नीति और सामान्य तौर पर नीलाम संबंधी नीति पुनरीक्षणाधीन है।

Katra Garh

*5554. **Shri S.S. Das :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether Katra Garh (Katra Fort), a place of historical and cultural importance is located in Muzaffarpur district in Bihar and has a thana and Block headquarter and whether ruins of the boundary walls of this Fort still exist there;

(b) whether the ancient name of Katra Garh was Chanmanda Garh which was one of the State Capitals of ancient Mithila empire and Shri Jayaprakash Narayan was presented there a Tamrapatra of Gupta period and the same was handed over by Shri Naryan to the then Commissioner, Shridhar Vasudeo Sohni, ICS, and this Tamrapatra was passed on by Shri Sohni to the concerned Government Department with the request that excavation work be carried out in this Fort and the ruins be preserved ; and

(c) if the replies to (a) and (b) above be in the affirmative, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) Yes, Sir.

(b) Katra Garh is locally known Chamunda Garh. However the claim of the place being the ancient Capital of Mithila is not yet established. The *tamrapatra* belonging to later Guptas handed over to Shri S.V. Sohni by Shri Jayaprakash Narayan is now preserved in the Patna Museum run by the Directorate of Archaeology and Museums. The State Directorate of Archaeology have been excavating Katra Garh since 1975.

(c) The Department of Archaeology, Government of Bihar proposes to bring the site under its protection and to excavate the site further in the ensuing field season.

आगरा बम्बई राजमार्ग पर चम्बल का पुल

5555. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आगरा-बम्बई राजमार्ग पर स्थित चम्बल के पुल पर त्रुटिपूर्ण

और घटिया काम किये जाने के बारे में एक जूनियर इंजीनियर, श्री गुरदयाल उपाध्याय ने, जो कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वर्ष 1959 में ही सूचना दे दी थी

(ख) क्या वे ही सं० 14 से 19 तक के पाये वर्ष 1973 में टूट गये, जिसके बारे में सूचना दी गई थी;

(ग) क्या सीमेंट और अन्य सामान की बड़े पैमाने पर छिटपुट चोरी और विभाग में व्याप्त कदाचारों को ढकने के लिए श्री गुरदयाल को विभिन्न प्रकार से सताया गया और जुलाई, 1960 में निलम्बित कर दिया गया और गत 17 वर्षों से वे उसी स्थिति में हैं; और

(घ) क्या आरोपों की गम्भीरता और भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार एक निष्पक्ष जांच कराने अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उक्त मामला सौंपने का है, जिसके समक्ष श्री उपाध्याय अपने आरोपों को साबित कर सकें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह ठीक है कि जूनियर इंजीनियर श्री गुरदयाल उपाध्याय ने अपने उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें ठेकेदार के द्वारा स्तर में नीचे का काम करने का आरोप था। इस रिपोर्ट की केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही नहीं बल्कि मंत्रालय के मुख्य तकनीकी परीक्षक के द्वारा भी पूरी तरह से जांच की गयी थी। तथापि, ये आरोप प्रमाणित नहीं हुए थे तथा कार्य स्तर से नीचे का नहीं पाया गया था।

(ख) यह सत्य है कि जिस ठेकेदार की श्री उपाध्याय ने शिकायत की थी उसके द्वारा बनाए जा रहे अन्य पायों के साथ ये गिरे हुए पाये भी शामिल थे। परिवहन मंत्रालय ने इस गिरने की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया था जिसमें परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क महानिदेशालय, रेलवे, राजस्थान लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके गिरने के लिए समिति ने जो कारण बताए थे उनमें त्रुटिपूर्ण कारीगरी अथवा स्तर से नीचे का कार्य कोई कारण नहीं था।

(ग) श्री उपाध्याय को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि अन्य अनेक आरोपों पर आरोप पत्र दिया गया और 1960 में निलंबित कर दिया गया था। श्री उपाध्याय ने निलंबन को ग़ैर कानूनी घोषित करने तथा हानि के दावे के लिए भी स्थानीय आगरे के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अनेक मुकदमें दायर किये तथा नीचे के न्यायालय ने उनके मूल मुकदमे को अभी तक नहीं निपटाया है। उच्च न्यायालय के द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों के कारण अनुशासनिक कार्रवाई निलंबित कर दी गयी है तथा क्योंकि अभी तक मूल मुकदमें पर फैसला नहीं हुआ है इसलिए निलंबन जारी है।

(घ) क्योंकि श्री उपाध्याय के आरोप विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ मंत्रालय के मुख्य तकनीकी परीक्षक के द्वारा प्रमाणित नहीं पाये गये तथा उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने भी कारीगरी में कोई त्रुटि नहीं पाई बल्कि गिरने के अन्य कारण बताए इसलिए सरकार का न तो कोई अन्य जांच कराने का प्रस्ताव है और न इस मामले को सी० बी० आई० को देने का प्रस्ताव है।

नरैला औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का आवंटन

5556. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरैला औद्योगिक क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी

(ख) क्या इन प्लोटों के आवंटन के लिए जनता से कोई आवेदनपत्र नहीं मांगे गये थे तथा इन प्लोटों को बिना किसी मानदण्ड के कुछ कृपापात्र व्यक्तियों को आवंटित किया गया था;

(ग) इन प्लोटों का आकार कितना है तथा अलाटियों के नाम क्या हैं और यदि उनका मन्त्रियों, राजनीतिक नेताओं तथा अधिकारियों के साथ कोई संबंध है तो वह क्या है;

(घ) क्या इन प्लोटों के प्रति एकड़ बाजार दर तथा आवंटन दर में 5 लाख रुपयों का अन्तर है जिससे राजकोष को 2 करोड़ रुपयों की हानि हुई है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने तथा इस सम्पूर्ण लेन-देन में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड ने नरैला में भूमि के आवंटन के लिये दिल्ली मुख्य समाचार पत्रों में खुला जापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे जिस के फलस्वरूप, निगम को 450 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवंटन का कार्य अभी आरंभ नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अभी तक आवंटन नहीं किया गया है।

पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत परियोजना

5557. श्री जनेश्वर मिश्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान अध्यक्ष को पुस्तक लेखन परियोजना के अन्तर्गत उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान एक परियोजना दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई/उपलब्ध की गई; और

(ग) इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि वि० अनु० आ० के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व स्कूल आफ सोशल साइंसिज के डीन के रूप में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब उन्हें नियुक्त किया गया था, उस अवधि के दौरान प्रो० सतीश चन्द्र ने 30 जून 1972 को वि० अनु० आ० को "18वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा" नामक एक परियोजना प्रस्तुत की थी। उक्त परियोजना को चयन समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था और सब मिलाकर आयोग द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदानों का भुगतान किया गया था जिनका उपयोग दिसम्बर 1974 तक इस परियोजना के लिए किया गया था।

फैलोशिप

10,694 रुपये

फुटकर

1,928.90 रुपये

स्वतन्त्रता सेनानी श्री शामजी कृष्ण वर्मा का स्मारक

5558. श्री अनन्त दवे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानी श्री शामजी कृष्ण वर्मा का उनके जन्म स्थान कच्छ मांडवी (गुजरात राज्य) में स्मारक बनाने और उनके मकान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : अपेक्षित सूचना, गुजरात सरकार तथा अन्य सम्भावित सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का कार्यकरण

5559. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) कितनी नई बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं को चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ किया गया था और उन्हें पूरा करने के निर्धारित वर्षों का व्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितनी परियोजनायें निर्धारित समय में पूरी हो गई हैं; और

(घ) निर्धारित समय के अनुसार जिन मामलों में कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) योजना-पूर्व अवधि की स्कीमों के अलावा, इस समय 448 बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चालू हैं, जो 1951 से योजनाओं के शुरू होने के समय से हाथ में ली गई थीं। और भी बहुत-सी परियोजनाओं से आंशिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं हालांकि वे पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई हैं। जो लघु स्कीमें चालू हैं उनमें भूतल जल-संचय और व्यपवर्तन स्कीमें, नलकूप, कुएं, तालाब और पम्पसेट आदि स्कीमें शामिल हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक है।

(ख) और (ग) कई लघु स्कीमों के अलावा, 75 नई बृहद् और मध्यम स्कीमें चौथी योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई थीं। पांचवीं योजना के दौरान अब तक 235 नई बृहद्/मध्यम स्कीमें अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लघु स्कीमें पंचायतों द्वारा और व्यक्तिगत तौर पर भी क्रियान्वित की जाती हैं। आम तौर पर लघु स्कीमों के लिए थोड़े परिव्यय की आवश्यकता होती है और ये 1 से 3 साल में पूरी हो जाती हैं। बृहद् और मध्यम स्कीमों के लिए बड़े परिव्यय की आवश्यकता होती है तथा उनके निर्माण का कार्यक्रम सामान्यतः धनराशि, मजदूरी, निर्माण-सामग्री की उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण और इसके परिणामस्वरूप पुनर्वास संबंधी समस्याओं, विभिन्न संरचनाओं की नीवों के भू-विज्ञान, आदि पर निर्भर करता है। इसलिए, इन बातों के कारण उनके निर्माण के कार्यक्रम में बार-बार परिवर्तन किया जाता है और इन स्कीमों के पूर्ण होने की ठीक-ठीक तारीख बताना मुश्किल है। चौथी योजना अवधि में शुरू की गई अधिकतर बृहद् परियोजनाओं के मामले में पहले यह तय किया गया था कि ये पांचवीं योजना के अन्त तक पूरी की जाएंगी। इनमें से कई परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हो जाने की संभावना है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, उम्मीद है कि चौथी योजना अवधि में शुरू की गई बृहद् स्कीमों में से 4 स्कीमें चालू योजना के अन्त तक पूरी हो जाएंगी। पांचवीं योजना अवधि के दौरान अब तक शुरू की गई नई स्कीमों के मामले में अभी इतनी जल्दी यह बताना सम्भव नहीं है कि उनके क्रियान्वयन में विलम्ब होगा या नहीं।

(घ) निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण हैं : अपेक्षित धन-राशि का और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न होना, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूरा होने में अधिक लम्बा समय लग जाता है जिसके दौरान कीमतों में वृद्धि हो जाती है; इसके अलावा अन्य कारण हैं : अपर्याप्त अन्वेषण, कार्यान्वयन के दौरान परियोजना के कार्य-क्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास समस्याएं आदि।

कंडारकोट्टाई का काजू क्षेत्र

5560. श्री बी० एस० एलनवेजियन: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुदुकोराह जिले के कंडारकोट्टाई के काजू उत्पादन क्षेत्र की महत्ता से अवगत है ;

(ख) क्या सरकार के पास उस क्षेत्र में काजू परिष्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ताकि काजू के पर्याप्त उत्पादन का पर्याप्त उपयोग हो सके और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। पुदुकोराह जिले के कंडारकोट्टाई क्षेत्र में काजू उगाया जाता है।

(ख) चूंकि देश में काजू की संस्थापित परिष्करण क्षमता और परिष्करण हेतु कच्चे काजू की उपलब्धि में पहले ही बहुत बड़ा अन्तर है, अतः सरकार का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही परिष्करण उद्योग में किसी प्रकार की वृद्धि करने में बारे में वह विचार ही कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Unapproved Colonies in Delhi

5561. **Shri Satish Agarwal** : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the names of the unapproved colonies in Delhi and names of those out of them which have been approved by him ;

(b) the proposed charges to be collected by Government from residents who had built houses in the colonies which are being approved and the time by which water and bus facilities would be provided and also the arrangements for Higher Secondary Schools and hospitals would be made there ;

(c) whether Government have provided improved bus facilities to the Jhuggi dwellers resettled in farflung areas to enable them to reach their place of work and back in the morning and evenings if not, the reasons therefor ; and

(d) Whether all the persons resettled were holding plot slips and the number of those who are having plot slips with them but allotments have not been made to them and the reasons therefor with full details in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Two lists, one of unapproved colonies in Delhi and the other of approved colonies are attached herewith. [Placed in Library See No. L.T.—881/77]

(b) The charges to be recovered from the residents who had built houses in the colonies to be regularised have not been determined so far.

Water mains have already been laid in 32 unauthorised colonies.

As regards bus facilities, Higher Secondary Schools and Hospitals, information is being collected from the DTC and Delhi Administration as these matters concern them. No time limit can be indicated at present, as to when water, bus, school and hospital facilities can be provided to all these colonies.

(c) The information is being collected from DTC.

(d) D.D.A. has reported that all the persons who were issued demolition slips were simultaneously allotted plots in Resettlement Colonies at the time of clearance operation. Details of the persons who had not availed of the offer of allotment of alternative plots in Resettlement colonies or elsewhere and had kept the demolition slips with them are not available. However, as and when some person holding valid demolition slip presents the same, he is accommodated in Resettlement Colonies where the plots are available.

चावल और चीनी के स्टॉक की समस्या

5562. श्री हर्षिण्स्टोन लिंगडोह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1977 को केन्द्रीय गोदामों में विभिन्न राज्यों को वितरण के लिए दिए जाने वाले चावल और चीनी का स्टॉक की क्या स्थिति थी ;

(ख) 30 जून, 1977 को शिलांग के गोदाम में स्टॉक की क्या स्थिति थी; और

(ग) क्या यह सच है कि मेघालय को घटिया किस्म का चावल और चीनी भेजी गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास केंद्रीय स्तर पर 30 जून, 1977 को लगभग 37.85 लाख मीटरी टन चावल और लगभग 1.5 लाख मीटरी टन चीनी का स्टॉक था।

(ख) शिलांग गोदाम में 30 जून, 1977 को 850 मीटरी टन चावल और 87 मीटरी टन चीनी का स्टॉक पड़ा था।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष की नई नियुक्ति

5563. श्री बापूसाहेब परुलेकर :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जगमोहन को राष्ट्रीय नगर-कार्य संस्थान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या संजय गांधी के साथ-साथ श्री जगमोहन आपात स्थिति के दौरान नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के उस कार्यक्रम के एक मुख्य निर्माता थे, जिस से लोगों के दिलों में भय व्याप्त हो गया। हजारों लोगों के दिल में कड़वाहट भर गई और उन्हें बेघर-बार कर दिया; और

(ग) यदि हां, तो क्या श्री जगमोहन की नई नियुक्ति उनकी आपात स्थिति की कार्यवाहियों के पुरस्कार के रूप में की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) श्री जगमोहन को सीनियर रिसर्च फ़ेलो के रूप में नियुक्त किया गया है न कि इन्स्टीट्यूट के [इन्चार्ज] के रूप में।

(ख) 25 जून, 1975 को आपात स्थिति के घोषित होने के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में गन्दी बस्ती सफाई, अतिक्रमणों को हटाना, गिराना, संवारण के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने एक तथ्य अन्वेषण समिति का गठन किया है। अन्वेषण समिति का एक विचरणीय विषय 'संवारण कार्यक्रम' है। इस विषय पर समिति के जांच परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी।

(ग) ऐसा कहना ठीक नहीं है।

विद्यार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समाज कार्य

5564. श्री पी० बी० नरसिम्ह राव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को बन्द करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी समाज कार्य, विशेष रूप से जनसाक्षरता आदि उत्पन्न कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इसे कब शुरू किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Suicide By Scientist of I.C.A.R.

5565. Shri Ram Naresh Kushwaha : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item under the caption "Fanshi Lagakar Atmahatya" (suicide by hanging) published in the 'Nav Bharat Times' dated the 20th July;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether two Scientists in Indian Council of Agricultural Research have committed suicide earlier also and whether Government propose to appoint, a Parliamentary Commission to enquire into the causes of the repeated suicides committed by the employees and scientists there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Agriculture and Irrigation : (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

One Shri A. D. Grover, a Senior Clerk in the Indian Agricultural Research Institute, committed suicide at his residence in Rani Bagh, Shakurbasti, on 13-7-1977.

(b) The reasons for the suicide are not known. Shri Grover has not left any note behind. He also had no problem relating to his service.

(c) & (d) Since the establishment of the I.C.A.R. in 1929, 3 scientists and 2 other employees are known to have committed suicide. The causes of the suicide of 3 of them could not be known. Out of the two remaining cases, one case was enquired into by a Deputy Secretary of the Ministry of Food & Agriculture, followed by a detailed examination by the then Cabinet Secretary. In the case of Dr. Vinod Shah, the matter was looked into by the ICAR Inquiry Committee appointed by the Government of India in 1972, and the recommendations of the Committee have been implemented with such modifications as were deemed necessary by Government. Therefore there appears to be no justification for appointing a new Commission to look into these cases.

बालाघाट (मध्य प्रदेश) में बाढ़ के कारण हुई क्षति

5566. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में बाढ़ के कारण 8 गांव बह गए जिनसे 20 हजार एकड़ भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो गई, 100 से अधिक ढोर खो गए और हजारों लोग बर्बाद हो गए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संकट की घड़ी में राज्य को केन्द्रीय सहायता देने का है ताकि प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बालाघाट जिले में 4 जुलाई से 6 जुलाई 1977 तक मूसलाधार वर्षा होने के फलस्वरूप आठ गांव प्रभावित हुए थे, 102 घरों को क्षति पहुंची और 69 पशु खो गए थे। किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। राज्य सरकार द्वारा फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को अब तक 10,950 रुपए का नगद अनुदान दिया गया है और घरों की मरम्मत के लिए लकड़ी की मुफ्त सप्लाई की गई है। लेकिन एक अप्रैल, 1974 से राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं में राहत की वित्त-व्यवस्था करने के लिए गैर-योजना प्रकार की कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती और इस व्यय की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा उनको केन्द्र द्वारा पहले से अधिक दी जाने वाली मॉर्गिन धन-राशि द्वारा तथा उनके अपने साधनों से की जानी होती है।

नई दिल्ली में राजनीतिक दलों को अलाट किये गये बंगले

5567. श्री मोहनलाल पिपिल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नई कांग्रेस, कांग्रेस संगठन और जनता पार्टी को अपनी पार्टी का काम करने के लिए कुल कितने बंगले तथा अन्य भवन तथा उनके कुर्सी क्षेत्रफल सहित दिए गए हैं; और

(ख) क्या उपरोक्त अवॉटन पार्टियों को संसद् तथा अन्यत्र प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुपात में हैं ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) पार्टी का नाम	एककों की संख्या	वर्ग मीटरों में वास्तविक रिहायशी क्षेत्र
1. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी	4	1424.30
	4	टाइप-I
2. संसद् में कांग्रेस (ओ) पार्टी	2	73.00
3. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी	2	166.00
4. संसद् में कांग्रेस पार्टी	7	328.00
	2	टाइप-I

जनता पार्टी को इस प्रकार कोई एकक आवंटित नहीं किया गया है

**रिहायशी क्षेत्रों में नर्सिंग होम तथा क्लिनिक चलाने वाले डाक्टरों पर
मुकदमा चलाया जाना**

5568. डा० सुशीला नायर

डा० लक्ष्मीनारायण :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिहायशी क्षेत्रों में नर्सिंग होम तथा क्लिनिक चलाने वाले डाक्टरों पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि यदि रिहायशी क्षेत्रों के डाक्टरों द्वारा चलाये जा रहे क्लिनिक और नर्सिंग होमों को हटा दिया जाता है तो उससे नागरिकों को कठिनाई होगी; और

(ग) यदि इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही किए जाने का विचार है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कठिनाइयों से बचने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा निम्नांकित फैसला किया है :

(i) क्लिनिक: रिहायशी परिसरों को क्लिनिक के लिए उपयोग में लाया जा सकता है यदि इस प्रकार के उपयोग के लिए 500 वर्ग फुट का क्षेत्र अथवा परिसर के निर्मित क्षेत्र का 25 प्र०श० इनदोनों में से जो भी कम हो वह है तथा डाक्टर उस परिसर में रहता हो।।

(ii) नर्सिंग होम: रिहायशी क्षेत्रों में सामान्यतः इनकी अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी व्यक्तिगत मामलों में कुछ शर्तों के आधार पर जब तक कि ये होम किसी अनुरूप भवन/क्षेत्र में नहीं चले जाते, दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए अस्थाई अनुमति दी जा सकती है।

गोआ, दमण और दीव के विकास की वृहद् योजना

5569. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमण और दीव सरकार ने उस राज्य क्षेत्र के विकास की वृहद् योजना के बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब प्रस्तुत की गई थी; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गोआ, दमण और दीव सरकार ने गोआ जिले के विकास के लिए क्षेत्रीय प्लान बनाने में तकनीकी सहायता की मांग की थी।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार के नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा योजना तैयार की गई और इसे अप्रैल, 1977 में गोवा, दमण और दीव को भेज दी गई थी। अपने नगर तथा ग्राम योजना अधिनियम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इस योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

Indian Citizenship for Refugees in Camps

5570. **Shri Chaudhary Motibhai** : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of refugees in different refugee camps in India who have not been granted Indian citizenship and the years for which they have been living in camps ;

(b) the expenditure incurred on them annually and the total expenditure incurred so far on this account ;

(c) the objection Government have in granting Indian citizenship to these refugees ; and

(d) the steps taken by Government to grant them Indian citizenship soon ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The total number of refugee families in camps is 14,671, comprising 4,485 migrant families from former East Pakistan since 1970, and 10,186 families of Pakistan nationals who had crossed over during Indo-Pak conflict, 1971.

(b) The total annual expenditure is about Rs. 376.00 lakhs, comprising Rs. 126.00 lakhs for the migrants and Rs. 250.00 lakhs for the Pakistan nationals. The total expenditure incurred on this account is Rs. 15,329.82 lakhs upto 1976-77, the break-up being Rs. 14,284.00 lakhs for the migrants and Rs. 1,045.82 lakhs for the Pakistan nationals.

(c) There is no objection so far as the migrants are concerned, as they are eligible to be registered under the Indian Citizenship Act, 1955, as per conditions laid down therein.

Regarding the Pakistan nationals, Government has not yet looked at the question from this aspect.

(d) The Home Ministry and the Department of Rehabilitation have issued instructions from time to time to the State Governments to expedite granting citizenship to the eligible migrants as per provisions of the Citizenship Act, 1955.

केरल के कन्नानोर जिले के लिए गहन ग्रामीण विकास योजना

5571. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहन ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चयन किए गए जिलों में केरल का कन्नानोर जिला भी एक है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि अब तक कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) केरल का कन्नानोर जिला 'समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत चुने गए जिलों में से एक है न कि गहन ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, क्योंकि इस नाम की कोई योजना नहीं है।

(ख) इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके, ग्रामीण इलाकों में कृषि पर आधारित, वन पर आधारित तथा ग्रामीण तथा लघु उद्योग स्थापित करके, कृषि, पशुपालन तथा डेरी, कुक्कुट पालन तथा सूअर-पालन को बढ़ावा देकर, लघु तथा सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, बटाईदारों तथा काश्तकारों और ग्रामीण कारीगरों के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ करके और स्वतः रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देकर 'गरीब ग्रामीणों' तथा लाभहीन वर्गों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

कार्यक्रम के दोसोपान हैं अर्थात् (1) चुने जिलों के लिए संसाधन सूचियां तथा कार्यवाही योजनाएं तैयार करना, और, (2) कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। कन्नानौर जिले के लिए समन्वित संसाधन सूची तैयार करने का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई० ए० आर० आई० को सौंपा गया है जो कि यह कार्य राज्य सरकार के सहयोग से कर रहा है। इस कार्य के शीघ्र पूरा होने की संभावना है। संसाधन सूची के विश्लेषण से अनेक कार्यवाही योजनाओं का पता चलेगा जिन्हें राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

‘हीट प्रेसड् गार्नेटों’ का विकास

5572. डा० हेनरी आस्टिन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इस्टीमेट्स आफ टेक्नालोजी, बम्बई पहली बार ‘हीट प्रेसड् गार्नेटों’ का निर्माण करने में सफल हुआ ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं : और

(ग) क्या विकसित प्रौद्योगिकी से देश की आवश्यकता पूरी होने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) । जी हां

(ख) इन गार्नेटों का उपयोग आइसोलेटर तथा सर्क्यूलर जैसे तीव्र शक्ति वाले फेराइट यंत्रों में किया जाता है, जिन्हें बाद में उपग्रह, रेडार तथा अन्य सूक्ष्मतरंग-संचारों में इस्तेमाल किया जाता है। इन गार्नेटों की उपयोगिता के रूप में तुलना ऐसी ही उस सामग्री के साथ की जा सकती है जो इस समय विकसित देशों से उपलब्ध है।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के अनुसार, यदि उत्पादन एजेन्सियां उक्त तकनीक को अपना लेती हैं, जो विकसित की जा चुकी हैं, तो देश की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करना कठिन नहीं होगा।

Hidden Treasure in Rijani Hillock in Jhunjhunu District Rajasthan

5573. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether a huge treasure lies hidden in Rijani hillock in Jhunjhunu District in Rajasthan :

(b) whether there is a rock inscription inside a high rock of the hillock, which is illegible ;

(c) whether some persons have found coins of olden days on this hillock which confirm that a treasure lies hidden in the hillock; and

(d) if so, facts thereof ?

The minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

(a) No such evidence has so far been brought to the notice of the Archaeological Survey of India.

(b) Yes, Sir.

(c) No such information has been brought to the notice of the Archaeological Survey of India.

(d) Does not arise.

**राज्यों को काजू के उत्पादन, परिष्करण विपणन और निर्यात के लिए
केन्द्रीय सहायता**

5574. श्री समर गुहः क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के उन्नत उत्पादन, परिष्करण विपणन और निर्यात के लिए सरकार विभिन्न राज्यों की प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त केन्द्रीय सहायता के आकड़ों का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में भी काजू का उत्पादन होता है ; और

(घ) यदि हां, तो काजू के उत्पादन के लिए वहां केन्द्रीय सहायता उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । केन्द्रीय सरकार काजू के उन्नत उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए प्रति वर्ष सहायता देती रहती है। काजू के परिसंस्करण तथा विपणन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, भारत सरकार काजू की गिरियों के निर्यात पर पांच प्रतिशत की दर से आयात के रूप में क्षति पूर्ति करती रहती है।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान काजू के विकास के लिए निम्नांकित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चिह्नित की जा रही हैं :

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य
1	2
1. उत्पादकों के बगीचों में प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था	योजना का उद्देश्य एक ही प्लाट में उन्नत फार्म— तकनीकों, अर्थात् खाद देने तथा वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाने से होने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में प्रदर्शन करना है।
2. वनस्पति वर्धन के जरिये काजू में सुधार लाना	इस योजना का उद्देश्य नये उगने वाले काजू के पौधों को (जो कम उपज वाले अंकुरों से पूर्ण है) स्वरखने, पैवन्दी चश्मा चढ़ाने या छिलका उतार कर कलम बांधने या बगली कलम बांधने के द्वारा वर्धनशील उत्पादन की तकनीक अपनाकर नये पैदा हुए काजू के पौधों में सुधार लाना था ताकि उनको अधिक उपज देने वाले पेड़ों में बदला जा सके।
3. आनुवांशिक उद्यानों की स्थापना	इस योजना का उद्देश्य देश में अनुसंधान केन्द्रों में विकसित उन्नत बीजों और मिजि बगीचों में स्थिति

1	2
	अधिकउपज देने वाले प्रमाणित पेड़ों से पैदा किये गये काजू के 'क्लोनल' बगीचों की स्थापना करना है जो भविष्य में धन हेतु बड़े पैमाने पर इकाई के रूप में काम आ सकें।
4. (1) विभागीय क्षेत्रों में पैकेज कार्यक्रम के लिये विशेष योजना।	इस योजना का उद्देश्य काजू के पौधों की उत्पादकता में वृद्धि करना था।
(2) चौथी योजना के दौरान 4000 है० में लगाए गए काजू के पौधों की देखरेख	इस योजना का उद्देश्य चौथी तथा पांचवीं योजना में क्रियान्वित किये गए विशेष क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4000 हैक्टर में लगाये गये नये पौधों की देखरेख करना है।
5. विभागीय एवं गैर विभागीय क्षेत्रों में आर्थिक सहायता देकर काजू के पौधे लगाना (145000 हैक्टर क्षेत्र में रोपाई करने का प्रस्ताव है और दी जाने वाली आर्थिक सहायता 5.5 करोड़ रुपये है)	मौजूदा पौधों की उपज में सुधार लाना तथा नये क्षेत्रों में श्रेष्ठ किस्म के पौधों की रोपाई करना।
6. अच्छी किस्म के काजू के बीजों का एकत्रीकरण तथा आंध्र प्रदेश में उनका वितरण	इस योजना के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाले पेड़ों से प्राप्त गिरियों को, उत्पादक पौध लगाने के लिए, एकत्र करने तथा उनका उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है।

पांचवीं योजना के दौरान काजू उगाने वाले विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायताकाविवरण निम्नलिखित प्रकारसे है:—

(रुपये लाखों में)

राज्य	पांचवीं योजना का कुल परिव्यय	स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण			
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1. केरल	112.553	6.392	7.597	25.442	25.693
2. कर्नाटक	56.619	6.775	5.087	12.587	12.532
3. आंध्र प्रदेश	28.002	7.392	5.027	7.671	15.482
4. तमिल नाडु	82.208	8.293	9.687	18.648	21.921
5. उड़ीसा	130.348	8.683	7.867	27.522	30.648
6. महाराष्ट्र	47.458	1.949	4.237	11.322	12.303
7. गोवा	29.931	0.764	1.200	6.232	5.892
8. पश्चिम बंगाल	1.048	—	0.450	0.272	0.372

पांचवीं योजना के दौरान काजू उगाने वाले विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता के आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से हैं।

(हमारे लाखों में)

राज्य	दी गई राशि का वर्षवार विवरण			
	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78*
1. कर्नाटक	—	3.12	16.84	25.693
2. कर्नाटक	5.16	2.77	7.79	12.532
3. आंध्र प्रदेश	6.86	3.59	8.31	15.482
4. तमिलनाडु	7.70	7.01	13.1	21.921
5. उड़ीसा	7.00	7.54	9.55	30.648
6. महाराष्ट्र	0.86	1.34	2.15	12.303
7. गोवा	—	0.17	0.73	5.892
8. पश्चिम बंगाल	—	—	0.25	0.372

*सन् 1977-78 के लिए स्वीकृत परिव्यय

(ग) जी हाँ।

(घ) पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए काजू विकास हेतु निम्नांकित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :

(1) उत्पादकों के बगीचों में प्रदर्शन के लिए प्लाट बनाना।

(2) पौद के बगीचे स्थापित करना।

जिला स्तर पर योजना को क्रियान्वित करने का कार्य राज्य सरकार का उत्तदायित्व है।

उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता

5575. श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों की प्रति वर्ष आवश्यकता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) क्षेत्रीय सम्मेलन में लागू हुए अनुमान के अनुसार खरीफ 1977 के लिए उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता के विषय में एक विवरण संलग्न है। रबी 1977-78 के लिए इसी प्रकार के आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन 22 लाख मीटरी टन व पो₂ओ₅ का उत्पादन 7.20 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है। देश में पोटाश का उत्पादन नहीं होता।

विवरण

खरीफ 1977 के लिए उर्वरकों की आवश्यकता

(क्षेत्रीय सम्मेलन में लगाए गए अनुमान के अनुसार)

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जिस बाई)	एन	पी	के	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिणी क्षेत्र :				
आन्ध्र प्रदेश	160000	54000	15000	229000
केरल .	20800	15500	14600	50900
कर्नाटक	100000	36000	25000	161000
तमिलनाडु	122000	35000	35000	192000
पांडिचेरी	2900	1300	1200	5400
काफी बोर्ड	9700	4500	6500	20700
रबर बोर्ड .	3000	2900	2600	3500
इलायची बोर्ड	600	1200	600	2400
टी बोर्ड .	6000	2000	4000	12000
योग .	425000	152400	104500	681900
पश्चिमी क्षेत्र :				
गुजरात .	76544	44837	14937	136318
मध्य प्रदेश	52000	24000	4000	80000
महाराष्ट्र	130000	60000	65000	225000
राजस्थान .	31000	6000	1200	38200
गोवा दमन तथा दीव	2000	1200	800	4000
दादरा तथा नगर हवेली .	80	25	5	110
योग	291624	136062	85942	513628

1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र :				
हरियाणा	60000	8000	3000	71000
पंजाब	100000	42500	6000	148500
उत्तर प्रदेश	243000	38000	19000	300000
हिमाचल प्रदेश	4500	1200	850	6550
जम्मू व कश्मीर	8000	2100	600	10700
दिल्ली	940	152	68	1160
चण्डीगढ़	507	39	26	572
योग	416947	91991	29544	538482

Community Development and Rural Reconstruction Programmes

5576. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the community development and rural reconstruction programmes upto 1976-77;

(b) the extent to which the rich people and the people living below poverty line have been benefited therefrom, separately ; and

(c) in cases the rich people have been benefited more the scheme proposed to be implemented to ensure benefit to the common man ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Tribal and Community Development Blocks

5577. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government are planning to bring changes in the working of Community Development Blocks and Tribal Development Blocks functioning in different States; and if so, outlines thereof; and

(b) whether granting of more financial assistance is being considered for the Development of Blocks in order to accelerate the progress of rural development works through the existing Blocks ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Community Development is a State subject. Government have so far no plans to bring about changes in the working of Community Development Blocks. As regards Tribal Development Blocks, these have been discontinued. Instead of these Blocks, Tribal Sub-Plans have been prepared by the various States to cover areas with 50% tribal population. Under the Tribal Sub-Plan 155 Integrated Tribal Development Projects have been prepared to accelerate the Development of Tribals.

(b) It is proposed to give additional financial assistance during this year to the following programmes :—

(i) Rs. 20 crores for rural link roads;

(ii) Rs. 40 crores for rural water supply schemes.

For the development of 155 I.T.D.Ps. in the States an amount of Rs. 190 crores have been earmarked for the schemes under Tribal Sub-Plan during the Fifth Five Year Plan.

कोरापुट में केन्द्रीय विद्यालय

5578. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार उड़ीसा के कोरापुट जिले में सूनावेड और कोरापुट के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) उड़ीसा के कोरापुट जिले में अभी केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल) खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा मार्गजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया।

कोरापुट में कालेज खोलना

5579. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निजी संस्थाओं के संचालन वाले कालेजों विशेषकर उड़ीसा राज्य के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे कालेजों को समस्याओं का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान के लिए उपर्युक्त समझा गया ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर विचार किया है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में किस-किस कालेज का विकास किया जाना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा सरकार से यह बताने का अनुरोध किया गया कि राज्य में किन-किन कालेजों को राज्य के पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पांचवी योजना के दौरान विकसित किया जाए। इस प्रयोजन से राज्य सरकार ने 19 कालेजों की सिफारिश की है। आयोग ने अब तक ऐसे छः कालेजों की सहायता करने की स्वीकृति दी है।

(ग) राज्य सरकार ने कोरापुट जिले में चार कालेजों की सिफारिश की थी। इनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः आयोग से सहायता नहीं पा सकता है। शेष तीनों कालेजों के प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोरापुट, उड़ीसा में वन, पशुपालन तथा सिंचाई के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

5580. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में बनों, पशुपालन तथा सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने ऋण मंजूर कर दिया है; और

(ग) कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में वानिकी, पशु-पालन और सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं मांगा है ।

तथापि, उड़ीसा सरकार ने 'उड़ीसा कृषि विकास परियोजना' नामक एक परियोजना सम्बन्धी करार दिया है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो विश्व बैंक से संबद्ध है, कुल दो करोड़ डालर का ऋण देगा। यह परियोजना सारे उड़ीसा राज्य के लिए है, किसी जिले विशेष के लिए सीमित नहीं है। परियोजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(क) कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना तथा मजबूत बनाना और उसे कृषि अनुसंधान से जोड़ना :

(ख) कृषि अनुसंधान को मजबूत बनाना तथा उसका पुनर्नवीकरण करना, जिसमें अनुकूल अनुसंधान एवं खेत के परीक्षण शामिल है।

(ग) विस्तार कार्यकर्ताओं को सेवा से पूर्व प्रशिक्षण देना तथा सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

(घ) फार्म ऋण के आधार हेतु सुव्यवस्थित ढंग से भूस्वामित्व और पट्टेदारी के निर्धारण के लिए उन्नत एवं अधिक भू-सर्वेक्षण करना तथा भू-अभिलेख की प्रणालियां तैयार करना :

(ङ) पशुओं से खींचे जाने वाले उन्नत फार्म उपस्करों के डिजाइन, परीक्षण प्रदर्शन तथा वितरण के लिए सहायता देना।

(च) भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा मोनिटरिंग: बैकल्पिक प्रकार के उयले नलकूपों तथा पम्पिंग तकनीकों का अनुसंधान, डिजाइन, संस्थापन तथा उनका फील्ड परीक्षण करना।

(छ) फार्म व्यवस्था के आंकड़ों के संचयन तथा कृषि आंकड़ों के मूल्यांकन तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने तथा आंकड़ों के परिसंस्करण के लिए सहायता देना।

यह करार 28 जून, 1977 से प्रभावी हुआ है।

Pay Scales of University and College Physical Education Teachers

†5581. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether he has received a memorandum from All India Federation of University and College Teachers of Physical Education in which they have stated that putting them into 5 categories in matter of pay-scales is discriminatory; and

(b) whether Teachers of other subjects have also been put into many categories on this basis and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) and (b) Yes, Sir. On the recommendations of the University Grants Commission, Government have approved an improved uniform scale of Rs. 700—1600 for all Lecturers in the universities and colleges. In the case of Directors/Instructors of Physical Education, the Government had agreed to sanction only the replacement scales recommended by the

Third Central Pay Commission for corresponding scales of pay in Central Government services. Since the Directors/Instructors of Physical Education in Universities and colleges were on five different scales of pay on December 31, 1972, the Government have approved five revised scales, corresponding to each one of them. The representations made by the Associations of Physical Education Personnel are, however, under examination in consultation with the University Grants Commission.

Grant Celebrating "Manas Chaturshati and Soorpanchshati"

†5582. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state ;

(a) whether any organisation celebrating "Manas Chaturshati" was given a grant by the Ministry ;

(b) if so, the name of that organisation indicating the names of the office bearers thereof and the amount of the grant given to it ;

(c) whether Government have received the audited account of the expenditure met out of the grant ; and

(d) whether an application for grant has been received by the Ministry from an organisation celebrating 'Soorpanchshati' and if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):

(a) No. Sir.

(b) and (c) Does not arise.

(d) The Government have received requests for financial assistance from the under-mentioned organisations for various programmes in connection with Sur Panchashati :—

(i) Sur Panchashati Rashtriya Samaroh Samiti, Mathura.

(ii) Sur Memorial Committee, Sihi.

(iii) Sur Samarak Mandal, Agra.

Sur Panchshati Rashtriya Samaroh Samiti, Mathura, has already been given grant for printing the works of Mahakavi Surdas in English and Gujarati and its request for bringing out the works in Hindi and Telugu is under consideration.

As regards other programmes to be arranged to celebrate the Panchshati, the matter is under consideration of the Government.

मैसर्स ज्योतिन्द्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड द्वारा माल की सप्लाई

5583. **श्री शिव सम्पत्ति राय** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्बास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों को माल सप्लाई करने के लिये ज्योतिन्द्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड का नाम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में है,

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इस फर्म ने वस्तु उत्पादन किये बिना मई, 1977 में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षकोंसे मिल-मिला कर निरीक्षण नोट प्राप्त कर लिया और सप्लाई के लिये बैंक से 98 प्रतिशत अग्रिम राशि भी ले ली परन्तु सप्लाई अभी तक नहीं की गई है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन कदाचारों के लिये ज्योतिन्द्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। यह फ़र्म पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पंजीकृत है और जस्ती लोहे और काले साधारण इस्पात की ट्यूबें सप्लाई करने के लिये दर ठेके पर है।

(ख) जी, नहीं। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें निरीक्षण नोट में कोई हेराफ़ेरी की गई हो। फ़र्म द्वारा किसी बैंक से कोई अग्रिम धन राशि प्राप्त करने के बारे में भी सरकार को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि खरीदार के रूप में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का फ़र्म और उनके बैंकों के संबंधों से कोई वास्ता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रबन्ध, संस्थान, बंगलौर को केन्द्रीय सहायता

5584. श्री के० लक्ष्मणः क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई आरोप लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए गये थे :

1974-75	41.92 लाख रुपये
1975-76	55.25 ,, ,,
1976-77	54.50 ,, ,,

(ख) और (ग) कर्नाटक के महालेखापाल ने संस्थान के 1974-75 और 1975-76 के लेखों से संबन्धित अपनी जांच रिपोर्ट में संस्थान को वित्तीय तथा अन्य लेन देन के बारे में कुछ गलतियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया है। संस्थान ने विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां तैयार की हैं जिन्हें सुसंगत पद्धति के अनुसार कर्नाटक के महालेखापाल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं

5585. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को शहरों में जाकर रहने के लिए विवश करने की अपेक्षा उन्हीं के अपने वातावरण में शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधायें देने के मार्गोपाय निकालने की आवश्यकता महसूस की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) यह प्रश्न शायद विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में है। अशक्त और रोजगार में लगाए जाने के अयोग्य व्यक्तियों को

राहत पहुंचाना राज्य विषय हैं। तो भी, भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों से संबन्धित संगठनों को सहायता देने की योजना के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य सेवाओं के विकास को बढ़ावा देती है। उस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत-स्वयंसेवी संगठन विकलांग व्यक्तियों के अपने स्थानों पर उनके कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अधिकतर स्वयंसेवी संगठन नगरों में स्थित हैं। परन्तु भारत सरकार राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करके इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को विस्तृत करने की चेष्टा कर रही है कि इस योजना के लाभ उन क्षेत्रों में भी प्रदान करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं, जिनमें ये लाभ या तो प्राप्त नहीं हैं या आंशिक रूप से प्राप्त हैं। नगरों में आकर बसने की समस्या ऐसी समस्या है, जिसका सम्बन्ध ग्रामीण बेरोजगारों के सभी वर्गों से है।

Renovation of Archaeological Monuments

†5587. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether Government have plans for the renovation of archaeological monuments of tourist interest ;

(b) the number of such monuments proposed to be renovated, State-wise ; and

(c) the expenditure to be incurred on this account State-wise ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

(a) All Archaeological monuments including those of tourist interest which are declared to be of National importance are preserved in accordance with the principles of archaeological conservation which however, do not permit renovation.

(b) & (c) Do not arise.

कृषि उत्पादों की बिक्री के मामले में बिचौलियों को समाप्त करना

5588. **श्री वसन्त साठे :**

श्री रामानन्द तिवारी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों और जल्दी खराब होने वाले फलों की बिक्री और किसानों को नकद फसलों के लिए लाभप्रद तथा अच्छी कीमत दिलाने और दिलवाने के लिए बिचौलियों को समाप्त करने पर बचनबद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नकद फसलों के लिए समस्त देश में समान पद्धति के आधार पर एकाधिकार खरीद योजना अपनाने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) भारत सरकार की यह नीति है कि किसानों को लाभप्रद तथा अच्छी कीमत प्राप्त करने के योग्य बनाया जाए और उत्पादकों को अपने उत्पादों को सीधे अथवा उत्पादकों की सहकारी सोसायटियों के माध्यम से बेचने के लिए बढ़ावा दिया जाए। योजना कार्यक्रमों में अनुचित व्यापार पद्धतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से नियमित बाजारों का विकास करना शामिल है। केन्द्रीय सहायता नियमित बाजारों जिनमें नकदी फसल हेतु बाजार भी शामिल हैं, के विकास के लिए दी जाती है। उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कुछेक वस्तुओं के लिए मूल्य समर्थन कार्य भी शुरू किए जाते हैं। सम्पूर्ण देश में

सभी नकदी फसलों के लिए समान पद्धति के आधार पर एकाधिकार खरीद योजना अपनाने के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। सहकारी सोसायटियां तथा भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद तथा विपणन निगम जैसे अन्य विशेष निगम उत्पादकों की उनके उत्पाद की बिक्री तथा उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

Payment of Arrears to Music Teachers by Delhi Administration

†5589. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has not so far paid the arrears on account of revision of pay scales to the music teachers working for more than 8 years ; and

(b) whether his attention has been drawn to this case by some teachers ; if so, the action taken thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) According to the information received from Delhi Administration, arrears on account of revision of pay scales have been paid to all the senior music teachers. As regards the junior music teachers, the matter is under consideration and a decision is likely to be taken shortly.

Major Projects of Madhya Pradesh Included in Fifth Five Year Plan

†5590. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the names of major projects of Madhya Pradesh included in the Fifth Five Year Plan ; and

(b) the projects the work on which is in progress and the major projects which are likely to be completed as scheduled ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) Following six major/multipurpose approved schemes of Madhya Pradesh which spilled over from the earlier Plans are under execution during the V Plan :—

1. Chambal Stage—I
2. Chambal Stage—II
3. Mahanadi Reservoir
4. Tawa
5. Barna
6. Hasdeo R.B.C.

The Chambal Project (Stages I & II) is practically complete except for some extension and improvement works which are in progress. Other schemes are in an advanced stage of construction and have already started giving partial benefits of these, Barna & Hasdeo R.B.C. Projects are also likely to be completed by the end of the V Plan.

Small Farmers Development Agency in M.P.

5591. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of Small Farmers Development Agencies in Madhya Pradesh and since when these have been functioning there ; and

(b) the expenditure incurred on them till March, 1977 and the expenditure incurred thereon in Satna District and the number of such agencies in Satna District?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) There are 12 Small Farmers' Development Agencies functioning in Madhya Pradesh. These were set up on the dates shown below :—

Name of Agency	Date of Registration
1. Durg	3-2-1971
2. Raisen-Sehore	5-3-1971
3. Bilaspur	17-7-1970
4. Chhindwara	March, 1970
5. Ratlam-Ujjain	20-6-1970
6. Jabalpur	19-3-1975
7. Mandsaur	19-3-1975
8. Rajnandgaon	19-3-1975
9. Shahdol	19-3-1975
10. Sagar	19-3-1975
11. Satna	19-3-1975
12. Surguja	20-3-1975

(b) The Govt. of India had released grant-in-aid, since inception, upto March, 1977 to the tune of Rs. 715.34 lakhs to the above 12 Agencies. There is one Small Farmers' Development Agency functioning in Satna District. Grant-in-aid of Rs. 24.40 lakhs was released to this Agency upto 31st March, 1977.

पटसन, तम्बाकू, नारियल, कपास और मूंगफली के मूल्य

5592. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पटसन, तम्बाकू, नारियल, मूंगफली, कपास जैसे कृषि उत्पाद बाजार में किन मूल्यों पर बेचे जाते हैं; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों में उपरोक्त वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में ये मूल्य अधिक हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तथा (ख) चुने हुए महत्वपूर्ण केन्द्रों में पटसन, तम्बाकू, नारियल, मूंगफली तथा कपास के 22 जुलाई, 1977 को समाप्त होने वाले नवीनतम सप्ताह के थोक मूल्यों तथा गत तीन वर्षों के तदनुसूची मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण नीचे रख दिया गया है। यह द्रष्टव्य है कि मूंगफली तथा पटसन के नवीनतम थोक मूल्य गत तीन वर्षों के तदनुसूची मूल्यों की तुलना में ऊंचे हैं। नारियल के नवीनतम मूल्य 1976 तथा 1975 के तदनुसूची मूल्यों की तुलना में ऊंचे हैं, किन्तु ये 1974 के तदनुसूची मूल्यों से कम हैं। कपास और तम्बाकू के नवीनतम मूल्य गत तीन वर्षों के तदनुसूची मूल्यों के सामान्य रूप से अधिक हैं। किन्तु कुछ केन्द्रों पर कुछ किस्मों के नवीनतम मूल्य 1976 के मूल्यों की तुलना में कम हैं।

विवरण

मूंगफली, नारियल, कपास (लिनट), पटसन तथा तम्बाकू के थोक मूल्य

जिन्स	केन्द्र	किस्म	नीचे लिखी तारीख के मूल्य			
			नवीनतम	एक वर्ष पूर्व	दो वर्ष पूर्व	तीन वर्ष पूर्व
			सप्ताह 22-7-77	23-7-76	18-7-75	19-7-74
मूंगफली (रु० प्रति क्विंटल)	राजकोट	छिलके सहित	243	189	197	283
	बम्बई	बड़े आकार की साबुत	486 (8/7)	288	306	394
	हैदराबाद	बीज	456	293	313	385
	बिल्लीपुरम	टूटी हुई (बिना छिलके वाली)	453 (8/7)	280	317	333
नारियल (मूल्य रु० प्रति हज़ार)	कोचीन	चूरे सहित	900	700	625	975 (12/4)
	कलकत्ता बंगलौर	छिलके सहित बड़े आकार का	1050 950 (15/7)	1000 750	900 सू० न०	1150 1350
कपास (लिनट)	बम्बई	एच०-4	1518	1758	1020	1469
	बम्बई	320-एफ० अमरीकी	1301	1125	720	1040
	बम्बई	एल०-147	1378	1336	801	1206
पटसन (रु० प्रति क्विंटल)	नौगांव	डब्ल्यू०-5	213 (15/7)	148	145	120 (बाटम)
	कलकत्ता	डब्ल्यू०-5	225	190	174 (असम बाटम)	149 (असम बाटम)
तम्बाकू (गुन्टूर— मूल्य रु० प्रति किलोग्राम में)	गुन्टूर	एल बी वाई†	9.50 से 10.00	8.50 से 9.00	6.50 से 7.50	6.00 से 7.00
	गुन्टूर	एल बी वाई 2†	7.00 से 8.00	6.00 से 6.40	5.00 से 6.00	4.00 से 4.50
	वारंगल नाटू	(पहली छंटाई की)	1200	1400	800	760
	मंगलौर चिविंग	(सैन्डेड)	1250	1300	1150	900

सू० न० : सूचित नहीं किए गए ।

† फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया ।

केन्द्रीय रूई अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय भूमि सर्वेक्षण संस्था और केन्द्रीय कृषि विपणन परियोजना

5593. श्री बसन्त साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रूई अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय भूमि सर्वेक्षण संस्था और केन्द्रीय विपणन परियोजना तथा उनके मुख्यालय नागपुर में स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं तथा पांचवीं योजना में इन पर कुल कितना परिव्यय होगा और इसका वित्तीय ब्यौरा क्या है तथा वह कितने क्षेत्र पर लागू होगी और इसके उद्देश्य क्या हैं आदि;

(ग) वर्ष 1976-77 तक स्वीकृत परिव्यय क्या है और उक्त परियोजनाओं पर इस खर्च की तुलना में क्या उपलब्धि हुई तथा परियोजना उद्देश्यों में क्या उपलब्धि हुई; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिये पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि का उपबन्ध किया गया और उक्त परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां, श्रीमान।

1 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान

(ख)से (घ) यह संस्थान 1 अप्रैल, 1976 को नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थापित किया गया था। इस संस्थान का कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में एक क्षेत्रीय उपकेन्द्र है जो कि पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र था।

इस संस्थान का उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक शाखाओं जैसे पौध प्रजनन, कोषिका आनुवंशिकी, पौध शरीर क्रिया विज्ञान, सस्य विज्ञान, रोग निदान विज्ञान, कीट विज्ञान तथा रेशा प्रौद्योगिकी द्वारा भौतिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से कपास की फसल में सुधार करना है ताकि अन्त में इसमें कपास पैदा करने वाले और कपास उद्योग को सहायता मिल सके।

पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कुछ लागत 76.76 लाख रुपये रखी गयी है 1976-77 तक कुल स्वीकृत लागत 44.27 लाख रुपये है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 16 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इस व्यय का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—

1974-75 .	6.2 लाख रुपये
1975-76	18.97 ,, ,,
1976-77	19.10 ,, ,,
1977-78	16.10 ,, ,,
कुल	76.76 ,, ,,

उपलब्धियां :

यद्यपि यह संस्थान हाल में ही स्थापित किया गया है, इस संस्थान का उद्देश्य अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार प्रायोजना तथा कोयम्बटूर के क्षेत्रीय केन्द्र में किये जाने वाले पिछले काम को बराबर जारी रखना है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां ये हैं:

संसार भर से कपास की 2163 भिन्न-भिन्न किस्में अब तक एकत्र की गई हैं। इनमें से 16 किस्में काफी आशाजनक हैं।

एक नई किस्म जिसकी संख्या 1412 है, विकसित की गई है। यह सिंचाई वाली तथा बारानी दोनों ही स्थितियों में अनेक कपास वाले क्षेत्रों में अपनाये जाने योग्य होने के अलावा रोगरोधी, जल्दी पकने वाली और अधिक ओटाई वाली है।

मध्यम रेशे वाली कपास की अधिक उपज देने वाली और मध्यम क्वालिटी की किस्में भी विकसित की गई है।

पुनर्चयन तथा संकर प्रजनन द्वारा अपेक्षित रेशे की गुणों और उपजवाली नई इजिप्शियन कपास की किस्में (जो कि पहले ही रिलीज की गई किस्म सूविन से अच्छी है) तैयार की गई है और इस समय परीक्षण के उन्नत अवस्थाओं (अग्रिम चरण) में है।

एक अमेरिकन किस्म की कपास जिसके रेशे लम्बे, पौधे का आकार छोटा और ओटाई की प्रतिशत 38 है और जो लगभग 5 महीने में तैयार हो जाती है, विकसित की गई है।

दो संकर किस्मों का चयन किया गया है जिनमें नर अनुर्वर (अमेरिका से प्राप्त की गई) किस्म का प्रयोग किया गया है ताकि बीज उत्पादन की लागत घटाई जा सके। भारतीय पृष्ठभूमि यानी स्थितियों वाली नर अनुर्वर किस्मों को पैदा करने के प्रयत्न जारी है।

कपास की कीट व्यधियों पर भी काम किया गया है।

2. मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग योजना का राष्ट्रीय ब्यूरो

इस ब्यूरो की स्थापना पांचवीं योजना में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई है इस समय यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के परिसर में स्थित है। फिर भी इस ब्यूरो का स्थायी मुख्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) में होगा।

इस ब्यूरो का उद्देश्य मानकमृदा सर्वेक्षण करना और मृदाचित्र तैयार करना है तथा तहसील, जिला, राज्य और देश स्तर पर भूमि उपयोग योजना तैयार करना है और प्रयोग करने वालों के लिए व्याख्यात्मक चित्र उपलब्ध करना है। इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को जिलेवार चित्र दिये जायेंगे।

पांचवीं योजना के लिए कुल लागत और व्यय का वर्षवार वितरण निम्न प्रकार है :

पांचवीं योजना की लागत	2 करोड़ रुपये
1974-75 .	शून्य
1975-76 .	6 लाख रुपये
1976-77 .	24 लाख रुपये
1977-88 .	65 लाख रुपये
वर्ष 1976-77 तक अनुमोदित लागत	30 लाख रुपये
किया गया खर्चा .	5 लाख रुपये

भौतिक उपलब्धियां:

1975-76 दिल्ली संघ, उत्तरपूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के राज्यों में मृदा सर्वेक्षण तथा चित्र निर्माण : 11.93 लाख हैक्टर

1976-77 दिल्ली संघ, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उत्तरपूर्वी क्षेत्र का मृदा सर्वेक्षण तथा चित्र निर्माण : 16.23 लाख हैक्टर।

नागपुर में ब्यूरो के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र की भवन निर्माण योजना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसके व्यय के अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही यह भवन तैयार हो जायेगा नागपुर में इस ब्यूरो का मुख्यालय स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

3. केन्द्रीय कृषि विपणन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान

भारत सरकार ने नागपुर में पांचवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय कृषि विपणन तथा प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी है।

उद्देश्य :

इस संस्थान का दीर्घकालीन उद्देश्य विपणन प्रौद्योगिकी में सर्वांगीण सुधार लाना है। यह विपणन प्रौद्योगिकी शीघ्र खराब होने वाले उत्पादनों जैसे फलों और सब्जियों की बिक्री की एक कारगर प्रणाली विकसित करने से सम्बन्धित है ताकि देश में इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सके और इन्हें अधिक समय तक रखा जा सके।

इस उद्देश्य से इस प्रस्तावित संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

- (i) खराब होने वाले उत्पादनों की बिक्री के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित व्यावहारिक अनुसंधान ;
- (ii) खेतों की परिस्थितियों में, नई विधियों और तकनीकों की व्यावहारिकता तथा उपयुक्तता के लिए आरम्भिक परीक्षण ;
- [(iii) उन विधियों के अपनाने से मिलने वाले लाभ के विषय में सम्बन्धित एजेंसियों को विश्वास दिलाने के लिए सुधरी तकनीकों, विधियों और साज सामान का प्रदर्शन ; और
- (iv) सुधरे हुए तरीकों और प्रौद्योगिकी का परीक्षण ताकि दक्ष लोगों का एक संवर्ग (काडर) तैयार किया जा सके।

संस्थान के तात्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

- (i) नई विपणन सुविधाओं के रूप में स्थानीय पुर्जों जोड़ना और केन्द्रीय वितरण विपणन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देना।
- (ii) फलों और सब्जियों की बिक्री के लिए श्रेणीकरण, पैकिंग और संबन्धित उपचारों के लिए उन्नत साज-सज्जा को अपनाकर उनके प्रयोग करना।
- (iii) फलों और सब्जियों की पैकिंग के लिए तरीकों और डिब्बों का मानकीकरण।
- (iv) बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की दिशा में इन वस्तुओं का रेफ्रीजरेटिड परिवहन पर अध्ययन और प्रदर्शन करना।
- (v) खराब होने वाली बहुत-सी उपजों के लिए विशिष्ट भण्डार तकनीकों का विकास।
- (vi) समन्वित विपणन प्रणाली के विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता देना।
- (vii) नई विपणन तकनीकों को अपनाने के लिए विपणन माध्यमों और मंडियों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना तथा अनुसंधान से मिलने वाले संकेतों को परखने व उनकी पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रयोगों का गठन करना।

(viii) खराब होने वाली उपजों की बिक्री से सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों के प्रबन्धकों, विपणन तकनीशियनों तथा विभागीय कर्मचारियों को शिक्षण, प्रदर्शन तथा वास्तविक अनुभाग के द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं देना। आरम्भ में, यह प्रशिक्षण प्रायोजना की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जायेगा परन्तु बाद में यह एक सर्वांगीण प्रबंध प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रम का रूप लेगा।

कुल लागत :

इस प्रायोजना की कुल लागत 111.045 लाख रुपये आती है जिसमें भारत सरकार का सहयोग 36 लाख रुपये का है और यू एन डी पी की सहायता 75.045 लाख रुपये की है।

1976-77 की लागत :

स्वीकृत लागत 4.00 लाख रुपये थी। अभी यह तक योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। अतः अब तक कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

चालू वर्ष के लिए प्रावधान :

चालू वर्ष के लिए 8 लाख रुपये का प्रावधान है। संस्थान स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। 1976 में प्रायोजना प्रबंधक के पद के लिए श्री पीटर फ्रैंक पुर्सी की नामजदगी स्वीकार कर ली गई है। क्योंकि श्री पुर्सी ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन से त्याग पत्र दे दिया है, अतः यू एन डी पी ने प्रायोजना प्रबंधक के पद के लिए डा० एच० स्टेप्पे के नाम की सिफारिश की है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

डी० आई० जेड०, क्षेत्र नई दिल्ली में गैराजों को किराये पर उठाना

5594. श्री आर० बी० स्वामीनाथन: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को डी० आई० जेड०, क्षेत्र नई दिल्ली में सेक्टर डी० के श्रेणी I, II तथा III निवासियों की ओर से वहां के आवंटियों द्वारा अपने क्वार्टरों से संबद्ध गैराजों को किराये पर उठाये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या गैराजों में रहने वाले व्यक्ति इन गैरेजों को स्नानागार आदि के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे आस-पास अस्वच्छ वातावरण पैदा हो जाता है और वहां बीमारियां फैलने का खतरा है क्योंकि वहां काफी मच्छर पैदा हो गये हैं और सारी कालोनी में मलेरिया भी फैल रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं,

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Cultural Agreement Between India and Afghanistan

***5595. Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether as per cultural agreements reached between the Governments of India and Afghanistan, the Government of India have sent some Archaeologists to Afghanistan

for bringing about improvement and carrying out repairs in Bamiyan and other archaeological spots ; and

(b) if so, their number and with what aim and the extent of work completed by them so far and the work remains to be completed ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

(a) Yes, Sir.

(b) The number of officials sent since 1969 each year during the working season from May to October is as follows :

	for bamiyan	for balkh
1969	14	—
1970	14	—
1971	18	—
1972	21	—
1973	12	—
1974	6	—
1975	11	2
1976	15	3
1977	17	—

The aim of deputing the officers was to assist the Afghan Government in preserving and restoring the Buddhist shrines at Bamiyan and the Khwaja Parsa Mosque at Balkh.

Of the two groups of Buddhist shrines at Bamiyan under preservation, works on the group of the Small Buddha (38m. high) were taken up in 1969 and completed in 1973. Works on the group of the Big Buddha (55m. high) taken up thereafter are nearing completion. The works of repairing the Big Buddha image and securing some overhanging portions of the rock at various higher reaches are expected to be completed by the end of October, 1977.

The preservation of Khwaja Parsa Mosque at Balkh was taken up in 1975 and was completed in all respects in November, 1976.

Probe into Bungling Committed By Former Lt. Governor of Delhi

5596. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the former Lt. Governor (who was the Lieutenant Governor during Emergency) of Delhi had in the capacity as the Chairman of the D.D.A. acted against the rule in matters of allotment of houses and shops ;

(b) if so, whether Government are in favour of conducting probe into all sorts of bungalings committed during his tenure of office ;

(c) whether Government propose to appoint the Housing Minister as Chairman of the D.D.A.

(d) whether the former Congress Members of Parliament were also allotted land and houses by this Authority at concessional rates ; and

(e) if so, the names of Members of Parliament allotted land or houses by the D.D.A. during emergency and under what rules ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

- (a) Information is being collected.
- (b) Decision can be taken only when specific cases are brought to the notice of the Government.
- (c) There is no such proposal.
- (d) & (e) There are Government approved schemes whereby 2½% of the developed residential plots and 3% of the MIG flats of DDA are kept reserved for allotment to the Members of parliament irrespective of their party affiliations at pre-determined rates (i.e. cost of acquisition development and certain additional charges). The names of such of those M.Ps who happened to be Congress Members and who were allotted land and houses by DDA during emergency are being collected.

तिब्बती शरणार्थी

5597. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या निर्माण तथा आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में तिब्बत से आये शरणार्थी हैं ;
- (ख) उनकी संख्या कितनी है ; और
- (ग) क्या उनको बसाया गया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिक्कन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

- (ख) लगभग 56,000
- (ग) लगभग 49,000 तिब्बती शरणार्थी बसाए जा चुके हैं और अन्य बसाए जाने की प्रक्रिया में हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यायाम शिक्षकों के वेतनमानों में समानता की मांग

5598. श्री किशोर लाल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के व्यायाम शिक्षक यह मांग कर रहे हैं कि उनके वेतनमान प्राध्यापकों के वेतनमानों के समान बनाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो व्यायाम शिक्षकों और प्राध्यापकों के वेतनमान क्या हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यायाम शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) सरकार ने उनकी मांग के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के लिए 1 जनवरी, 1973 से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए संशोधित वेतनमान निम्नलिखित हैं:—

31-12-1972 को विद्यमान वेतनमान	वि०वि० अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतनमान	सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमान
1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
(1) 700-1250	1100-50-1600	1100-50-1600

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
(2) 400-950	700-40-1100-50- 1300	700-40-1100-50- 1300
(3) 400-800	वही	700-40-1100
(4) 300-600	वही	550-25-750-द०रो०- 30-900
(5) 250-400	425-15-500-द०रो०- 15-560-20-700	425-15-500-द०रो०- 15-560-20-700

लेक्चररों के लिए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, संशोधित वेतनमान निम्नलिखित :—
विश्वविद्यालय लेक्चरर 700-40-1100-50-1600 रुपये
कालेज लेक्चरर 700-40-1100-50-1300-मूल्यांकन 50-1600 रुपये

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शारीरिक शिक्षा के संकायों में अध्यापकों के संशोधित वेतनमान वही हैं जो अन्य संकायों में उनके प्रतिस्थानियों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ सहित शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के कुछ संघों द्वारा अभ्यावेदन दिए गए हैं जिनमें विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के बराबर वेतनमानों की मांग की गई है। इन अभ्यावेदनों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है।

Representation on behalf of Pracheen Kathputli Sangh

5599. Shri Lalji Bhai :

Shri K.A. Rajan:

Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether many representations have been submitted to Government on behalf of the 'Pracheen Kathputli Sangh' established near Shadipur Depot comprising Rajasthanis who earn their livelihood from handicrafts ; and

(b) if so, the main demands thereof and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) No such representation seems to have been received.

(b) Does not arise.

TO BE ANSWERED ON THE 1st AUGUST 1977

Levy Procurement of Wheat

5600. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the State-wise quantity of wheat procured by way of levy upto 30th June, 1977 during the current year ; and

(b) the target fixed for procuring wheat by way of levy in various states ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) Under the new Rabi marketing policy for 1977-78, no targets for the procurement of wheat have been fixed. The State Governments were advised to discontinue levy on producers and

traders and to purchase wheat by way of price support only. No levy on producers/traders is in force in any State except in Maharashtra, where levy is imposed on all agricultural land-holders paying land revenue exceeding Rs. 15/. Levy is, however, payable in paddy, jowar, bajra or wheat. Upto 30th June, 1977, a quantity of 5975 tonnes of wheat has been procured through levy in Maharashtra.

निर्धन महिलाओं तथा बच्चों के लिये शिल्प केन्द्र

5601. श्री के० मालन्ना : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड निर्धन महिलाओं के लिये शिल्प केन्द्र तथा पिछड़े क्षेत्रों तथा बस्तियों के बच्चों के लाभार्थ केन्द्र खोलने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को धन की मंजूरी देता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था को विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी-कितनी राशि दी गई और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन स्वयंसेवी संस्थाओं को किस आधार पर यह राशि दी जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक अलग योजना के रूप में शिल्प केन्द्रों को स्थापित करने के लिए अनुदान मंजूर नहीं करता है। तो भी, यह उन स्वयंसेवी संगठनों को बराबर के आधार पर सहायता उपलब्ध करता है जिन्होंने पिछड़े क्षेत्रों और बस्तियों में स्त्रियों और बच्चों के लाभ हेतु अपनी कुल कल्याण गतिविधियों में 'शिल्प' को शामिल कर रखा है ।

(ख) क्योंकि अनुदान मिले जुले कार्यक्रमों के लिए दिये जाते हैं जिनकी गतिविधियों का 'शिल्प' एक भाग होता है, इसलिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को केवल शिल्पों संबंधी गतिविधियों के लिए दिये गए अनुदानों का कोई अलग खाता नहीं रखा जाता है ।

(ग) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों की सिफारिश पर साधारणतया उन पंजीकृत संगठनों को ऐसी सहायता देने पर विचार किया जाता है, जो तीन वर्ष से समाज कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे हों। तो भी, पिछड़े, पहाड़ी, आदिवासी, सीमावर्ती इत्यादि क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के मामलों में अनुदान देने के लिए पात्रता की शर्तों में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आवश्यक ढील दे दी जाती है ।

सरकारी प्रेस, कोराट्टी (केरल) का विस्तार कार्यक्रम

5602. श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रेस कोराट्टी (केरल) के विस्तार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रेस को चालू करने के बाद इसमें क्या सुधार किए गए हैं और परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रेस के कार्य और विस्तार को इसने कहाँ तक पूरा किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) फिल-हाल कोई विस्तार कार्यक्रम नहीं है ।

(ग) अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करके मुद्रणालय में दूसरी पारा आरम्भ की गई है और इससे लगभग 60% उत्पादन बढ़ा है। ऐसा कोई विस्तार नहीं हुआ है यद्यपि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसका जिक्र था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्रणालय की 1,200 मी० टन मुद्रित फार्मों की क्षमता होनी चाहिए थी लेकिन वस्तुतः इसकी क्षमता केवल लगभग 850 मी० टन है क्योंकि मुद्रण की सभी मशीनें स्थापित नहीं की गई हैं। दूसरे चरण में मशीनें लगाई जानी थीं लेकिन इन अतिरिक्त मशीनों को लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि और मकानों के मूल्य में वृद्धि

5603. श्री सुशील कुमार धारा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि न केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण वरन् अन्य विकास निकाय भी दिल्ली के आस पास के टाउनों तथा दिल्ली और नई दिल्ली की सीमा पर बसे केपीटल टाउनशिपों की परिधि में भूमि और मकानों के मूल्यों में वृद्धि करते जा रहे हैं जिससे इन्हें केवल अमीर और समृद्ध व्यक्ति ही खरीद सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निकायों को यह समझाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उनका कर्तव्य मुनाफाखोरी और बढ़ी हुई आय दिखाना नहीं है वरन् जरूरतमन्द, निर्धन, और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को केवल लागत मूल्य पर तथा आसान किशतों पर रिहायशी मकान प्रदान करना है; और

(ग) इन निकायों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को फ्लैट मकान आदि देने से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है जो पूरी राशि नकद दे सकते हैं या आरम्भ में इतनी राशि दे सकते हैं जितनी जरूरतमन्द व्यक्ति दे नहीं सकते।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

5604. श्री मनोरंजन भक्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा अन्य जिलों में इसी प्रकार की आवास एजेंसियां पट्टेदारी के आधार पर आवासीय भूखंडों तथा बने बनाये मकानों की बिक्री कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों को पट्टा शुल्क समाप्त करने के निदेश जारी करने का है क्योंकि ये एजेंसियां काफी ऊंचे मूल्यों पर भूखंड तथा मकान बेच रही हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सामान्यतया, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा सभी रिहायशी प्लॉट पट्टे के आधार पर बेचे जाते हैं। जहां तक बने बनाये मकानों का संबंध है ये या तो सीधे तौर पर बेचे जाते हैं या किराया खरीद आधार पर लेकिन वह भूमि जिस पर मकान बना हो, पट्टे के आधार पर दी जाती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव, उत्तरप्रदेश सरकार के विचाराधीन नहीं है। सामान्यतया, रिहायशी प्लॉटों और मकानों की पेशकश जनता को लागत तथा कुछ नाम मात्र लाभ के आधार पर दी जाती

है। तथापि, उन मामलों में, जिनमें भूमि या मकानों का मार्केट मूल्य बहुत ऊंचा है, वहां नीलाम का तरीका अपनाया जाता है ताकि सट्टे से बचाया जा सके।

देशी शराब की खपत

5605. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय अंग्रेजी शराब और देशी शराब के उत्पादन और खपत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या देशी शराब काफी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही है तथा इसकी खपत गरीब लोगों में बढ़ रही है तथा यह समाज के लिए बड़ी बुराई सिद्ध हो रही है जिससे प्रायः बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है ; और

(ग) क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) पिछले कुछ वर्षों में भारत में बनी विदेशी शराब का उत्पादन देशी शराब के उत्पादन के मुकाबले कम रहा है। खपत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या अवैध शराब का निर्माण बढ़ गया है। तो भी, सरकार को ऐसी शराब के बुरे प्रभावों का पता है।

(ग) अवैध शराब के निर्माण को रोकने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अपने-अपने आबकारी कानून हैं।

सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि

5606. श्री आर० के० कोडियान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में शामिल विभिन्न छोटे तथा मध्यम पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत में सामग्री तथा परिवहन लागत के बढ़ जाने के कारण मूल अनुमानों से बढ़ गई ;

(ख) क्या अनुमानित खर्च में वृद्धि से उन परियोजनाओं के अपने निश्चित समय पर पूरा होने में कोई बाधा पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पांचवीं योजना को तैयार करने के समय फिक्की बची हुई बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों की अनुमानित लागत, 3,592 करोड़ रुपये थी। अब यह लागत बढ़कर 5168 करोड़ रुपये हो गई है। लागत में वृद्धि का मुख्य कारण लागत अनुमानों को चालू कीमतों के स्तर के अनुसार अद्यतन बनाया जाना है। श्रमिकों की मजदूरी, सामग्री, और परिवहन आदि की लागत में बढ़ोतरी के अलावा, कुछ और भी कारण हैं जिनसे विभिन्न परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो गई है जैसे भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की लागत में वृद्धि। लेकिन यह बताना संभव नहीं है कि केवल सामग्री और परिवहन की लागत में वृद्धि होने के कारण परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

जहां तक चालू योजना में हाथ में ली गई नई स्कीमों का संबंध है अभी उनकी लागत में हुई वृद्धि का जायजा लेना संभव नहीं है क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में हाथ में लिया गया है ।

(ख) जी, हां । चूंकि उपलब्ध साधन सीमित हैं इसलिये कई स्कीमों के लिये अपेक्षित परिव्यय की व्यवस्था करना हमेशा संभव नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप उनके पूरा होने के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(ग) हालांकि पांचवीं योजना को तैयार करने के समय पहले यह अनुमान लगाया गया था कि कि 64 बृहद् निर्माणाधीन स्कीमों में योजनावधि में पूरी हो जाएगी लेकिन अद्यतन समीक्षा के अनुसार लागत में वृद्धि हो जाने के कारण लगभग 35-40 स्कीमों को ही पूरा करना संभव हो सकेगा ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्नातक पूर्व स्तर की पढ़ाई

5607. श्री पी० के० कोडियान :

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामाजिक ज्ञान के कुछ लोकप्रिय विषयों में स्नातक पूर्व स्तर की पढ़ाई आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन पाठ्यक्रमों को आगामी शैक्षिक वर्ष से आरम्भ करने की आशा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के पास ही होता है । तथापि, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में तारीख 2-7-1977 को हुई बैठक में 1977-78 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिलों की समस्या पर विचार किया गया । दिल्ली विश्वविद्यालय को दबाव से मुक्त करने के लिये यह सुझाव दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूर्व स्नातक कक्षाएं आरम्भ करने के लिये कहा जाये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले में विश्वविद्यालय को लिखा है और इसके विचार मांगे हैं । विश्वविद्यालय ने आयोग को अपने विचार भेज दिये हैं जो कि इनकी जांच कर रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग

5608. श्री पी० के० कोडियान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान देश में अब तक कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है ;

(ख) अतिरिक्त क्षमता पैदा करने पर अनुमानतः कितनी लागत आई है ; और

(ग) इस अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का किस हद तक उपयोग किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में देश में बृहद्, मध्यम और लघु स्कीमों से 69 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और इसकी तुलना में समुपयोजन लगभग 5.2 मिलियन हेक्टेयर था । इस अवधि में इन स्कीमों के लिये 2567 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई, जिसमें संस्थात्मक पूंजी-निवेश की राशि भी शामिल है ।

Setting Up Board for Development of Land Banks on Ganga

5609. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether lakhs of acres of agricultural land along the both banks of the Ganga river, which is 1300 miles long and which affects the life of more than 21 crore people has not so far been developed ;

(b) whether the reason for not developing this land is that it is being eroded by the river and its formation goes on changing ; and

(c) whether Government propose to set up a development board similar to Santhal Pargana-Chhota Nagpur Development Board for the Co-ordinated development of the "Khadar" and "Diara" land and residents of the area, if so, when ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) The flood plains of Ganga called Diara or Khadar lands lying between the high banks within the meander belt of the river are subject to inundation when Ganga carries high discharges during the monsoon. As such, normal development works such as construction of roads, railway lines, canals and other permanent structures are not undertaken. However, due to deposition of fertile soils and availability of moisture agricultural operations are carried out when the lands are free from floods.

A study team on Diara areas of Uttar Pradesh and Bihar was constituted by the Indian Council of Agricultural Research in 1974 to identify problems limiting agricultural production in these areas. On the recommendation of this Committee, the I.C.A.R. formulated an operational research project for Monghyr District with the following objectives

- (i) Identification and introduction of short duration maize;
- (ii) Introduction of improved varieties of Cucurbits namely 'Karela', 'Parmal'
- (iii) Identification of better methods of crop management specially for wheat, onion etc.

The Project is being implemented with effect from October, 1975, by the Principal and Regional Director, Bihar Agricultural College, Sabour. The main highlight of the work done under the Project is the identification of Diara Composite Maize. This maize has yielded on an average 10 qls. of grains per hectare when sown in summer season. This variety of maize is of very short duration and matures in 75 to 80 days.

In addition, the Council in its committee on development "Strategy for crop planning in drought and flood-prone areas" has identified the need for detailed micro-level planning for assessment of the potential available in Diara area and prepare sound operational plans. It has recently recommended that location specific "Diara Development & Operational Organisation" should be set up for planning and executing agricultural strategy on continued basis to stabilise production in Diara lands. This is being examined.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लेटों के आवंटन के लिए 'ड्रा' प्रणाली की समाप्ति

5610. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लेटों के आवंटन के लिये 'ड्रा' प्रणाली समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री शिखन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास समिति ने 5-7-77 को हुई अपनी बैठक में सामान्य ड्रा की पद्धति को समाप्त करने का निर्णय किया था। तथापि, पूर्वी निकालने की पद्धति मंजिल का निर्णय और आवंटन किये जाने वाले वास्तविक प्लेट का निर्णय करने के विशिष्ट प्रयोजनों के लिये जारी रहेगी।

(ख) यह निर्णय लेने से पूर्व, दिल्ली विकास प्राधिकरण दो ड्रा निकाला करता था, पहला यह कि किन आवेदनों को फ्लेटों का आवंटन किया जाना है, दूसरा अलाट किया जाने वाला विशिष्ट फ्लेट का निर्णय। यह पाया गया कि पहले फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति जो पहले पंजीकरणों में पंजीकृत किये गये थे सामान्य ड्रा में असफल हो गये जब कि नये आवेदक जिनका पंजीकरण बाद में हुआ था, सफल हो गये। इस अनियमितता को दूर करने के लिये सामान्य पर्ची निकालने की पद्धति समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

दिल्ली में स्कूलों का खोला जाना

5611. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में और अधिक स्कूल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन का इस वर्ष के दौरान अठारह उच्चतर माध्यमिक और दस मिडिल स्कूल खोलने का विचार है।

गेहूं तथा चावल के मूल्यों में वृद्धि

5612. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में उर्वरकों के मूल्यों में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो जाने के बाद से अब तक गेहूं के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक बार के मूल्यों और उनमें की गई वृद्धियों का व्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक चावल (धान) के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और उपरोक्त अवधि में ठीक-ठीक कितनी राशि की वृद्धि हुई ; और

(ग) यदि चावल के मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) 1973 और 1974 में उर्वरकों के मूल्यों में दो बार वृद्धि करने के बाद जुलाई, 1975 से इसके मूल्यों में 5 बार कमी की गई है।

गेहूं का वसूली मूल्य 1973-74 में विभिन्न किस्मों के लिये 71—82 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1974-75 में विभिन्न किस्मों के लिये 105 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। यह मूल्य फिर बढ़ाकर 1977-78 के लिये 110 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है और गेहूं के संचलन से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है ताकि किसान खुले बाजार में अपनी पैदावार के लिये इससे भी अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें।

धान का वसूली मूल्य 1972-73 में 40—58 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1973-74 में 70 रुपये प्रति क्विंटल और फिर बढ़ाकर 1974-75 में 74 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। चावल के वसूली मूल्यों में तदनुसार वृद्धि की गई है। ये मूल्य हर्लिंग/मिलिंग अनुपात और अन्य प्रासंगिक खर्चों के आधार पर धान के मूल्यों से निकाले जाते हैं।

तमिलनाडु में गन्ना मूल्य को क्रियान्वित न करना

5613. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में कुछ चीनी मिलें, जिनका प्रबन्ध बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथ में है, गन्ने की दोहरी मूल्य नीति की घोषणा के पश्चात् तमिलनाडु सरकार द्वारा सुझाये गये गन्ने के मूल्य नहीं दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों, और उक्त कम्पनियों के निदेशक मंडल के चेयरमैन के नाम तथा अन्य ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में गरीब गन्ना उत्पादकों को बचाने के लिये जिन्हें उपर्युक्त कारखानों के कदाचारों के कारण भारी हानि हो रही है, वर्तमान सरकार का क्या कार्यवाही करने विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। कुछेक चीनी फैक्ट्रियां तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों को राज्य द्वारा सुझाये गये मूल्य नहीं दे रही हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें फैक्ट्रियों के नाम और न्यूनतम अधिसूचित मूल्य के बारे में सूचना, राज्य द्वारा सुझाये गये मूल्यों, वास्तव में दिये गये मूल्यों और उनके अध्यक्षों के नाम का ब्योरा दिया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मिलों के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वे राज्य द्वारा सुझाये गये मूल्यों का भुगतान करें। इस बारे में धन राशि से संबंधित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के लिये प्रत्येक वर्ष हेतु गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 के अधीन गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। अतः ये मूल्य सांविधिक हैं और सभी फैक्ट्रियों पर कानूनी रूप से लागू होते हैं। इन फैक्ट्रियों द्वारा दिए जाने वाले राज्य सरकार द्वारा अभिस्तावित गन्ने के मूल्य सांविधिकेतर हैं। उनका भुगतान केवल अनुनय द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकारका अनुनय सफल नहीं हो पाया है और इस मामले को अन्तिम रूप से त्याग दिया गया है। मिलों ने पहले से दिए गये मूल्य से और अधिक मूल्य देने में असमर्थता प्रकट की है। जब तक ये फैक्ट्रियां गन्ने के सांविधिक अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं देतीं, तब तक उनके विरुद्ध कोई दंडाभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

विवरण

लोक सभा में 8 अगस्त, 1977 को पूछे जाने वाले अतारारित प्रश्न संख्या 5613 के उत्तरके भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

फैक्ट्री का नाम	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य	वास्तव में दिया गया मूल्य
1	2	3	4
1972-73	रुपये	रुपये	रुपये
थिरू अरुरन शूगर्ज	87.50	92.50	87.50

1	2	3	4
	रुपये	रुपये	रुपये
1973-74			
माउथ इण्डिया, विल्लूपुरम	83.80	104.75	97.00
मदुरा शूगर्ज	80.00	101.12	100.00
थिरु अरुन शूगर्ज	80.00	100.00	94.50
1974-75			
थिरु अरुन शूगर्ज	86.00	100.00	96.00
1975-76			
थिरु अरुन शूगर्ज	87.00	102.00	97.00
माउथ, इण्डिया विल्लूपुरम	90.00	105.00	100.00
कोठारी	94.00	109.00	105.00

फैक्ट्री का नाम	अध्यक्ष का नाम
थिरु अरुन शूगर्ज	थिरु बी० एस० थियागाराजा मुदालियार
माउथ इंडिया स्टील एण्ड शूगर्ज	थिरु एम० ए० चिदम्बरम
मदुरा	थिरु टी मन्तीकवासागम
कोठारी	थिरु एच० सी कोयरी

Expenditure on Kalagarh Dam Project on Ram Ganga

*5614. Shri Mahi Lal : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the Kalagarh Dam Project on the Ram Ganga; the number of technical and/non-technical employees who have been working upto its completion and the number of employees working there at present ; and

(b) the total number of dwelling units in the residential colony and the rest house ; the expenditure incurred on these dwelling units and the market which has been constructed there and the number of dwelling units which are still vacant ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The total expenditure incurred on the Kalagarh Dam Project on the Ram Ganga river upto June, 1977 ,is Rs. 156.46 crores.

At present 241 technical, 986 non-technical and 750 work charged employees are working in the project. As the work on the project has not yet been completed it is not possible at this stage to give details of the staff who would be working at the time of the completion of the project.

(b) There are 4995 residential houses, 11 field hostels and 55 shops in the market at Kalagarh which have been constructed at a cost of Rs. 1.47 crores. Due to partial retrenchment of staff, 1900 residential houses and 7 field hostels are at present vacant.

Construction of Barrage on Ganga River

*5615. Shri Mahi Lal : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a barrage on the Ganga river near Ravlighat in Bijnor district in Uttar Pradesh is being constructed ; and

(b) if so, whether trained employees retrenched from the Ram Ganga Project have not been employed there and the work is being done through the contractors ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) Madhya Ganga Project envisages the construction of a barrage on the river Ganga in Bijnor district. The actual construction of the barrage has not, however, yet started.

The State Government has stated that such of the retrenched employees from the Ram Ganga Project, as apply for employment, will be considered for employment as and when the technical staff trained in the operation and maintenance of heavy earth moving equipment is recruited.

Installation of Water Outlet for Houses in Ranjit Nagar, D.D.A. Resettlement Colony

5616. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether due to water falling from the terrace outlets of the houses in Ranjit Nagar resettlement colony of the slum wing of Delhi Development Authority, the living on lower storeys of the houses are experiencing great inconvenience ; and

(b) whether pipe like that used in all four bathrooms and four lavatories and that used in other Government colonies would be installed here for water outlet from the four terraces ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

(a) Normally not. However, sometimes due to wind, some inconvenience may be caused to tenants of lower storeys, due to blowing of water to their balconies.

(b) No, Sir.

गुजरावाला हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

5617. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरावाला हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली के उन सदस्यों ने कुल कितनी धनराशि दी जिन्होंने अपने नाम सोसायटी में 1957-1964 के दौरान पंजीकृत कराए तथा जिन्हें सोसायटी ने अभी तक प्लॉट आवंटित नहीं किये हैं तथा यह राशि कब दी गई;

(ख) इन सदस्यों को प्लॉट आवंटित करने के लिए सोसाइटी को कितनी विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई अतिरिक्त भूमि के विकास के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ग) उन वर्षों में ब्याज, लकड़ी और फलों की बिक्री से सोसाइटी द्वारा बनाई गई विकास निधि में इन सदस्यों का क्या हिस्सा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह मालूम हुआ है कि उन सदस्यों द्वारा जो 1957—64 के बीच पंजीकृत किये गये थे, 5,99,025 रुपये अदा किये गये हैं। यह राशि समय समय पर प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार, 63 सदस्यों को अभी भी समिति द्वारा प्लॉट आवंटित किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त एक सदस्य ने अदायगी करनी है।

(ख) समिति ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई अतिरिक्त भूमि के विकास के लिए अपेक्षित राशि लगभग 6,25,000 रुपये होगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों के नक्शे

5618. श्री जी० एम० बनतवाला : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की संख्या और उनके नाम क्या है जिनके नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1976 और 1977 में मंजूर किये गये थे;

(ख) उन समितियों की संख्या और उनके नाम क्या है जिसके नक्शे आपत्तियों के साथ समितियों को लौटा दिये गये और उन आपत्तियों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में गृह निर्माण समितियां अपने सदस्यों को प्रस्तुत तथा अनुमोदित रूप में अपने नक्शे उपलब्ध नहीं करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समितियों को यह निदेश देने का है कि अनुमोदन के लिए अधिकारियों के पास भेजने से पूर्व वे अपने नक्शों को सदस्यों से अनुमोदित करायें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित सहकारी गृह निर्माण समितियों के ले-आउट प्लानों की स्वीकृति दी गई थी :—

1. गुजरात सहकारी गृह निर्माण समिति
2. शिवा सहकारी गृह निर्माण समिति
3. एवीएशन एम्पलाईज सहकारी गृह निर्माण समिति
4. भारती सहकारी गृह निर्माण समिति
5. पी० एन० बैंक सहकारी गृह निर्माण समिति
6. गुजरांवाला सहकारी गृह निर्माण समिति
7. सेंट्रल एक्साइज एम्पलाईज सहकारी गृह निर्माण समिति
8. भटनागर सहकारी गृह निर्माण समिति

(ख) डी० डी० ए० ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान किसी मामले में भी ऐसा नहीं किया गया था।

(ग) तथा (घ) ले-आउट प्लानों की स्वीकृति समितियों की गतिविधियों में से एक गतिविधि है जिसे प्रबन्ध समिति द्वारा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1976 के अनुच्छेद 29 के अधीन समिति की सामान्य सभा से कानूनी तौर पर प्राप्त करनी अपेक्षित है। काफी संख्या में सहकारी गृह निर्माण समितियां पंजीकृत हैं। अतः यह सूचना देना तनिक कठिन है जब तक कि सरकार के ध्यान में त्रिशिष्ट मामले नहीं लाये जाते। जब कभी ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में लाया जायेगा तो आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

कीड़े मकोड़ों की रोक-थाम

5619. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे कीड़े मकोड़े की रोक-थाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दें;

(ख) क्या उन्हें बताया गया है कि खरीफ के मौसम के दौरान कीड़ों-मकोड़ों की रोक-थाम का कार्यक्रम पहले से ही और प्रभावी ढंग से हाथ में लिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) केन्द्रीय सरकार खरपतवार नियंत्रण के विषय में समय-समय पर राज्य सरकारों से आग्रह करती रहती है।

(ख) आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार प्रायः खरपतवार के शीघ्र तथा प्रभावी नियंत्रण के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देती रहती है।

(ग) खरीफ मौसम में खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार "फ्लेरिश माइनर" तथा जंगली जई आदि खरपतवारों और "वाटर-हायसिथ" तथा 'सलवेनिया' आदि जलीय खरपतवारों के नियंत्रण की योजना पर विचार कर रही है जिस पर 100 लाख रुपये की रकम व्यय होगी।

एम० ए० के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम

5620. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुझाव दिया है कि एम० ए० के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (ड० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए आयोग ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं। आयोग ने अब तक हिमाचल प्रदेश, मैसूर, पंजाब, पंजाबी और राजस्थान विश्वविद्यालयों में एम० ए० के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम स्वीकार किये हैं। आन्ध्र और वैकटेश्वर विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन हैं। दिल्ली, कुरुक्षेत्र, कर्नाटक और उदयपुर विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव आयोग ने अस्वीकृत कर दिये हैं।

सीधे ही बोये गये चावल (डाइरेक्ट सीडेड राइस) और नाइट्रोजनी उर्वरक देने का प्रदर्शन

5621. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने सीधे ही बोये गये चावल (डाइरेक्ट सीडेड राइस) और किसानों को नाइट्रोजनी उर्वरक देने के प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम बनाया है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): जी हां। भारत सरकार ने धान की पंक्ति में बोने के लाभों के प्रदर्शन हेतु एक मार्गदर्शी योजना प्रारम्भ की है। चावल उगाने वाले मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के प्रमुख क्षेत्रों में बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में धान छिटकवां प्रणाली से उगाया जाता है। बैलों द्वारा खींचे जाने वाले उपस्करों की सहायता से धान को पंक्ति में बोने (सीधे बीज बोने) से खरपतवार पर नियंत्रण पाने में आसानी रहती है। इससे फसल में उर्वरक बचाने में और अधिकतम संख्या में पौधों को बचाए रखने की सुविधा रहती है जिससे उपज में वृद्धि होती है।

गुजरात में सिंचाई सुविधाएं

5622. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अखिल भारतीय औसत सिंचाई सुविधाओं की तुलना में गुजरात राज्य में सिंचाई सुविधायें बहुत कम हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य को उसकी नहर सिंचाई और पम्प सैटों से लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं और योजनाओं के लिए सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) गुजरात राज्य में कुल फसली क्षेत्र के 19 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 28 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत की जाती है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्ट विकास क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंधित नहीं होती।

1975-76, 1976-77 और 1977-78 के वर्षों के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए गुजरात के लिए क्रमशः 37.50 करोड़ रुपये, 46.63 करोड़ रुपये और 70.13 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है।

भारत सरकार ने गुजरात को 1975-76 तथा 1976-77 में क्रमशः 7.30 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता भी प्रदान की है। 1977-78 में भी अग्रिम योजना सहायता देने का प्रस्ताव है, परन्तु इसके ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गन्दी बस्ती हटाने और इसके सुधार की दोहरी समस्या के समाधान का प्रस्ताव

5623. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में गन्दी बस्ती हटाने और गन्दी बस्ती सुधार की दोहरी समस्या का समाधान करने के लिए व्यापक और ठोस प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब और किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) फिलहाल समस्त देश में गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए कोई विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। 1956 में गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक योजना थी जिसे चौथी पंचवर्षीय के आरम्भ में 1969 में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी।

फिलहाल, समस्त देश के लिए कोई भी विस्तृत गन्दी बस्ती सुधार योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। 1972 में 20 शहरों में गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक योजना आरम्भ की गई थी। योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित किया जा चुका है। तथापि, केन्द्रीय सरकार देश में, गन्दी बस्ती सुधार योजना की आवश्यकता पर काफी वजन दे रही है।

गन्दी बस्ती उन्मूलन और गन्दी बस्ती सुधार दोनों योजनाओं के लिए आयोजना, वित्त व्यवस्था और निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

(ग) ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं

5624. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले एक अथवा अधिक संस्थाओं को वित्तीय और अन्य सहायता देती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य व्यौरा क्या है, और

(ग) वर्ष 1974, 1975 और 1976 में शारीरिक शिक्षा देने वाले अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रों अथवा कालेजों को दी गई इस सहायता से सम्बन्धित तथ्य क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर, जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थानों की सोसाइटी द्वारा संचालित है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था तथा इसका खर्चा पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। व्यायामशालाओं तथा तरणतालों के निर्माण, खेल के मैदानों के विकास तथा उपस्कर और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को खरीदने जैसी भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी, पुस्तकें, उपस्कर खरीदने के लिए तथा अध्यापन स्टाफ की व्यवस्था के लिए, शारीरिक शिक्षा विभागों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देता है।

(ग) विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-882/77]

इतिहास अध्ययन संस्थान को वित्तीय सहायता

5625. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इतिहास अध्ययन संस्थान, कलकत्ता को अपने अनुसंधान कार्य तथा प्रकाशनों के लिए गत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त संस्थान ने राष्ट्रीय जीवन चरित परियोजना शब्दकोष के चार खण्ड पूरे किये हैं और उसके लिए वित्तीय अनुदान की मांग की है; और

(घ) उम मांग के बारे में सरकार का अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या सरकार का विचार और आगे अनुदान देने का है, और यदि हां, तो कितनी और यह कब तक दी जाएगी?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (घ) वर्ष 1963-64 के दौरान ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कलकत्ता ने 1800-1947 के काल का 'राष्ट्रीय जीवनी शब्दकोष' परियोजना का कार्य आरम्भ किया। उक्त परियोजना को 8.50 लाख रुपये की लागत से 4 खण्डों में पूरा किया गया जिसमें भारत सरकार ने कार्यरत वर्षों में 2.19 लाख रुपये तथा राज्य सरकार ने 2 लाख रुपये दिए। शेष राशि की व्यवस्था संस्थान ने अपने ही साधनों से की।

संस्थान ने अनुपूरक राष्ट्रीय जीवनी शब्दकोष परियोजना के लिए 1947 से 1972 तक की अवधि के लिए भारत सरकार को 2.50 लाख रुपये के अनुदान के लिए तथा अपने मौजूदा रख-रखाव अनुदान को बढ़ाने का अनुरोध किया है। ये प्रस्ताव विचारार्थ है।

भारत सरकार (1970-71) से संस्थान को अपने रख-रखाव के व्यय वहन के लिए 5,000 रुपये के हिसाब से वार्षिक अनुदान प्रदान करता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की विभागीय पदोन्नति

5626. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियरों तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के ऐसे कितने रिक्त पद हैं जो अभी भरे जाने हैं और वे कब भरे जाएंगे तथा उनके भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या चीफ इंजीनियरों, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पद किसी भी अवधि को ध्यान में रखे बिना तथा उनकी पात्रता अवधि में छूट देकर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए इंजीनियरों की पदोन्नति करके भरे जा रहे हैं, यदि हां, तो विभागीय रूप से पदोन्नत इंजीनियरों के प्रति उपेक्षा का रवैया क्यों बरता जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस समय कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा (विद्युत) के ग्रेड में ऐसा कोई पद रिक्त नहीं है जो कि भरा न हो। सहायक इंजीनियर ग्रेड में सिविल पक्ष के 41 और विद्युत पक्ष के 4 पद खाली हैं। ये रिक्त पद यथा समय भर दिए जाएंगे। इस समय पदोन्नति नीति का कुछ प्रश्नों पर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जब कभी आवश्यकता होगी मुख्य इंजीनियरों, अधीक्षक इंजीनियरों और कार्यपालक इंजीनियरों के पद भर दिए जाएंगे। पात्रता में छूट देने का प्रश्न तब उठता है जब कि रिक्तियां हों लेकिन ये रिक्तियां भरी नहीं जा सकती क्योंकि विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले कुछ उम्मीदवार पात्रता के मानदंड को पूरा नहीं करते। पद भरने में समय का विलम्ब करना चाहिए या नहीं और क्या इसे कुछ समय के लिए खाली रखा जा सकता है या नहीं यह पद के महत्व पर निर्भर करता है। विभागीय पदोन्नत अधिकारियों के बारे में उदासीनता का कोई प्रश्न ही नहीं है।

पश्चिम बंगाल को कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए केन्द्रीय सहायता

5627. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में कृषि के विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और वितरित की गई ;

(ख) राज्य सरकार ने उपरोक्त अवधि में वित्तीय सहायता का किस प्रकार उपयोग किया;

(ग) क्या अब तक यदि कोई प्रगति हुई है तो उससे सरकार सन्तुष्ट है;

(घ) क्या सुन्दरबन के कृषि विकास की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) चौथी योजना की शुरुआत से आमतौर पर केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को उनकी राज्य योजनाओं के लिए समग्र योजना हेतु सामूहिक ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है, जिसका विकास या योजना के किसी विशेष क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं होता। तदनुसार, सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में कृषि विकास, सिंचाई, बाढ़ निःक्षण आदि के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता की कुल मात्रा के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता दो विशेष योजनाओं के लिए दी गई थी—एक कपास के अधिकतम उत्पादन (1972-73 से 1973-74 तक) के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में कपास की खेती के प्रदर्शन के लिए तथा दूसरी सघन कपास जिला कार्यक्रम (1974-75 से आगे) के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए ताकि ऐसे प्रदर्शनों की सम्पूर्ण लागत को पूरा किया जा सके। ऐसी विशेष सहायता का वर्षवार व्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	दी गई अनुदान की रकम
1972-73	25.00
1973-74	20.00
1974-75	2.00
1975-76	3.00
1976-77	1.39

उपरोक्त दो विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्विति से प्राप्त परिणाम अन्तिम नहीं हैं। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है कपास के अलावा विशेष योजनाएं हैं।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के लेखों में गड़बड़ी

5628. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के लेखों में गम्भीर गड़बड़ी है जैसी कि समाचारपत्रों में खबर छपी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी नहीं। शायद यह प्रश्न 18 और 19 जुलाई, 1977 को नई दिल्ली में होने वाले राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्षों के 14वें सम्मेलन के लिए तैयार की गई कार्यसूची के बारे में कुछ समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों पर आधारित है। उस कार्यसूची में उल्लिखित 'गड़बड़ी' शब्द का सम्बन्ध पिछले वर्षों के खर्च के आंकड़ों को मिलाए जाने या समाधान से है, जिनका उन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों द्वारा समाधान नहीं किया गया था, जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिए जाते हैं। ये ऐसे मामले हैं, जिनका निपटारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य बोर्डों में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा दी गई और राज्य बोर्डों द्वारा प्राप्त की गई धनराशियों के सत्यापन द्वारा किया जाता है। इनसे कोई गम्भीर वित्तीय गड़बड़ी प्रदर्शित नहीं होती है। धनराशियों का समाधान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य बोर्डों के बीच लेखा सम्बन्धी सामान्य प्रयोग है जो बहुत से अनुदानों का प्रशासन करते हुए करना पड़ता है।

आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों का समाप्त किया जाना

5629. श्री गिरिधर गोमांगो: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें समाप्त करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अब तक शराब की दुकानें समाप्त कर दी गई हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि कुछ राज्यों ने भारत सरकार की नीति को स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) शराब की दुकानें समाप्त करके आदिवासियों की इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जिन राज्यों में आदिवासियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, वे आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने की ठेका पद्धति को छोड़ देने के लिए सहमत हो गए हैं ।

(ख) जिन राज्यों में आदिवासियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, उन सभी के मुख्यमंत्री 13 अक्टूबर, 1976 को हुई एक बैठक में 1 अप्रैल, 1977 से शराब बेचने की ठेका पद्धति को समाप्त करने की नीति को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गए थे । गुजरात राज्य में भी आदिवासियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं और वहां पहले से ही मद्यनिषेध लागू है । सरकार को इस बात का पता नहीं है कि क्या इस निर्णय को वास्तव में 1 अप्रैल, 1977 से लागू कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) समाज कल्याण विभाग ने केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक नई आबकारी नीति बनाई है, जिसके अन्तर्गत शराब बेचने की ठेका पद्धति को छोड़ देना होगा । यह बात सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई है, जिन पर इस नीति को कार्यान्वित करके इस बुराई को रोकने का उत्तरदायित्व है ।

मध्यम आयु वर्ग और निम्न आय वर्ग के पलैटों के लिए जमानत जमा राशि

5630. श्री रामानन्द तिवारी: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के पलैटों के लिए बढ़ाई गई जमानत जमा राशि में कमी करके इसकी राशि पुनः 5,000 रुपये और 3,000 रुपये की जा रही है, जैसे कि पहले थी;

(ख) यदि हां, तो कब तक आदेश जारी करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) फिलहाल, इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय युवक कांग्रेस को 10, जनपथ स्थित भवन किराये पर दिया जाना

5631. श्री रामानन्द तिवारी: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10, जनपथ स्थित भवन भारतीय युवक कांग्रेस को कितनी अवधि के लिए किराये पर दिया गया था;

(ख) उससे कितना मासिक किराया लिया गया; और

(ग) उसकी ओर यदि कोई वकाया राशि देय है तो कितनी और उसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह बंगला इण्डियन यूथ कांग्रेस को किराये पर नहीं दिया गया था ।

(ख) तथा (ग) प्रश्नही नहीं उठता ।

मछली पकड़ने की नौकाएं

5632. श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तटवार, देश में कितनी नौकाएं काम में लाई जा रही हैं;

(ख) अगामी वर्ष कितनी नौकाओं का आयात किया जाएगा; और

(ग) उन्हें किन तटों पर काम में लाया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भारत में 87 ट्रालर काम कर रहे हैं, जिसमें सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण के काम पर लगाए गए ट्रालर भी शामिल हैं । ट्रालरों के तटवार वितरण में मौसम तथा मछलियों की उपलब्धि के क्षेत्रों के अनुसार लगातार परिवर्तन होता रहता है । इस कारण इस आंकड़े को रखना सम्भव नहीं है ।

(ख) अगले वर्ष ट्रालरों के आयात के प्रश्न पर इनके देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर विचार किया जाएगा । तथापि, चालू वर्ष के दौरान 60 ट्रालरों को आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ग) किसी भी तट से ऐसे ट्रालरों के संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि, सरकार की अनुमति से तट की सुविधाओं तथा तट के संस्थानों की व्यवस्था की जाती है ।

गुजरात को लघु सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता

5633. श्री अहमद एम० पटेल: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में वर्ष 1977-78 के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए कितना केन्द्रीय अनुदान निश्चित किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण और अनुदान के रूप में एक मुश्त रकम के तौर पर दी जाती है और इसका किसी विशेष योजना या विकास के शीर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होता । वर्ष 1977-78 के लिए गुजरात की राज्य योजना में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 11.95 करोड़ रुपये के परिचय की स्वीकृति दी गई है ।

Grant for Socio-Economic Programme

5634. **Shri Chaudhary Motibhai** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the amount of grant sanctioned for implementation of schemes under the Socio-economic Programme by the Central Social Welfare Board in each State during the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 along with the amount of grant actually utilised by each State;

(b) the amount of grant sanctioned for implementation of these schemes in each State for 1977-78; and

(c) the criteria on the basis of which grants are given to the various States ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander):

(a) The grants for socio-economic programme are given by the Central Social Welfare Board, on the recommendations of the State Social Welfare Advisory Boards, to various voluntary organisations. The information regarding grants sanctioned, and the amounts received by various voluntary organisations Statewise is shown in the Annexure. [Placed in Library. See No. L.T. 883/77]

(b) An amount of Rs. 120.00 lakhs has been provided for this programme during 1977-78. The Central Social Welfare Board has tentatively ear-marked grants during 1977-78 to various voluntary organisations in the States as given in the Annexure. [Placed in Library. See No. L.T. 883/77]. The actual sanction will, however, depend on the number of feasible proposals received from the various organisations.

(c) The funds are allocated to voluntary organisations (not States) on the basis of utilisation of funds during the previous year and the requirements for the particular year. The scheme must provide for the economic rehabilitation of women belonging to weaker sections of the community by offering them work and wages, thus enabling them to earn their livelihood or to supplement the meagre income of their families.

Central Government Offices in Rented Buildings in Delhi/New Delhi

5635. **Shri S. S. Somani** : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether many Central Government offices in Delhi and New Delhi are in rented buildings;

(b) if so, the number thereof and the annual expenditure Government have to incur thereon; and

(c) whether Government have formulated a scheme for shifting these offices to places somewhere near Delhi and construct their own buildings by purchasing land there ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Ration Card System for Distribution of Fertilizers

5636. **Shri S. S. Somani** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal under their consideration for introducing Ration Card System in all the States to ensure proper and equitable distribution of fertilizers among the farmers; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No, Sir. There is no such proposal under consideration of the Government.

(b) Question does not arise.

Units of Food Corporation of India

5637. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

- (a) the number of units of the Food Corporation of India in the country;
- (b) the quantity of foodgrains procured by various units of the Food Corporation of India since the decentralisation of the procurement of foodgrains; and
- (c) the total number of employees working in the Food Corporation of India and the annual expenditure incurred thereon ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) At present 1894 units of the Food Corporation of India are functioning in the country including its Head Office, Zonal Offices, Regional Offices, Port Operation Offices, District Offices, Depots and rice, maize and dal mills.

(b) the total quantity of foodgrains procured/purchased by the various units of the Corporation since its inception and till 21st March, 1977 was 67.83 million tonnes.

(c) 63057 employees were working in the Corporation on 31st March, 1977 and expenditure of Rs. 47.5 crores was incurred on them during the year.

नाइट्रोजन उर्वरकों का जमा होना

5638. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातियों के पास नाइट्रोजन उर्वरक जो भारी मात्रा में जमा हो गए हैं जिसके फलस्वरूप इसके आगामी उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है;

(ख) क्या सरकार जमा हुए स्टॉक को समाप्त करने के लिये उर्वरकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के प्रतिबन्ध को हटा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) प्रतिवर्ष मार्च से मध्य जून तक की अवधि में विनिर्माताओं के पास उर्वरकों के भण्डार का जमा हो जाना एक मौसमी प्रक्रिया है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार विनिर्माताओं के पास नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों का उपलब्ध भण्डार 15 मई, 1976 को 3.22 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन था जबकि 15 मई, 1977 को 2.95 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन का भण्डार था । मानसून और बुवाई का मौसम शुरू हो जाने से विनिर्माताओं के पास रखा हुआ माल बाहर जाना शुरू हो गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उर्वरक व्यापार नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लगाये गए प्रतिबन्धों का उद्देश्य यही है कि विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश देसी और विदेशी दोनों प्रकार के उर्वरकों के आबंटन के लिये समेकित और उपयुक्त सम्भरण योजना तैयार कर सकें । सम्भरण की यह योजना रेल मंत्रालय और विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके बनाई गई है । इससे राज्य सरकारों को उर्वरकों का न केवल निर्वधि और निर्विघ्न सम्भरण सुनिश्चित होता है, अपितु घुमावदार और टेढ़े-मेढ़े रास्तों से उसे लाना ले जाना भी नहीं पड़ता । रेलों द्वारा उर्वरकों की ढुलाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाती है । और भाड़ा शुल्क के व्यय में कमी की जाती है ।

Unirrigated Land

5639. **Shri Om Prakash Tyagi** : will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

- (a) the total unirrigated agricultural land in the country; and
(b) the break-up State-wise ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (**Shri Surjit Singh Barnala**) : (a) and (b) During the quinquennium ending 1974-75, the net area sown not receiving irrigation facilities ranged from 104.7 million hectares (in 1974-75) to 110.3 million hectares (in 1973-74). The State-wise break-up of these figures is given in the attached statement.

STATEMENT

State-wise figures of Unirrigated Area*

State	Thousands Hectares	
	1973-74	1974-75
Andhra Pradesh	8,355	8,146
Assam	1,886 (P)	1,971 (P)
Bihar	6,054	5,821
Gujarat	8,126 (P)	6,571 (P)
Haryana	1,830	1,740
Himachal Pradesh	462	453
Jammu & Kashmir	387	393
Karnataka	9,029	9,039
Kerala	1,745	1,743
Madhya Pradesh	16,915	16,881
Maharashtra	16,852	16,695
Manipur	75	75
Meghalaya	116	116
Nagaland	74	75
Orissa	5,095	4,792
Punjab	1,137	909
Rajasthan	13,589	11,311
Tamil Nadu	3,359	3,116
Tripura	213 (P)	210 (P)
Uttar Pradesh	9,927	9,387
West Bengal	4,696 (P)	4,931 (P)
Union Territories	337	344
ALL INDIA	110,259	104,719

(P) Provisional.

The land sown under unirrigated conditions has been derived as the difference between net area sown and net irrigated area, collected as part of land use statistics.

Irrigation Schemes for Gujarat

*5640. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number and names of the irrigation schemes of the Gujarat State with the Central Government and the Planning Commission for approval;

(b) when these schemes were submitted to the Central Government by the State Government of Gujarat;

(c) why the approval of the schemes is delayed and when these schemes would be approved; and

(d) the irrigation schemes in respect of Gujarat State pending for approval as on the 31st March, 1977 and the main reasons therefor ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) Five major and six medium irrigation schemes of Gujarat are at present under various stages of examination in the Central Water Commission. The names, date of receipt of these schemes, and their present position of examination are given in the attached Statement.

(d) six major and seven medium schemes of Gujarat were pending with the Central Water Commission as on 31st March, 1977. One major scheme namely Karjan and one medium scheme namely Kalubhar have since been approved. The position of the remaining 11 Schemes (5 major and 6 medium) as also referred to above in part (a) to (c) has been given in the attached Statement.

Statement

Name of the Project	Date of receipt in Central Water Commission	Present stage of examination in Central Water Commission
1	2	3
<i>Major :</i>		
1. Heran	2-7-1973	The project is now in an advanced stage of processing towards clearance.
2. Sipu	2-7-1973	Inter-State aspects involved with Rajasthan. Modified report as per decision taken in the Inter-State Meeting held on 7-7-1976 is awaited from the State Government.
3. Janakhari Reservoir	28-2-1975	Comments sent to State on 5-9-1976 and 30-6-1976. Replies awaited.
4. Bhadar (Rajkot)	25-3-1969	Replies to comments of 9/69 received only in 2/77; updated costs and estimates requested for in 5/77. These are awaited.
5. Watrak	27-11-1976	Under examination in the Commission.
<i>Medium :</i>		
1. Harnav Stage II	28-2-1973	Inter-State aspects involved with Rajasthan. Modified report awaited from the State.

1	2	3
2. Waidy	5-8-1974	Inter-State aspects involved with Rajasthan. Modified report estimates awaited from the State.
3. Fulzar II	26-11-1974	Further comments sent to State on 30-4-76. Replies awaited.
4. Bhadar (Panchamahar)	8-4-1975	Inter-State aspects involved. Modified report awaited from the State Government.
5. Mitti	1-7-1976	Comments sent to State on 3-3-1977. Replies awaited.
6. Venu II	28-2-1977	Under examination in the Commission.

Population of Gir Lion

5641. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of World famous Gir Lions at present in the Gir Forests in Saurashtra Region of Gujarat and when the last census thereof was made;

(b) whether in view of unique character of Gir Lions, it has been declared the national animal, if not the reasons therefor; and

(c) whether there was any scheme in the past for dispersal of lions in forest areas in other States in the country and if so, the main features thereof ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) According to the last census conducted in 1974 there were 180 Asiatic lions in the Gir National Park and Sanctuary.

(b) The Government accepted the recommendation made by the Indian Board for Wild Life in 1972 to adopt the tiger as our national animal in place of the lion in view of the worldwide importance attained by the tiger and in view of its occurrence throughout the country and the urgent need for its protection. The tiger has a better claim in view also of its known occurrence in the country before any other species of larger cats. Apart from the tiger surpassing other animals in beauty, it is also enshrined in the tradition, culture and ethos of the people of the country from very ancient times the evidence of which is available on seals of the Indus civilization found at Harappa and other sites.

(b) Three lions were introduced in the Chandraprabha Sanctuary in Uttar Pradesh in 1957 and the scheme was not a success owing to various adverse factors.

Central Aid for Eradication of Rat Menace in Gujarat

5642. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether there is rat menace in Saurashtra region of Gujarat even now;

(b) if so, whether any assistance was given by the Central Government to Gujarat Government to eradicate rat menace during the last two years; and if so, when, in what form and the amount thereof; and

(c) the amount Government propose to spend to eradicate rat menace during 1977-78 and in what form it will be spent ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No Sir.

(b) No, Sir.

(c) The State Government of Gujarat have allocated Rs. 10.00 lakhs for rodent control, which is mainly utilised for the purpose of purchase and distribution of rodenticides.

Rules Governing Felling of Trees

5643. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the kinds of trees, whose felling is banned in the country and since when the ban is in force ;

(b) the rules and laws regulating the felling of trees owned by farmers in Gujarat State and the date of their enforcement ; and

(c) whether any assistance is given to farmers or other persons for planting trees ; if so, the nature and manner or grant of such assistance ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

गुजरावाला हाऊस बिल्डिंग, कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

5644. **श्री बलबीर सिंह** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरावाला हाऊस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि इस बीच सोसाइटी को आवंटित कर दी गई है और कब्जा दे दिया गया है ;

(ख) क्या सोसाइटी ने उसके लिए नक्शा प्रस्तुत किया था और क्या सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है ;

(ग) सरकार द्वारा मंजूर किए गए नक्शे के अनुसार कितने आकार के कितने प्लॉट काटे जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा मंजूर किया गया नक्शा सोसाइटी के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

गुजरावाला हाऊस बिल्डिंग, कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

5645. **श्री बलबीर सिंह** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 तक गुजरावाला हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली में कुल कितने सदस्य पंजीकृत थे जबकि सोसाइटियों द्वारा नए सदस्यों का पंजीकरण करने पर रोक लगी हुई थी, जिन्हें अब सोसाइटी द्वारा प्लॉट आवंटित किए जाने हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन डी०डी०ए० ने इन छोटे हुए सदस्यों को लिखित आश्वासन दिया था कि उन्हें 500 तथा 300 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे जिसके लिए वे सोसाइटी में पंजीकृत थे ; और

(ग) क्या छूटे हुए सदस्यों को दिए गए आश्वासन का पालन करने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है और यदि हां तो उन्हें प्लॉट कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 63, इसमें वह सदस्य शामिल नहीं हैं जिसने भुगतान नहीं किया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि अर्जन के लिए गुजरांवाला हाऊस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली को दी गई धनराशि

5646. श्री बलबीर सिंह: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री गुजरांवाला हाऊस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली द्वारा खरीदी गई भूमि के अर्जन के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 1799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने सोसाइटी को कितना मुआवजा दिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जिस प्रयोजन से समिति ने भूमि खरीदी थी और जिस प्रयोजन से सरकार ने भूमि अर्जित की थी, वह एक ही था अर्थात् रिहायशी मकानों का निर्माण; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूमि अर्जित किए जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार अब सोसाइटी को उसका पूरा मुआवजा देने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

दिल्ली में समितियों को आवंटित की गई जमीन की कीमत और प्लॉटों के क्षेत्रफल के बारे में अभ्यावेदन

5647. श्री दुर्गाचन्द: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में उन सहकारी समूह आवास समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विकास प्राधिकरण को गत 6 मास में दिल्ली में विभिन्न इलाकों में समितियों को जमीन आवंटित करने उसके मूल्य और प्लॉटों के क्षेत्रफल के बारे में अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) प्रत्येक समिति द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का व्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इन समितियों को आवंटित की गई जमीन की कीमत घटाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) समितियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) अभ्यावेदनों में दिये गये सामान्य विशिष्ट मदें इस प्रकार हैं: (i) भूमि की लागत (ii) विकसित/अर्ध विकसित भूमि (iii) कवरेज (iv) भूमि किराया (v) स्थान (vi) वित्तीय सहायता।

(ग) सभी ग्रुप आवास समितियों के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं ।

(घ) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

उन सरकारी ग्रुप आवास समितियों के नाम जिन्होंने अभ्यावेदन दिये हैं ।

1. जनरल स्टाफकोऑपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी;
2. बलजीत नगरपुरणार्थी कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
3. दिल्ली यूनिवर्सिटी नोत-अकाडमिक इम्पलाइज सी०जी०एच०एस०
4. माऊथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स सी०जी०एच०एस०
5. झील कुरंजाएक्सटेंशन सी०जी०एच०एस०
6. फिरोज पार्क कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
7. ई०के० जोट कोऑपरेटिव जी०एस० सोसाईटी
8. प्राईम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट सी०जी०एच०एस०
9. सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सर्विसेज कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
10. एस० बी० मिल्स इम्पलाइज सी०जी०एच०एस०
11. शान्ति विहार सी०जी०एच०एस०
12. डिफेंस मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
13. एन० एस० आई० सी० इम्पलाइज सी०जी०एच०एस०
14. टी० सी० पी० ओ० ऑफिसर्स सी०जी०एच०एस०
15. ई० आई० एल० कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
16. आई० एफ० यू० एन० ए० कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
17. ईस्ट बंगाली डिस्पैलेस्ड परसन सी०जी०एच०एस०
18. औद्योगी कर्मचारी सी०जी०एच०एस०
19. एयरइण्डिया स्टाफ सी०जी०एच०एस०
20. आई० आई० टी० डी० टीचर्स सी०जी०एच०एस०
21. आर्ट होम कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
22. कश्मीर सहायक समिति सी०जी०एच०एस०
23. दी गालिव मेमोरियल सी०जी०एच०एस०
24. डी०एम०ई०एस० कोऑपरेटिव जी०एच०एस०
25. यूनाइटेड नेशनल स्टाफ सी०जी०एच०एस०
26. नई दिल्ली बंगाली सी०जी०एच०एस०
27. दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग टीचर्स सी०जी०एच०एस०
28. होम गार्ड एण्ड सिविल डिफेंस सी०जी०एच०एस०

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर शिक्षा, सांस्कृतिक और खेलकूद संस्थाएं

5648 श्री समर गुहः क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और पण्डित जवाहर लाल नेहरू के सम्मान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित, सम्पूर्ण सहायता प्राप्त और शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद, समाज कल्याण, युवक कल्याण आदि संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) 1974-77 वर्षों में उपरोक्त संस्थाओं के सम्बन्ध में हुए वार्षिक खर्च का व्यौरा क्या है ;

(ग) पण्डित जवाहर लाल नेहरू और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवनकाल के कार्यों और क्रियाकलापों में सम्बन्धित पुस्तकों और शिक्षा विभाग के विचाराधीन पुस्तकों के नाम क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक किए गए कुल खर्च से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (घ) विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 884/77)

माध्यमिक शिक्षा की इतिहास की पुस्तकों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज की भूमिका को उचित स्थान देना

5649. श्री समर गुहः क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सेकण्डरी एज्यूकेशन बोर्ड के अधीन स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली स्वतंत्रता के इतिहास की पुस्तक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज का भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है;

(ख) क्या कुछ पुस्तकों में केवल साधारण रूप में उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों में भी सेकण्डरी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली भारतीय स्वतन्त्रता से सम्बन्धित इतिहास की पुस्तकों में इस प्रकार की त्रुटियों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में सेकण्डरी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा निभाई गई भूमिका को उचित स्थान देने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) तथा (ख) जी नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में इतिहास की पुस्तकों में, आजादी की लड़ाई में नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज की भूमिका का उल्लेख है। विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) क्योंकि शिक्षा मुख्यतः राज्य का विषय है, इसलिए राज्य स्वयं अपनी अपनी पुस्तकें रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बारे में कोई अनुदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की प्रथा नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्चाएं तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को, उनके मार्गदर्शन के लिए भेजी जाती हैं।

विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्ध स्कूलों में, जिनमें दिल्ली के स्कूल तथा केन्द्रीय विद्यालय भी शामिल हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में दो पाठ्यपुस्तकें प्रयोग की जाती हैं। वे हैं:

1976-77 के दौरान कक्षा VIII तथा कक्षा X में क्रमशः निम्नलिखित पुस्तकें इस्तेमाल की जा रही हैं :—

- (1) आधुनिक भारत—मिडिल स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, तथा
- (2) आधुनिक भारत—माध्यमिक स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक।

इनमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज की भूमिका को पर्याप्त स्थान दिया गया है। 1920 से आजादी की लड़ाई में नेताजी की भूमिका, विशेषकर युवकों के नेता तथा कांग्रेस के उग्र-पंथी नेता के रूप में तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान आजाद हिन्द फौज के योगदान का पर्याप्त उल्लेख है। इन दोनों पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता आन्दोलन पर बल दिया गया है तथा नेताजी की भूमिका का उल्लेख, कक्षा VIII की पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 275-276, 284, 289, 300-301, 302 इत्यादि तथा कक्षा X की पुस्तक में पृष्ठ 279-280, 292, 293, 300-301 इत्यादि पर है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन की पत्नी को अध्यापन कार्य देना

5650. श्री समर गुहः क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सम्बद्ध विश्वविद्यालय के प्रावधानों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन की पत्नी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी अनियमित नियुक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, डा० (श्रीमती) सावित्री चन्द्र को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा भाषा स्कूल में, हिन्दी के फैलो के रूप में 28-10-74 से, दो साल की अवधि के लिए, 700 रु० प्रतिमास के वेतन पर, तथा 700-50-1250 (संशोधन से पूर्व) के वेतनमान में, विश्वविद्यालय विधानों के विधान 27 के अनुसार गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर, इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि उनकी सेवा-समयावधि की एक साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकेगा तथा उक्त सेवा-समयावधि की समाप्ति पर, उनका एक 'फैलो' के रूप में स्थायीकरण अथवा उनकी एक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति अन्य चयन समिति की सिफारिशों पर ही की जा सकेगी।

तदनन्तर, विश्वविद्यालय विधानानुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद् ने डा० (श्रीमती) सावित्री चन्द्र को, विश्वविद्यालय के भाषा स्कूल के भारतीय भाषा केन्द्र में 1200-1900 रुपए के वेतनमान में, 1250 रुपए के प्रारंभिक वेतन के साथ, 28-6-1976 से एक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया।

अतः, डा० (श्रीमती) चन्द्र की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिनियम तथा विधान के प्रावधानों के अनुसार ही की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में, विश्वविद्यालयों में की जाने वाली नियुक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किए जाने का कोई प्रावधान निहित नहीं है, न ही केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शामिल करने का ही इन नियमों में कोई प्रावधान विद्यमान है।

दिल्ली के स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति

5651. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आयु और एम०ए० डिग्री में दूसरी श्रेणी की ओर ध्यान न देते हुए स्नातकोत्तर अध्यापकों को वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाता है ;

(ख) क्या सहायता प्राप्त विद्यालयों में वरिष्ठ स्नातकोत्तर अध्यापकों की भी उपरोक्त आधार पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति होती है; और

(ग) क्या दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 के उपलब्ध दोनों मामलों में लागू होते हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रिंसिपल का पद चयन पद होने से इस पर पदोन्नति उपलब्ध रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत तक योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। शेष 50 प्रतिशत पदों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। सीधी भर्ती के लिए द्वितीय श्रेणी में एम०ए० एक अनिवार्य शर्त है। पदोन्नति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मामले में आयु और योग्यताओं की शर्त लागू नहीं होती।

(ख) सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रिंसिपल का एक ही पद होता है क्योंकि प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल को एक स्वतन्त्र एकक समझा जाता है। पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत और सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत का अनुपात, जैसा कि राजकीय स्कूलों के मामले में होता है, सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में लागू नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है और सभी पात्र व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) जी, हां।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के उप-प्रधानाचार्यों के पद

5652. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में मंजूर किये गये उप-प्रधानाचार्यों के पदों की तरह सहायता प्राप्त स्कूलों में उप-प्रधानाचार्यों के पद मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वाइस प्रिंसिपलों की नियुक्ति उन राजकीय स्कूलों में की जाती है जिनमें 10वीं तक की कक्षाएं होती हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी की जाती है जिनमें छात्रों की संख्या 800 से अधिक हो जाती है। सहायता-प्राप्त स्कूलों के मामले में, या तो इनमें छात्रों की संख्या 800 से कम है। ये विस्तारित स्कूलों के रूप में दो पारियों में चलाए जाते हैं। जहां स्कूल दो पारियों में चलाए जाते हैं, वहां वाइस प्रिंसिपल/दूसरी पारी के प्रभारी को 50 रु० का भत्ता दिया जाता है। सहायता प्राप्त स्कूलों में यह प्रथा काफी समय से चली आ रही है और यह पर्याप्त सकल रही है।

कर्नाटक में सहकारी चीनी मिलों का कार्यकरण

5653. श्री डी० वी० चन्द्रगौडा: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितनी सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं और वर्ष 1976 में कितनी मिलों ने मन्थन और मशीनरी के लिये आर्डर दिये थे;

(ख) इन मिलों में से कितनी मिलों में चालू वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है और गत दो वर्षों में कितनी मिलों का काम पूरा हो गया था; और

(ग) उस राज्य में प्रतिवर्ष औसतन गन्ने की कितनी खेती होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) कर्नाटक में नौ चीनी सहकारी फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं। 1976 के दौरान एक प्रतिष्ठान ने संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर दिया है।

(ख) चालू पेरार्ड मौसम के दौरान किसी नई चीनी मिल के उत्पादन शुरू करने की आशा नहीं है। पिछले दो पेरार्ड मौसमों (चीनी मौसम पहला अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होता है) के दौरान कर्नाटक राज्य में चार नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं।

(ग) कर्नाटक में गन्ने के अंतर्गत औसत क्षेत्र 1.21 लाख हेक्टर के आस-पास है और प्रति प्रतिवर्ष गन्ने का औसत कुल उत्पादन 99 लाख मीटरी टन है।

National Institutions for Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically Handicapped

5654. Shri Yuvraj : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether national institutions for blind, deaf, mentally retarded and orthopaedically handicapped persons have been expanded and improvements have been brought about therein and if so, the number of persons benefited thereby; and

(b) the number thereof in Bihar, the amount received by each of them and the amount returned unutilised ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chander Chunder):

(a) and (b) No National Institute for the handicapped has yet been set up by the Government. It is proposed to set up one National Institute each for the Visually Handicapped, the Deaf, the Orthopaedically Handicapped and the Mentally Retarded. The main object of these Institutes will be to sponsor or conduct research into all important aspects of the education and rehabilitation of the handicapped, train personnel and undertake the production and distribution of special books, appliances, instructional materials and teaching aids.

Study of Hydrology

*5655. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether in order to determine the feasibility of the means of irrigation, State Governments have been asked to conduct a study of hydrology ; and

(b) if so, the States which have forwarded their reports so far and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir. The State Governments have been addressed from time to time with regard to collection of sufficient hydrological data for conceiving the projects which include means of irrigation as well. It has also been impressed upon the State Governments that wherever feasible,

conjunctive use of surface and ground waters should be adopted to attain the optimum utilisation.

(b) Various State Governments have submitted a number of projects for inclusion in the Fifth Plan. These are examined by the Central Water Commission with specific reference to hydrology. During the examination the yield, sedimentation, working tables, design floods evaporation from reservoirs etc. are checked up in detail and necessary modifications, if any, are carried out. In some instances, the Centre conducts detailed hydrological studies to establish the feasibility and also undertakes such studies as required by the State Authorities. Thereafter the projects are considered further for clearance.

विद्युतचालित हलों का प्रयोग

5656. श्री वेणुगोपाल गोंडर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और तमिलनाडु में कितने किसान विद्युतचालित हलों का प्रयोग कर रहे थे;

(ख) क्या विद्युतचालित हलों की मांग में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) इसकी बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई योजना है, तो उसे क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) सन् 1972 की पशु संगणना के अनुसार भारत में 17,200 पावर टिलर प्रयोग में लाये जा रहे थे। देश में निर्मित हुए पावर टिलरों के वितरण को ध्यान में रखते हुए, भारत में प्रयुक्त पावर टिलरों की संख्या का अनुमान सन् 1974-75 के लिए 22,010, सन् 1975-76 के लिये 24,197 और सन् 1976-77 के लिए 25,896 लगाया गया है। उपर्युक्त आधार पर तमिलनाडु में प्रयुक्त पावर टिलरों की संख्या का अनुमान सन् 1974-75 के लिए 2106, सन् 1975-76 के लिए 2494 और 1976-77 के लिए 2733 लगाया गया है।

(ख) पावर टिलरों के उत्पादन और विक्रय से पता चलता है कि उनकी मांग में कमी आयी है।

(ग) देश में इस समय बनाये जा रहे पावर टिलरों का विपणन 'रोटोवेटर', 'हज कस्टीवेटर', 'रिजर' ट्रेलर आदि के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग छिड़काव, पम्पिंग, समतलीकरण, उपयुक्त सम्बद्ध उपकरणों के साथ बीज बोने के लिए भी किया जाता है। उत्पादकों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा नये उपकरणों तथा सम्बद्ध उपकरणों को विकसित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) पावर टिलरों को अपनाने व उनके उपयोग में वृद्धि लाने के मार्ग में प्रमुख बाधा उनकी (पावर टिलरों की) ऊँची लागत है। लागत को कम करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने निम्नांकित कदम उठाये हैं:—

1. पावर टिलरों पर से 1 प्रतिशत की उत्पादन शुल्क हटा दी गयी है।
2. पावर टिलरों के पुर्जों के मानकीकरण के द्वारा पावर टिलरों की लागत कम करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।
3. राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय, राज्यों के कृषि विभाग तथा कृषि उद्योग निगम, प्रदर्शनों आदि के जरिये पावर टिलरों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
4. पावर टिलरों की खरीद के लिए कृषकों को मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋण मुहैया किये जा रहे हैं।

कृषि सेवा केन्द्र

5657. श्री वेणुगोपाल गोंडर: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सेवा केन्द्रों के कृत्य क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये केन्द्रों की संख्या कितनी है,

(ग) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रों में तकनीकी पृष्ठभूमि वाले कितने युवकों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इन केन्द्रों के कार्यकरण के मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) कृषि सेवा केन्द्रों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों का, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समेकित सेवाएं तथा सप्लाई मुहैया करना है। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(1) तकनीकी कर्मचारियों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय को महत्वपूर्ण तकनीकी सेवाएं मुहैया करना।

(ख) 30-6-1977 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में 2910 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें से 64 केन्द्र बन्द किये जा चुके हैं तमिल नाडु में 180 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(ग) 30 जून, 1977 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में कृषि सेवा केन्द्रों में नियुक्त तकनीकी जानकारी रखने वाले युवकों की संख्या इस प्रकार थी :—

(1) इंजीनियरी में डिग्री रखने वाले	87
(2) इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले	3
(3) इंजीनियरी में डिप्लोमा रखने वाले	127
(4) कृषि इंजीनियरी में डिप्लोमा रखने वाले	3
(5) कृषि में डिग्री रखने वाले	23
(6) कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री वाले	3
(7) कृषि इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले	1
(8) भूतपूर्व सैनिक	6

अन्य राज्यों के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) तमिलनाडु में कृषि सेवा केन्द्रों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में गहराई से मूल्यांकन करने के लिए, तमिलनाडु कृषि उत्पादकता परिषद्, मद्रास को अध्ययन का कार्य सौंपा गया था और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मार्च, 1977 में विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगमों के जगह, जिनमें कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सैल हैं, कृषि सेवा केन्द्रों की कार्यविधि का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन से प्राप्त हुए खास-खास परिणाम निम्न प्रकार से हैं :—

(1) निवेश:

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्येक उद्यमकर्ता का 2.5 लाख रु० तक के मध्यावधि ऋण या नकद ऋण दिये गये हैं। एक कृषि सेवा केन्द्र पर कुल औसत निवेश 1.00 लाख रु० बैठता है 2 8 4 6 केन्द्रों पर कुल निवेश 28.00 करोड़ रु० (लगभग) बैठता है।

(2) सृजितरोजगार :

उद्यमकर्त्ताओं के अतिरिक्त, कृषि सेवा केन्द्रों ने तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों के लिए भी रोजगार पैदा किये हैं। प्रत्येक कृषि सेवा केन्द्र में औसतन 4-5 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

(3) कृषक सेवाएं :

प्रत्येक कृषि सेवा केन्द्र प्रति वर्ष औसतन 300 कृषकों को सेवाएं प्रदान करता है।

(4) कार्य की मात्रा :

उद्यमकर्त्ताओं की कृषि मशीनों के कार्य-घंटों का वार्षिक औसत नीचे दिया गया है:—

ट्रैक्टर	989 घंटे
पावर टिलर	552 घंटे
पम्पिंग सैट	510 घंटे

(5) व्यापारिक क्रिया-कलाप :

उद्यमकर्त्ताओं का प्रमुख व्यापार ट्रैक्टरों का “कस्टम हायरिंग” है (पंजाब में ‘कम्बाइन’ भी शामिल हैं)। कुछ लोग बीज, उर्वरक, ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों, कृषि औजारों के व्यापार कार्य में भी लगे हुए हैं। इन सभी मदों से प्रत्येक केन्द्र में होने वाली वार्षिक आय लगभग 3 लाख रु० है।

(6) वित्तीय परिणाम :

लाभ में चलने वाले केन्द्र	76 प्रतिशत
हानि में चलने वाले केन्द्र	11.44 प्रतिशत
जिन केन्द्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है	12.56 प्रतिशत

(7) उद्यमकर्त्ताओं द्वारा स्वयं किया गया पूंजी निवेश :

सभी उद्यमकर्त्ता अपना भी धन लगाते हैं जो प्रति उद्यमकर्त्ता 20,000 रु० से 30,000 रु० तक होता है।

गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स, पूना में भूमि सुधार केन्द्र का अध्ययन

5658. श्री पी०वी० पेरियासामी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड एकनामिक्स, पूना में, ‘भूमि सुधार केन्द्र’ नामक अनुसंधान केन्द्र को सौंपे गये उस अध्ययन कार्य के परिणाम क्या निकले हैं जो जोत विखण्डन और चकबन्दी से संबंधित कानून और उनके क्रियान्विति के तरीके पर पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने के बारे में था; और

(ख) इस प्रकार किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप ठोस कार्यवाही संभवतः कब तक की जाने लगेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रस्तावित अध्ययन दो भागों में किया गया था। पहले भाग में जोत विखण्डन को रोकने तथा चकबन्दी के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गए कानूनों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया ताकि कानूनों के स्वरूप और उनके कार्यक्षेत्र, उनके कार्यान्वयन के तरीके तथा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी प्रभावशीलता को स्पष्ट किया जा सके। इस भाग का अध्ययन पूरा हो चुका है रिपॉर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दूसरे भाग में जोत विखण्डन तथा चकबन्दी के बारे में प्राप्त अनुमानिक आंकड़ों का अध्ययन निहित है। यह अध्ययन इस वर्ष जून से शुरू किया गया है।

(ख) चकबन्दी और जोत विखण्डन को रोकने का काम राज्यों द्वारा किया जायगा। अध्ययन के परिणाम प्राप्त हो जाने पर, उनकी जांच की जाएगी और राज्यों को उपयुक्त सलाह दी जाएगी।

मद्रास की गन्दी बस्तियों के लिये महानगर विकास परियोजनाएं

5659. श्री पी० बी० पेरियासामी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिये नई महानगर विकास योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उसमें तथा अन्य महानगरों में आरम्भ की गयी विकास योजनाओं में क्या खास भिन्नता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मद्रास योजना के लाभप्रद पहलुओं को स्वीकार करने के लिये अन्य राज्यों से सिफारिश करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मद्रास नगर विकास परियोजना, बहु क्षेत्रीय परियोजना है। गन्दी बस्ती सुधार परियोजना का एक घटक है। इस घटक के अधीन अर्ध संरचना सुधार, जिसमें अब उन गन्दी बस्ती क्षेत्रों में सुधारी सड़कें, फुटपाथ, नालियां जलपूर्ति, सार्वजनिक शौचालय और नहाने घोंने की सुविधाएं शामिल हैं जहां ऐसी सुविधायें नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त, मद्रास गन्दी बस्ती सुधार परियोजना में गन्दी बस्ती क्षेत्रों में उपर्युक्त रोजगार के अवसर तथा पोषण तथा स्वास्थ्य के सुधार की व्यवस्था भी है। अन्य शहरों में गन्दी बस्ती क्षेत्रों के सुधार को अधिकांश योजनाओं में वास्तविक सुविधायें देने पर ही केवल बल दिया जाता रहा है।

(ग) जी, हां।

भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मंडल

5660. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने कृषि और सिंचाई मंत्री से भेंट की थी और उनसे यह अनुरोध किया था कि वरिष्ठ वैज्ञानिकों के पदों पर सभी भातियों पर तब तक रोक लगा दी जाये जब तक कार्यरत कनिष्ठ वैज्ञानिकों को वरिष्ठ ग्रेड में खपाया नहीं जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विज्ञानियों की मांग न्यायसंगत नहीं है क्योंकि कृषि अनुसंधान सेवा के विभिन्न ग्रेडों पर की जाने वाली सीधी भर्ती वर्तमान कनिष्ठ विज्ञानियों के भविष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी।

कालपात्र

5661. श्री हरिविष्णुकामत : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री कालपात्र के बारे में 20 जून, 1977 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1040 तथा 28 जून, 1977 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कालपात्रों को उखाड़ने की समय मारिणी बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुदाई कार्य की देख-रेख और पर्यवेक्षण के लिये एक समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये कालपात्र को निकालने से संबंधित प्राक्कलन की जांच की जा रही है। जिस तारीख से कार्य किया जायेगा, उस तारीख से कालपात्र को निकालने में संभवतः 2-3 सप्ताह लग जायेंगे। वर्षा ऋतु के बाद ही कार्य शुरू करने की तकनीकी सलाह दी गई है, क्योंकि वर्षा ऋतु की अवधि में पानी का स्तर ऊंचा रहता है।

(ख) व्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) कार्य को शुरू करने के निर्धारित समय के आस-पास ही समिति गठित किए जाने की संभावना है।

(घ) समिति के कार्मिकों का निर्णय यथा-समय किया जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिला

5662. श्री कंवर लाल गुप्त: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिले के पात्र कितने छात्र हैं;

(ख) सभी कालेजों में प्रथम वर्ष (फ़र्स्ट इयर) में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें कालेजों में दाखिला दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) किन कालेजों में सान्ध्य कक्षाएँ आरम्भ की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस वर्ष दिल्ली में हुई उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में पात्र छात्रों की अनुमानित संख्या 36,780 है। इसके अतिरिक्त लगभग 9000 छात्र एक विषय में कम्पार्टमेंट परीक्षा में रखे गए थे और अगस्त/सितम्बर 1977 में होने वाली कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठेंगे। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि उनमें से कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे और प्रवेश के पात्र हो जाएंगे।

(ख) प्रथम वर्ष परीक्षा के परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं।

(ग) विश्वविद्यालय ने यह बताया है कि उसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) कुलपति ने कालेजों के प्रधानाचार्यों से यह अनुरोध किया है कि इस वर्ष प्रवेश क्षमता कम से कम पिछले वर्ष दिए गए वास्तविक दाखिलों (33,000) के स्तर पर बनाये रखें और छोड़े गए आसतन छात्रों को शामिल करने के लिए लगभग 10 प्रतिशत और अधिक छात्रों को दाखिल करें। प्रधानाचार्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक छात्रों को दाखिल करें जिससे 10+2+3 शिक्षा योजना के आरंभ होने की वजह से अगले वर्ष नामांकन गिरने की संभावना है और इस प्रकार अगले वर्ष कालेजों को द्वितीय वर्ष में अधिक छात्र मिल सकेंगे और नामांकन में गिरावट से कुल नामांकन पर अधिक कुप्रभाव न पड़े।

- (2) कुछ कालेजों को लोकप्रिय विषयों में अतिरिक्त आनर्स और पास पाठ्यक्रमों को शुरू करने की अनुमति देते हुए नियमित कालेजों में 1000 अतिरिक्त स्थान रखे गए हैं।
- (3) पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में वर्तमान बी०ए० (पास) और बी० काम० (पास) पाठ्यक्रमों में 1500 और स्थान बढ़ा दिए हैं।
- (4) गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में 500 और स्थान बढ़ा दिए हैं।
- (5) पत्राचार पाठ्यक्रमों और सतत शिक्षा स्कूल को इस वर्ष से बी०काम० (आनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को पंजीकृत करने की अनुमति दे दी गई है।
- (घ) इस वर्ष किसी कालेज ने अब तक नई संख्याकालीन कक्षाएं आरंभ नहीं की है।

Flood Control Scheme for Bihar

*5663. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar had sent any scheme for flood control to the Central Government for approval ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) The State Government of Bihar have submitted the following flood control and drainage schemes to the Central Government for approval :

Sl. No.	Details of Scheme	Estimated cost in Rs. lakhs
1	2	3
1. Patna Flood Protection Works :		
(a)	Construction of embankment-cum-masonry walls on right bank of river Ganga from Digha to Maner.	555.08
(b)	Construction of embankment on right bank of river Sone from Maner to Saidabad.	546.47
(c)	Construction of new Masonry dowel wall and raising existing dowel wall from Digha to Bansghat.	26.48
(d)	River training works for preventing erosion by river Ganga at vulnerable places.	75.00
(e)	Construction of an Escape channel from Patna canal.	55.70
(f)	Closure of lock gate on Patna canal and provision of gate at the Junction of Patna canal with river Ganga.	29.90
(g)	Raising and Strengthening of Patna canal embankment.	45.86
(h)	Raising and Strengthening of Maner Distributory.	18.60
(i)	Raising and Strengthening of Danapur Distributory and construction of new embankment in the tail reach.	71.53
(j)	Urban drainage scheme.	410.00
(k)	River training works along river Ganga including construction of new dowel near Dujra, Golghar and Guljarbagh.	241.00
(l)	Rural drainage schemes.	486.15
(m)	Raising and strengthening of left embankment of Punpun river and also construction of new embankment.	577.83

1	2	3
2.	Revised Sone embankment scheme on both banks of river.	277.13
3.	Mokameh Tal Drainage scheme.	287.33
4.	Kuhutaha protection scheme on right bank of river Ganga	66.79
5.	Dumri Chapra embankment scheme on left bank of river Ganga.	199.00
6.	Chapra Sonapur embankment on river Ganga.	747.17
7.	Hazipur-Bazipur embankment scheme on river Ganga.	1077.35
8.	Narayanpur protection scheme on left bank of river Ganga.	162.00
9.	Narayanpur-Kursella embankment scheme on left bank of river Ganga.	220.01
10.	Badlaghat-Nagarpara embankment scheme on right bank of river Kosi.	244.63
11.	Trimohani-Kursella embankment scheme on right bank of river Kosi.	161.80
12.	Jaunia-Kursella and Brandi flood control scheme on left bank of river Kosi and both banks of river Brandi.	110.76
13.	Perman Flood Protection scheme on both banks.	1859.30
14.	Embankment from Chitauni to Bansi Nala in Bihar portion of right bank of river Gandak.	347.00
15.	Estimate for remodelling of spurs at Piprasi and raising and strengthening Piprasi-Pipraghat embankment.	91.86
16.	Raising and strengthening of existing Saran embankment of right bank of river Gandak.	72.43
17.	Estimate for ring bund to protect Koelwar.	73.98
18.	Revised estimate for constructing embankment on both banks of Bagmati.	3620.00
19.	Revised estimate of Sikrahana embankment (Right).	997.00
20.	Revised estimate of Sikrahana embankment (Left).	294.00
21.	Master Plan for flood control in Bihar. However it is yet to be considered and recommended by the Bihar State Technical Advisory Board.	48,156.00

The above schemes are at various stages of scrutiny and processing. Out of these, seventeen schemes have since been returned to the State Government with observations suggesting improvements and modifications.

Tender for Supply of Stamped Paper

5664. **Shri R. L. P. Verma :**

Dr. B. N. Singh :

Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether the Department of Supply invited tenders for supply of stamp paper worth one crore and seventy-five lakh rupees for Government Press, Nasik (Bombay);

(b) whether the tender of M/s. Paper Mills, Titagarh (Calcutta) quoting one crore and seventy-five lakh rupees has been accepted whereas M/s. Adarsh Agencies, Nasik (Bombay) have quoted one crore and thirty-five lakh rupees for the same; and

(c) whether Government propose to take stern action against the corrupt officers who are responsible for this loss of 40 lakh rupees to the State exchequer?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir. The Directorate General of Supplies and Disposals invited tenders for the supply of (i) High rag content water marked (low value) stamp paper—1350 M/Ts and (ii) high rag content water marked impressed stamp paper (copy stamp paper)—212 M/Ts to India Security Press, Nasik, Maharashtra, against an estimated cost of Rupees One Crore and Seventy Two Lakhs.

(b) The prices quoted by M/s. Titagarh Paper Mills, Calcutta and M/s. Adarsh Agencies, Nasik are indicated below :—

Item No.	Rate per M/t quoted by	
	M/s. Titagar Paper Mills, Calcutta	M/s. Adarsh Agencies, Nasik
1.	Rs. 11,000/-	(a) Rs. 8,600/- for entire quantity. (b) Rs. 9,000/- for 600 to 1000 M/Ts. (c) Rs. 9,500/- for 300 to 600 M/Ts.
2.	Rs. 11,000/-	Not quoted.

M/s Adarsh Agencies further revised their prices upwards as follows :—

- (a) Rs. 9,100/- per M/T for the entire quantity
- (b) Rs. 9,500/- per M/T for 600—1000 M/Ts
- (c) Rs. 9,600/- per M/T for 300—600 M/Ts.

Orders were placed for 800 M/Ts of Item No. 1 and 212 M/Ts of the Item No. 2 on M/s Titagarh Paper Mills, Calcutta, the registered and past suppliers to meet the urgent and essential requirements of the Indentor. M/s Adarsh Agencies are neither registered with the Directorate General of Supplies & Disposals nor have supplied this item in the past. They also do not manufacture the item. They have quoted only as Commission Agents on behalf of M/s. Straw Products and the sample submitted by them was not upto specifications. Moreover, neither M/s. Straw Products nor M/s. Adarsh Agencies were equipped with Dandy Rolls for putting the water mark on the stamp paper and Tub Sizing Plant for giving special anti-ageing effect to the Stamp Paper. The delivery schedule offered by them also did not suit the Indentor's requirements.

(c) Does not arise.

किरायेदारों की तुरन्त बेदखली को रोकने के लिए दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम का संशोधन

5665. श्री किशोर लाल: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में आपात स्थिति के महीनों में किराये में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सभी भूस्वामियों और मकान मालिकों का मकान के निजी प्रयोग के तर्क पर किरायेदारों से तुरन्त मकान खाली करवाने के लिए दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में किए गए संशोधन से किरायेदारों को अत्यधिक कठिनाईयां हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संशोधन को समाप्त करने का है क्योंकि इससे सरकार को राज सहायता प्राप्त किराये पर सरकारी मकानों में रह रहे अपने मकान वाले अधिकारियों और

कर्मचारियों को मकानों से निकालने में सहायता नहीं मिली है बल्कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के सभी किरायेदारों को परेशान करने में सहायता मिली है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उस बारे में सरकार ने रिपोर्ट देखी है ।

(ख) किरायेदारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गया है कि संशोधन से उन्हें कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं ।

(ग) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 जिसमें दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1976 के परिमल रूप बनाय गये उपबन्ध शामिल हैं, का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

कृषि विकास में असंतुलन

5666. श्री किशोर लाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के, राज्यवार, नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1966 में नई कृषि नीति आरम्भ किये जाने के पश्चात् कृषि में 5 प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त की है;

(ख) क्या इन जिलों में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम लागू किया गया था और क्या इस से गत दशकाब्दि में कृषि विज्ञान में भारी क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है; और

(ग) बढ़ते हुये क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1962-65 से 1970-73 तक की अवधि के लिए 334 जिलों (जिन्हें 289 जिला यूनिटों के रूप में बनाया गया है) के कृषि उत्पादन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर का एक अध्ययन क्षेत्रीय विकास के अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय तथा दृष्टमान आयोजना प्रभाग, योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इन समय अध्ययन की एक प्रारम्भिक रिपोर्ट उपलब्ध है। अध्ययन किए गए जिलों यूनिटों में से जिनकी वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत से अधिक है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त रिपोर्ट में विभिन्न संस्थागत, प्रौद्योगिकी तथा अन्य पहलुओं का विश्लेषण शामिल नहीं है, जो कुछ क्षेत्रों में वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में अभाव के लिए जिम्मेदार है। ऐसे विश्लेषण के अभाव में कृषि उत्पादन की वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन के लिए किसी विशेष पहलू जैसे अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम के कार्यान्वयन को जिम्मेदार ठहराना कठिन है। तथापि, यह उल्लेख कर देना उपयुक्त प्रतीत होता है कि अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम को सारे देश में कार्यान्वित करने के लिये प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं कि नु कार्यान्वयन की दर अलग-अलग राज्य व अलग-अलग क्षेत्र में भिन्न होती है, जो उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की मात्रा, वर्षा की मात्रा तथा उसके वितरण एवं कृषि के लिए अनुकूल जलवायु वाली विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध अधिक उत्पादनशील किस्मों के निष्पादन सहित अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है।

(ग) सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना चाहती है, जिसका मुख्य आधार स्थानीय प्राकृतिक तथा भौतिक संसाधनों के विकास पर बल देकर क्षेत्र नियोजन होगा। सिंचाई पर बल देकर कृषि का विकास करना क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का मुख्य साधन होगा। कृषि पर आधारित उद्योगों तथा लघु उद्योगों की स्थापना का ग्रामीण रोजगार के सृजन से आपसी सम्बन्ध होगा। वानिकी संसाधनों, पशुपालन तथा मत्स्यकों की के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इस संदर्भ में पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विवरण

1962-65 से 1970-73 की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर वाले जिला
यूनिटों के नाम

राज्य	जिला यूनिट
पंजाब	अमृतसर भटिन्डा फिरोजपुर गुरदासपुर होशियारपुर जलन्धर कपूरथला लुधियाना रोपड़ पटियाला संगरूर
हरियाणा	अम्बाला गुडगांव जींद करनाल मोहिन्दरगढ़
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुजफ्फरनगर नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र
राजस्थान	अलवर बाड़मेर भरतपुर बून्दी चित्तोड़गढ़ गंगानगर जालौर जोधपुर पाली
जम्मू और कश्मीर	कश्मीर जम्मू
तमिल नाडु	साउथ अर्काट
गुजरात	जामनगर
असम	मिकिर तथा एन० सी० पहाड़ियाँ
कर्नाटक	चित्तदुर्ग रायचुर शिमोगा ।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा इंटरव्यू का बहिष्कार

5667. श्री किशोर लाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित 25 अप्रैल, 1977 से शुरू होने वाले इंटरव्यू का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों ने बहिष्कार करने के क्या कारण बताये हैं; और

(ग) उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) अप्रैल, 1977 में विज्ञानियों को योग्यता पदोन्नति अथवा अग्रिम वेतनवृद्धि देने के उद्देश्य से पहले पंचवर्षीय मूल्यांकन के रूप में कृषि नियुक्ति मंडल द्वारा साक्षात्कार किया गया जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बहुत से विज्ञानियों ने भाग लिया।

(ख) इन विज्ञानियों द्वारा बताया गया कारण यह था कि पदोन्नति के लिए विज्ञानियों से साक्षात्कारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह आश्वासन अतीत में संसद में दिया गया था।

(ग) विज्ञानियों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि पांच वर्ष के मूल्यांकन के लिए व कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा लिए गए साक्षात्कार उन साक्षात्कारों से बिल्कुल भिन्न है जो कि उनके द्वारा अलग-अलग स्थानों के लिए सीधी भर्ती या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के अधीन स्थानों के लिए किये जाते हैं, जिनके लिए बहुत से प्रतियोगी होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य से लिए गए साक्षात्कार नेमि या औपचारिक प्रकार के साक्षात्कार जैसे नहीं होते, जिसमें कि विज्ञानियों के सैद्धांतिक ज्ञान और शैक्षिक योग्यता (कैलीबर) की जांच की जाती है, बल्कि इनका अभिप्राय मूल्यांकन-अवधि में उनके कार्य और उपलब्धियां को पेश करने का उनको अवसर प्रदान करने का है। क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अभी भी कुछ शंकाएं थी इसलिए परिषद् ने यह निश्चय किया है कि साक्षात्कार लेने जरूरी नहीं होंगे किन्तु यदि विज्ञानी वैसा करना चाहे तो उन्हें उसी समय मूल्यांकन समिति के समक्ष पेश होने और अपने मामले को स्वयं प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

चावल तथा गेहूं की जल तथा खारा जल प्रतिरोधी किस्में तैयार करने के बारे में अनुसंधान

5668. श्री समरेन्द्र कुन्डु: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल तथा गेहूं के जल और खारा जल प्रतिरोधी बीज तथा पौधे तैयार करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है, यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है; और

(ख) क्या बीज और पौधे बाढ़, वर्षा अथवा खारे जल में एक महीने से अधिक डूबे रहने पर भी बचे रह सकते हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

गेहूं तथा चावल की निम्नलिखित किस्में पानी ठहरने व खारे पानी के प्रभाव का सामना करने के लिए उपयुक्त मानी गई हैं:--

चावल :

पानी ठहरने की प्रतिरोधी किस्में :

महसूरी, जी ई बी 24, कामिनी सारू, आर पी-193-1, 64-117, सी आर 1014, एन सी 1281, एस एल ओ 13, सी ओ 25, मनोहर साली आदि।

खारे पानी की प्रतिरोधी किस्में:

एम आर-18, एम सी एम-1, एम सी एम-2, सी एस आर-1 (दामोदर), सी एस आर 2 (डासल) सी एस आर-3, एस आर-268, चायना-13, कर्नाटक, बास्पा ट 1, गेटू तथा पोक्ल्ली ।

गेहूं :

खारे पानी की प्रतिरोधी किस्में

खरचिया-65, एच डी 1553, एच डी-20029 तथा ए 206 ।

(ख) नहीं श्रीमान ।

उड़ीसा में सिंचाई के लिए 'मास्टर प्लान

5669. श्री समरेन्द्र कुन्डु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भूजल का उपयोग करने हेतु सिंचाई का कोई मास्टर प्लान बनाया है और क्या विश्व बैंक ने इसके लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विवरण क्या है; और

(ग) क्या योजना मंजूर हो गई है, यदि हां, तो इसे कार्यरूप कब दिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से सलाह करके 118 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2,00,000 खुदाई के कुओं, 15,000 गैर सरकारी नलकूपों और 2,250 सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण करने के निमित्त एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था अनेक वरणों में सामान्य ऋण प्रणाली के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (जो विश्व बैंक की सम्बद्ध संस्था है) द्वारा प्रदान की गई राशि से और अपने पास की राशि से की जानी है।

इस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 36 करोड़ रुपए की कुल लागत से 'उड़ीसा कृषि विकास परियोजना' के अधीन भू-जल सर्वेक्षणों को गतिमान करने और उनका संचालन करने के लिए वित्त व्यवस्था करने तथा उथले नलकूप प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के उपाय करने के लिए सहमति प्रकट की है। इस परियोजना में कृषि विस्तार, अनुसंधान तथा अन्य सम्बद्ध कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की ओर से भूमिगत जल विकास कार्यक्रम की स्वीकृत योजनाओं के लिए राशि का आना शुरू हो चुका है। भू-जल सर्वेक्षणों और उथले नलकूप प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यक्रम को दिसम्बर, 1980 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है।

उड़ीसा सरकार द्वारा 'हुडको' से वित्तीय सहायता लेने का प्रस्ताव

5670. श्री समरेन्द्र कुन्डु : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार और किसी नगरपालिका अथवा उड़ीसा को किसी नोटिफाइड एरिया काउन्सेल से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 'हुडको' से वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है और क्या धनराशि मंजूर कर दी गई है और यदि नहीं, तो कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हुडको लिमिटेड ने विभिन्न अभिकरण से ऋण के लिए अभी तक 25 योजनाएं प्राप्त हुई हैं उदाहरणार्थ उड़ीसा राज्य से राज्य आवास बोर्ड, बृहत्तर कटक सुधार-न्यास, पुरी नगरपालिका, ब्रह्मपुरी विश्वविद्यालय आदि।

(ख) इन 25 योजनाओं में से हुडको ने 484.705 लाख रुपए के कुल वचनबद्ध ऋणों की 13 योजनाएं स्वीकृत की है। इसके विपरीत 147.82 रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है। 97.98 रुपए की कुल ऋण राशि की 6 योजनाएं विचाराधीन हैं और 829.90 रुपए की ऋण राशि की 6 योजनाएं पुनरीक्षित योजना की अप्राप्ति या ऋण देने की उनकी अपात्रता या उनका हुडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप न होने के कारण वापस ले ली गई/अस्वीकार कर दी गई।

Period for which M.P. Retains Government Accommodation

5671. Shri Mritunjay Prasad Verma : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) period for which a Member of Lok Sabha is entitled to retain Government accommodation on concessional rent and on market rent after he ceases to be a Member ;

(b) whether Government provide this facility to former Members and Ministers even thereafter and if so, conditions of eligibility therefor ; and

(c) the number of Members of Fourth Lok Sabha and former Minister who retained Government accommodation for more than 3 months after the new elections on termination of the Fifth Lok Sabha and upto which dates they retained the said accommodation and the rent realized from them together with their names and dates on which each of them vacated Government accommodation ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) A Member of the Lok Sabha is entitled to retain Government accommodation on concessional rent (i.e. normal rent less 25 % rebate) for a period of one month after he ceases to be a Member. He is not entitled to retain Government accommodation thereafter. After the dissolution of the Fifth Lok Sabha, individual Members who contested the elections for the next Lok Sabha and who did not retire or withdraw from the contest, were allowed further retention of Government accommodation till the date of declaration of their results, on twice the normal rent under F. R-45 A.

Those Members who are overstaying, are being charged market rent from the date of declaration of results till the vacation of accommodation.

(b) No. Members overstaying are facing eviction proceedings. Ministers who demitted office, and are not Member of Parliament, could retain Government accommodation for one month free of rent. Thereafter, they were liable to pay rent under F. R-45 B with D.C. till the cancellation of their allotments. After such cancellation, they are liable to pay market rent as well as face eviction proceedings.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

नासिक स्थित भारत सुरक्षा प्रेस

5672. डा० बापू कालदाते: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक स्थित भारत सुरक्षा प्रेस के रख-रखाव और निर्माण कार्य (जिसमें बिजली डिविज़न उम डिविज़न भी सम्मिलित हैं) की देख रेख करने वाला उम-डिविज़न कार्यालय इस समय बम्बई से कार्य रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन उम डिविज़न कार्यालयों को बम्बई में रखने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रो (श्रीसिद्धरुद्रबडत) : (क) जी, नहीं। सिविल पक्ष में दो उप-मण्डल हैं और भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक की देख-भाल के लिए नासिक स्थित बिजली पक्ष में एक उप-मंडल है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सेवों में फैली बीमारी

5673. डा० बसन्त कुमार पण्डित: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सेव की फसल में हाल में 'स्कैब' नाम की बीमारी हो गई है;

(ख) क्या उक्त बीमारी सेव की फसल वाले अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों के भी फैल रही है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बीमारी से प्रभावित क्षेत्र और सेव की फसल की अनुमानित क्षति का पता लगाया है; और

(घ) बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उद्यान विभाग ने क्या प्रयास किये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। रोग का शिमला जिले की कोटखाई उप-तहसील चोइर परगना के मौहली गांव के 30 एकड़ अलग-थलग इलाके में 3,000 सेव के पेड़ों पर कुप्रभाव पड़ा है। हानि का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) रोग पर नियंत्रण पाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार, पेड़ों पर छिड़काव करने, झड़ी हुए पत्तियों को जलाने आदि उचित वनस्पति रक्षण उपाय कर रही है। इसके फैलाव को रोकने के लिए, पौधों, भिट्टी-मुदा अथवा खाद को रोगग्रस्त क्षेत्र से दूसरे स्थानों पर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के घरेलू संगरोध सम्बन्धी उपाय किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सेवों को दागी करने वाले रोग के क्षेत्र का पता लगाने के लिए सेव पैदा करने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण करने, रोग को उसके वर्तमान केन्द्र से फलने से रोकने और उसके उन्मूलन के लिए भी उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, केन्द्रीय वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय तथा हिमाचल प्रदेश के बागवानी निदेशक शामिल हैं।

Confirmation in the cadre of Overseer in a Government Press, Minto Road, New Delhi

5674. Shri Ram Prasad Deshmukh : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the cadre of Overseer in Government of India Press, Minto Road, New Delhi and the dates since when they have been working on this posts;

(b) whether they have made a complaint that their Juniors have been confirmed when they have worked on *ad hoc* basis and are also senior to them; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) There are three Overseers belonging to the Scheduled Castes in the Government of India Press, Minto Road, New Delhi. The dates of their appointment are 22-3-1974, 25-6-1974 and 4-7-1977 respectively. There is no Overseer belonging to Scheduled Tribes in that Press.

(b) No Overseers junior to the above three Scheduled Caste Overseers have been confirmed. No such complaint has also been received from them.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् के भवन में शौचालय का उपयोग

5675. श्री शंकर सिंह जी बघेला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने "स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप" आयोजित करने के सिलसिले में जिन ब्रिटिश विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, रिंग रोड नई दिल्ली स्थित अपने भवन में एक मात्र उनके लिए शौचालय आरक्षित किया है ;

(ख) क्या शौचालय के बाहर "केवल अंग्रेजों के लिए" (फार ब्रिटन्स आनली) लिखा गया है ,

(ग) स्वतन्त्र भारत में ऐसा करने का क्या अर्थ है ; और

(घ) इसे हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) अध्यापन सहायता विभाग के भवन के चार शौचालयों में से एक शौचालय पर निम्नलिखित नोटिस लगा दिया गया था ।

"यह शौचालय केवल इंग्लैण्ड के विशेषज्ञों के लिए है । कृपया अन्य शौचालयों का प्रयोग करें । असुविधा के लिए खेद है ।"

दो ब्रिटिश विशेषज्ञों जिनकी सेवाएं (13 जून से 2 जुलाई, 1977) आलेख लेखन कर्मशाला आयोजित करने के लिए प्राप्त की गई थी को कर्मशाला के दौरान तीव्र पेचिश हो गई थी । इनके लिए शौचालय की न्यूनतम सुविधा की व्यवस्था करने के लिए नोटिस सिर्फ कर्मशाला अवधि के लिए लगाया गया था ।

Reclamation of Land in M.P.

5776. Shri Bhagirath Bhanwar :

Shri Subhash Ahuja :

Dr. Lakminarain Pandeya :

Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government of India give 25 per cent of the land reclaimed by R.R.O. Unit to the local Adivasis of Madhya Pradesh for cultivation;

(b) whether R.R.O. Unit had to reclaim four thousand acres of land in Shahpur project in District Baitool for rehabilitating Adivasis ;

(c) the acreage of land reclaimed by R.R.O. Unit under Shahpur project and the acreage of Land given to Adivasis for their rehabilitation ;

(d) whether some part of R.R.O. Unit was sent somewhere else even when land was available for reclamation ;

(e) whether there has been slackness in the reclamation programme as a result of reduction in the strength of the unit ; and

(f) whether it would not affect the work of rehabilitating local Adivasi families?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir. 25 per cent of land is reclaimed by Rehabilitation Reclamation Organisation Unit for resettlement of landless local people.

(b) Yes, Sir.

(c) Out of these 4,000 acres, 1,460 acres have already been reclaimed for being given to local adivasis and the rest of the area is being reclaimed.

(d) No, Sir. When half of the Rehabilitation Reclamation Organisation Unit was sent in 1975-76, the above 4,000 acres had not been identified by the State Government for reclamation.

(e) No, Sir. In fact, five more tractors have recently been added to the Unit.

(f) The question does not arise.

Retention of Government Accommodation by Ex-MPs and Former Minister in lieu of Previous Accommodation

5677. Shri Mritunjay Prasad Verma : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the names of former Members of Fifth Lok Sabha and those of former Ministers who retained Government accommodation upto 7th July, 1977 and whether some of them were allotted alternative accommodation in New Delhi in lieu of previous accommodation;

(b) if so, their names, addresses of the houses occupied by them, the market rent charged thereof and the rent realized from them ; and the rules governing the allotment of alternative accommodation if a former Member does not vacate the house which he is required to vacate ; and

(c) the names and present Delhi addresses of such Members, as on the 15th July, 1977 as were living in Western Court or in hotels or in other places for non-allotment of Government accommodation to which they were entitled ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

(a) The names of former Member of the Fifth Lok Sabha and those of former Ministers, who retained general pool accommodation upto 7th July, 1977, are indicated in the list enclosed (Annexure-I). Of these, only one ex-M.P. has been allotted alternative accommodation in New Delhi in lieu of previous accommodation.

(b) Out of the persons mentioned in Annexure I, only Smt. Gayatri Devi was allowed to retain her accommodation, which had been allotted to her in 1962 on payment of rent under F.R. 45-B with D.C., even when she was not an M.P. At her request, she has been allotted a smaller house, viz., 91, Lodi Estate. There is no provision in the rules for allotment of Government accommodation to Ex-Members of Parliament.

(c) This concerns the Lok Sabha Secretariat.

Statement

List of former Members of Fifth Lok Sabha and those of former Ministers who retained Government accommodation upto the 7th July, 1977.

Sl. No.	Name of Former Ministers/M.Ps.
1.	Shri B.P. Maurya, Ex-Minister
2.	Shri K.N. Singh, Ex-Minister
3.	Shri Jagannath Pahadia, Ex-Minister

Sl. No.	Name of Former Ministers/MPs
4.	Shri Gulzari Lal Nanda, Ex-M.P.
5.	Smt. Gayatri Devi, Ex-M.P.
6.	Smt. Krishna Kumari, Ex-M.P.
7.	Shri N.K. Sanghi, Ex-M.P.
8.	Shri Dinesh Singh, Ex-M.P.
9.	Shri K.R. Ganesh, Ex-M.P.
10.	Shri Tulmohan Ram, Ex-M.P.
11.	Shri Ram Saroop, Ex-M.P.
12.	Shri Jitender Prasad, Ex-M.P.
13.	Shashi Bhushan, Ex-M.P.

छोटे बंगलों में रहने का विकल्प देने वाले केन्द्रीय मंत्री

5678 श्री सुखेन्द्र सिंह: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अपनी हकदारी से छोटे बंगलों में रहने का विकल्प दिया है; और

(ख) भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में अभी कितने बंगले हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) एक।

(ख) दो।

स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना

5679. डा० बसन्त कुमार पंडित: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आन्ध्र प्रदेश स्थित गुप्तचर दल ने स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू के मकान पर जो, 'गोल्डन थ्रेशहोल्ड' के नाम से जाना जाता है और जिसे स्वर्गीय कुमारी पद्मजा नायडू ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के नाम पर दिया था, छापा मारा था ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो छापा मारा था, उसका उन्हें पहले से अधिकार प्राप्त था, यदि हां, तो कि ससे; और

(ग) इस छापे का प्रयोजन क्या था; और इसका क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) स्थानीय स्तरों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) के अधिकारी गोल्डन थ्रेशहोल्ड स्थित विश्वविद्यालय के कार्यालय में 17-19 मई, 1977 को गए थे और कुछ प्रलेखों की जांच की थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही

**बकाया राशि को बट्टे खाते डालने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के
अध्यक्ष द्वारा पत्र**

5680. श्री दिलीप चक्रवर्ती: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1977 तक भारतीय खाद्य निगम को देय कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) क्या यह सच है कि बकाया राशि को बट्टे खाते डालने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने परिपत्र जारी किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या परिपत्र जारी करने से पहले मंत्रालय से कोई स्वीकृति ली गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो क्या अध्यक्ष को ऐसा परिपत्र जारी करने का अधिकार था; और

(ङ) कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला): (क) भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार समेत विभिन्न पार्टियों से 31-3-1977 को 178.89 करोड़ रुए लेने थे।

(ख) अध्यक्ष ने ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया था ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में अध्यापकों का सेवा काल बढ़ाया जाना

5681. श्री कंवर लाल गुप्त: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान चौकड़ी के प्रभाव में आकर दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कुछ अध्यापकों को वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान उनकी सेवा-निवृत्ति तारीख के बाद उनकी सेवाओं में एक साल से अधिक समय की वृद्धि की थी; और

(ख) उन अध्यापकों के क्या नाम हैं और सेवा काल में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई समयावधि नहीं बढ़ाई गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के कुछ कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय प्रवेश नियमों का उल्लंघन

5682. श्री कंवर लाल गुप्त: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली के कुछ कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रवेश शिकायत समिति ने प्रवेश नियमों का उल्लंघन कर रहे कुछ कालेजों की निन्दा की है :

(ग) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली के कालेजों में सभी पात्र छात्रों को प्रवेश देने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय को इसके कुछ कालेजों द्वारा प्रवेश नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों पर प्रवेश शिकायत समिति द्वारा शीघ्रता से विचार किया गया और समिति के अनुरोध पर विश्वविद्यालय ने कालेजों को प्रवेश के लिए निर्धारित क्रिया विधियों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए पहले ही पत्र भेज दिया है।

(ग) विश्वविद्यालय उन कालेजों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित कर रहा है जिन्होंने प्रवेश के नियमों का उल्लंघन किया है और वह सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करेगा।

(घ) इस वर्ष दिल्ली से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी योग्य छात्रों को विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों, पत्राचार पाठ्यक्रम, स्कूल और गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में स्थान देने के लिए विश्वविद्यालय सभी संभव प्रयास कर रहा है।

नागार्जुन सागर और पोचमपाद परियोजनाओं का पूरा किया जाना

5683. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर और पोचमपाद परियोजनाओं को किन वर्षों तक पूरा किया जाना था ;

(ख) उनकी प्रगति इस समय किस चरण में है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नागार्जुन सागर और पोचमपाद परियोजनाओं को चौथी योजना के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम था।

(ख) नागार्जुन सागर बांध का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। दाएं किनारे की नहर और पहले 106 किलोमीटर की वितरण-प्रणाली चालू कर दी गई है, और नहर की 134 किलोमीटर तक की पहुंच पर काम चल रहा है। बाएं किनारे की नहर प्रणाली पर 154 किलोमीटर से 163 किलोमीटर तक के बीच काम चालू है। लगभग 5 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है जबकि अन्ततः 8.32 लाख हैक्टेयर की शक्यता सृजित की जानी है।

पोचमपाद परियोजना में, बांध पर मिट्टी और चिनाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। गोदावरी की दक्षिणी मुख्य नहर पूरी हो गई है और आर डी 82 तक चालू कर दी गई है जबकि आर डी 82 से आर डी 116 तक की पहुंच में काम चल रहा है। आशा है कि 1.17 लाख हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का सृजन किया जा चुका है जबकि अन्ततः 2.31 लाख की सिंचाई शक्यता का सृजन किया जाना है।

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में देर होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न किया जाना है।

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के लिए आवास कालोनियों का निर्माण

5684. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के लिए आवास कालोनियों के निर्माण हेतु सहायता देने के तरीके को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में पिछली योजना को पुनर्जीवित करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय ने ऐसी कोई आवास योजना नहीं बनाई है जो केवल हाथ करघा बुनकरों के लिए हो। इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई सामाजिक आवास योजनाएं जनता के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती हैं चाहे वे किसी जाति, धर्म तथा समुदाय के हों। हाथ करघा बुनकरों को सहकारी समितियां निम्नलिखित आवास योजनाओं से आर्थिक सहायता ले सकती हैं जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

(i) निम्न आय वर्ग आवास योजना:

ऐसे व्यक्तियों की जिनकी मासिक आय 600 रु० से अधिक न हो उनकी सहकारी समितियों को मकान की लागत के 80 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकता है जो प्रति मकान अधिक से अधिक 14,500 रु० तक होगा।

(ii) मध्यम आय वर्ग आवास योजना:

जिन व्यक्तियों की मासिक आय 601 रुपये से 1500 रु० तक है उनकी सहकारी समितियों को मकान की लागत का 80 प्रतिशत जो अधिक से अधिक प्रति मकान 27,500 रु० है, ऋण दिया जा सकता है।

(iii) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम :

इस योजना के अंतर्गत सहकारी समितियां गांवों में मकान बनाने, उनकी मरम्मत करने के लिए ऋण दिया जा सकता है। यह ऋण की राशि मकान के लागत के 80 प्रतिशत तक और अधिक से अधिक प्रति मकान 5,000 रुपये तक सीमित है।

इसके अतिरिक्त ऐसे शहरों की सहकारी समितियां जिनकी जनसंख्या एक लाख और इससे अधिक है, आवास तथा नगर विकास निगम से ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवास तथा नगर विकास की ऋण सहायता सारी परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक और अधिक से अधिक 60,000 रुपये प्रति मकान तक सीमित है।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1976 में जारी किए गए मार्ग निर्देशन के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाएं अपनी आवास योजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सहायता ले सकती हैं।

उपर्युक्त आवास योजनाओं के अंतर्गत सहकारी समितियों को देय वित्त सहायता की पद्धति में परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1 अप्रैल, 1969 से वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए जिसमें 'आवास' शामिल है केन्द्रीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से संबंधित नहीं होती। राज्य सरकारें अपनी

प्राथमिकता एवं आवश्यकताओं के अनुसार 'आवास' सहित राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों के नियतन करने में स्वतंत्र है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध प्रचार

5685. श्री बयालार रवि : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई०ए०आर०आई०) के कुछ असन्तुष्ट वैज्ञानिक आई०सी०ए०आर०और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार इस कार्यवाही का अनुमोदन करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कुछ असन्तुष्ट वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध झूठा प्रचार करते आ रहे हैं।

(ख) सरकार इस प्रकार की कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करती है।

(ग) सरकार इस प्रकार के विज्ञानियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाही करने की संभावना पर विचार कर रही है।

Colonies in Low-Lying Areas in Delhi Flooded with Water

5687. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state whether his attention has been drawn to the colonies in low lying areas in Delhi, particularly to the poor and helpless people living both sides of railway line from Shahdara Railway Station to Delhi Railway Station whose houses are flooded with water, rubbish is stinking there, sick children are sobbing there is no space left for moving because of water all around, there is no place left for the people even to ease themselves; and if so, the steps taken to provide immediate relief to these poor and helpless persons ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht) : The flooding of the low lying areas on both sides of the Railway line from Shahdara Railway Station to Delhi Railway Station is due to the heavy downpour during the monsoon months. There being no proper sewerage and drainage system, the water accumulates. At present, this water is being drained out partly through Kailash Nagar Pumping Station into the River Yamuna and partly through Krishna Nagar Nala. To solve this problem permanently, Shahdara storm water drainage scheme involving construction of five Trunk Drains is under execution.

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का चेयरमैन

5688. श्री मदन लाल शुक्ल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के वर्तमान चेयरमैन की अर्हताओं, अनुभव और पिछले रोजगार सहित अन्य पूर्ववर्ती का क्या ब्यौरा है ;

(ख) उनकी नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) क्या उन्हें योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री के साथ उनके संबंध होने के कारण ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कोई अध्यक्ष नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष है जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पदेन निदेशक भी है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रो० एच० एल० शर्मा का जीवन-कृत संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रो० शर्मा अपनी अर्हताओं के आधार पर चुने गये थे और उनका नाम मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को भेजा गया था जिसने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी।

विवरण

श्री हरवंश लाल शर्मा का जीवन-वृत्त

नाम :

प्रो० हरवंश लाल शर्मा

जन्म तिथि :

अक्तूबर 30, 1915

शैक्षिक अर्हताएं:

एम० ए० (संस्कृत) प्रथम श्रेणी

एम० ए० (हिन्दी) प्रथम श्रेणी

पी० एच० डी० श्रीमद्भगवत

डी० लिट० सूरदास

संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में ओरिएंटल परिक्षाएं।

शिक्षण तथा अनुसंधान में मार्ग दर्शन करने का अनुभव :

हिन्दी तथा संस्कृत की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का 30 वर्ष का अनुभव। हिन्दी, संस्कृत, भाषा-विज्ञान तथा हिन्दी भाषा और साहित्य का तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती और बंगला भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधान के संबंध में निर्देश देने तथा मार्गदर्शन करने का 23 वर्ष का अनुभव।

सूरदास इत्यादि की रचनाओं की परिभाषिक सूचि तथा ब्रज भाषा की सांस्कृतिक शब्दावली के संकलन का निर्देशन।

प्रशासनिक अनुभव :

विभागाध्यक्ष, निदेशक, अध्यक्ष तथा डीन इत्यादि के रूप में 28 वर्ष का अनुभव।

साहित्यिक कार्य :

आलोचना, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, इतिहास और साहित्य तथा शब्दकोष पर चौदह साहित्यिक प्रकाशन। विभिन्न विषयों पर लगभग 150 निबन्ध तथा लेख।

शैक्षिक विशिष्टताएं:

कुछ प्रकाशनों पर नकद पुरस्कार। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सम्बत् 2007-2010 के दौरान हिन्दी साहित्य में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए रत्नाकर पुरस्कार के रूप में दिया गया। ब्रजभाषा साहित्य, सम्बत् 2021 पर सर्वश्रेष्ठ कृति 'सूर और उनका साहित्य' के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा राधा कृष्ण दास पदक तथा सम्मानसूचक एक ताम्र-पत्र। 'हिन्दी शब्द सागर' के सम्पादन के लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा सम्मानसूचक ताम्र-पत्र।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में चैयरमैन के पद पर नियुक्ति से पहले का पद :

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रुपये 1600-1800 के सीनियर ग्रेड में हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष।

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

5689. श्री अर्जुन सिंह मबोरिया : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान का कार्यालय एक सरकारी इमारत में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय से बाजार दर पर किराया वसूल करती है ;

(ग) क्या संस्थान के अध्यक्ष और महानिदेशक ने अपने रिहायशी आवास के लिए किराये का भुगतान अप्रैल, 1976 तक रियायती दरों पर किया था ;

(घ) यदि हां, तो संस्थान से बाजार दर पर किराया और इन अधिकारियों से रियायती दर पर किराया वसूल करने का क्या औचित्य है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों से बाजार दर पर किराये को बकाया राशि वसूल करने का है ; और

(च) यदि हां, तो किस प्रकार ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) से (च) संस्थान के अध्यक्ष श्री बी० आर० भगत जो कि लोकसभा के अध्यक्ष की हैसियत से 10-रायसेना रोड को दखल में रखे हुए थे, ने 24-4-1977 को यह आवास खाली कर दिया है। वे प्रश्नाधीन अवधि के दौरान बगैर किराया दिए रहने के अधिकारी थे। वे इस समय लोकसभा समिति के द्वारा पूर्णतः अस्थायी तौर पर आबंटित किए गए 7-विडेंसर प्लेस में बाजार दर किराये पर रह रहे हैं।

संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डा० एल० एम० सिंघवी 30 लोधी एस्टेट में, जो कि राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया है, रह रहे हैं। राज्य सरकार डा० सिंघवी को आवास खाली करने के लिए पहले ही सूचित कर चुकी है। इसी दौरान राजस्थान सरकार पर बाजार दर पर किराया लगा दिया गया है।

संस्थान के महानिदेशक श्री एम० एन० कौल को राज्य सभा के सदस्य के रूप में 23-अशोक रोड आबंटित किया गया था। आबंटन 3-8-1972 से रद्द कर दिया गया था पर उन्हें एफ० आर० 45 बी के अधीन किराये के साथ विभागीय प्रभार अदा करने पर आवास को अपने पास बनाये रखने की अनुमति दे दी थी। श्री कौल ने 10-4-1976 को आवास खाली कर दिया तथा उनसे 1-1-1973 से लेकर जिस तारीख को आवास खाली किया था उस तारीख तक की अवधि का बाजार दर पर किराया वसूल कर लिया गया था।

दिनांक 13-6-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ. NO. 6 DATED 13-6-77

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) 13-6-1977 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में मुझे खेद है कि उसमें एक सत्यपर्क गलती हो गई है।

इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अनाधिकृत कालोनियों की एक सूची साथ लगी थी [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-885/77]। इसकी आगे जांच करने के बाद पता चला कि इसमें कुछ कालोनियां छूट गई हैं और कुछ दोहराई गई हैं। इसलिए इसके साथ दूसरी सूची संलग्न की जा रही है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा 1974 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर अनाधिकृत कालोनियों के नाम दिये गये हैं।

लोकसभा को इससे जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

**आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान जन सम्पर्क के साधनों के दुरुपयोग सम्बन्धी
श्वेत-पत्र**

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं "आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान जन-सम्पर्क साधनों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत-पत्र" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 870/77]

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह आपात स्थिति के काले कारनामों से सम्बन्धित है फिर इसे 'श्वेत-पत्र' क्यों कहा गया है ; काला या पीला पत्र क्यों नहीं ? मेरा अनुरोध है कि इसे सदस्यों में प्रचारित किया जाए।

Shri Ugra Sen (Deoria) : Hindi Copy should also be made available to us.

Mr. Speaker : It will be made available in Hindi also.

**नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ पुनर्वास उद्योग
निगम लिमिटेड का वर्ष 1974-75 का वार्षिकप्रतिवेदन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1974-75
के प्रमाणिक लेखे और एक प्रतिवेदन**

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 428 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 30 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 136 (ड) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 505 से 507 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) चौथा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 30 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 257 (ड) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) पांचवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 11 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 740 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 871/77]

- (2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
- (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 872/77]
- (3) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) उपर्युक्त पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 873/77]

धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम तथा तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं)

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला): (1) मैं धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूँ :—

- * (एक) धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 29 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 490 (ड) में प्रकाशित हुए थे।
- * (दो) धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 284 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 122/77]

मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

- (एक) गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात पंचायत (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 44) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) तमिलनाडु राज्य विधान-सभा मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियम (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
- (क) तमिलनाडु पंचायत संघ परिषद् (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 5) जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ख) तमिनाडु पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 8) जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 874/77]

भारतीय प्रबन्ध संस्थान का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा एक विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

- (1) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 875/77]
- (2) (एक) विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 876/77]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

Leave of Absence from the Sittings of the House

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित समय के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति दी जाए।

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) ठाकुर गिरिजा नन्दन सिंह | 27 जून से 8 अगस्त, 1977
(दूसरा सत्र) |
| (2) डा० कर्ण सिंह | 13 जून से 5 जुलाई, 1977
(दूसरा सत्र) |
| (3) श्री पी० पार्थसारथी | 11 जून से 11 जुलाई, 1977
(दूसरा सत्र) |
| (4) श्री केशवराव घोंडगे | 1 से 15 जुलाई, 1977
(दूसरा सत्र) |
| (5) श्री जादूनाथ किस्कू | 11 जून से 8 अगस्त, 1977
(दूसरा सत्र) |
| (6) श्री एफ० पी० गायकवाड़ | 11 जून से 31 जुलाई, 1977
(दूसरा सत्र) |

- (7) श्रीमती अकबर जहां बेगम 12 से 29 जुलाई, 1977
(दूसरा सत्र)
- (8) श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन 11 जून से 8 अगस्त, 1977
(दूसरा सत्र)

सभा समिति द्वारा सिफारिश किए गए समय के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

मंत्रियों के सम्बलम और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1977 SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

यूथ मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के सम्बलम में और भत्ते अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

“कि मंत्रियों के सम्बलम और भत्ते अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चरण सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और हस्पताल (अर्जन) और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provisions Bill

The Minister of Health and Family Planning (Shri Raj Narain) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition of the Lady Hardinge Medical College and Hospital and for the management of the Kalavati Saran Hospital, with a view to ensuring better facilities for higher medical education for women and medical facilities for women and children in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

“कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आयु-विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधाएं तथा महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल के अर्जन करने का

और कलावती शरण अस्पताल के प्रबंध का तथा उन से सम्बन्धित या उन के आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री राज नारायण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

नियम 377 के अधीन मामले

Matter under Rule 377

(एक) पूर्वी रेलवे पर मनिहारी घाट और संकरीगली घाट के बीच अपर्याप्त नौका सेवा

Shri Yuvraj (Katihar) : In our area railway is the only means of Communication. For the convenience of the passengers going from Katihar to Saheb ganj and Calcutta a ferry service is being operated twice a day for the last hundred years. But now this facility has been withdrawn and the service is being operated only once a day. This is causing great inconvenience to the passengers. I therefore, request the Railway Minister, to see that the facility which is there for the last hundred years is restored.

(दो) देश में नदियों के जल स्तर के बढ़ जाने के कारण फसलों और जनघन की हानि

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : Since the 15th July the water level in various rivers has been rising. Due to continuous rains during last four or five days water level has crossed the danger mark in some rivers. In Saharsa district of Bihar, life and property of the people are in danger as the Kosi river has entered their houses. They are not finding any place where they can take shelter.

This problem of floods is a recurring one and the annual damage caused is about Rs. 205 crores. Instead of taking action after the occurrence of floods what the Government should do is to prepare Master Plan for the whole country for flood Control. They should pay attention to the people who have been rendered homeless due to floods, especially in Saharsa, Darbhanga and Samastipur district of Bihar and take steps for their rehabilitation.

(तीन) भूतपूर्व प्रधानमंत्री के मकान के नक्शे

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : 25 जुलाई, 1977 को भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मकान के नक्शों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4638 का उत्तर देते हुए निर्माण और आवास मंत्री श्री सिकन्दर बख्त ने कहा था कि मकान के नक्शों की प्रतियां संसद् के ग्रंथालय में शीघ्र ही रख दी जायेंगी । ऐसी प्रक्रिया अनियमित है और हमारे नियमों के प्रतिकूल है । उन्हें पिछले सप्ताह ही एक प्रति सभापटल पर रख देनी चाहिए थी । इसकी लागत 8 लाख रुपये होगी ?

अध्यक्ष महोदय : पत्र ग्रंथालय के बजाय सभा-पटल पर रखे जाने चाहिए

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : निजी हरित पट्टी में, जहां यह भवन रहा है, अधिकतम क्षेत्र सीमा कितनी है ?

निर्माण, आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमान प्राप्त कर शीघ्र उसे सभा पटल पर रखने का प्रयत्न करूंगा ।

(चार) इण्डियन रैडक्रास सोसायटी द्वारा संकटग्रस्त लोगों में वितरण हेतु प्राप्त सहायता सामग्री को बिक्री से लगभग 50 लाख रुपए खर्चा किए जाने तथा अन्य वित्तीय सौदे

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हाबर्): इण्डियन रैडक्रास सोसायटी ने नई दिल्ली स्थित रैडक्रास रोड पर अत्यन्त आलीशान भवन का निर्माण कराने पर लगभग 50 लाख रुपया खर्च किया है। कुछ सरकारी अधिकारियों ने उन्हें यह सलाह दी थी कि इतना अधिक विस्तृत भवन नहीं बनाना चाहिए लेकिन उन्होंने इस सलाह की कोई परवाह नहीं की।

15-12-1976 तक 3,66,07,104.34 रुपये की कल निधि में से उन्होंने एक करोड़ रुपये की राशि दीर्घ कालीन सावधि जमा के रूप में एक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करा रखी थी। और यह शंका है कि उक्त सोसायटी के कुछ अधिकारियों ने आर्थिक लोलुपता अथवा अन्य कारणों से ऐसा किया था।

सोसायटी ने निविदाएं बुलाये बिना सरकारी ऋण के फार्म उसके प्रत्यक्ष मूल्य से कम मूल्य पर बेचे हैं।

इण्डियन रैडक्रास सोसायटी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सम्बद्ध है। अतः इसे ऐसी अनियमितताएं किए बिना काम करना चाहिए। सरकार को इस मामले को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिये, कि यह सुचारु रूप से कार्य सम्पादन करे, इसकी जांच करानी चाहिए।

(पांच) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगे मजदूरों सहित मजदूरों को 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी की मांग

श्री चित्त बसु (बरसाट): जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वचन दिया था कि वह बोनस संदाय अधिनियम, 1975 का निरसन करेगी और ऐसा संशोधन करेगी जिससे मजदूरों को यथाशीघ्र 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस का सांविधिक रूप से भुगतान किया जाये। चूंकि सरकार अभी तक ऐसा कोई विधान नहीं लाई है इसलिए देश के मजदूरों ने बड़े पैमाने पर आन्दोलन कर दिया है। यह प्रश्न कल मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठा था और प्रधान मंत्री ने यह कहा बताया जाता है कि सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोनस का मामला तुरन्त निपटारा जाये। केरल के मुख्य मंत्री ने भी यही कहा है कि जब तक बोनस का मामला तुरन्त हल नहीं किया जायेगा देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। अतः सरकार को बोनस के प्रश्न पर निर्णय करने हेतु ठोस प्रस्ताव लाना चाहिए तथा देश के मजदूर वर्ग को 8.33 प्रतिशत सांविधिक न्यूनतम बोनस की मांग पूरी करनी चाहिए और सभा में ही इसकी घोषणा करनी चाहिए।

लोकपाल विधेयक
LOKPAL BILL

गृह मंत्री(श्री चरण सिंह) : कार्य सूची के अनुसार आज मुझे लोकपाल विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करना था, परन्तु, सदस्यों की इच्छा का ध्यान रखते हुए, सरकार ने इसे संयुक्त समिति को सौंपने का निर्णय किया है। अतः आपकी अनुमति से मैं एक नियम के परन्तुक को निलम्बित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसकी पूर्व सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 74 के पहले परन्तुक को, जहां तक यह जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 74 के पहले परन्तुक को, जहां तक यह जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० ५० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० ५० पर पुनः सम्मेलित हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch five minutes past fourteen of the clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Speaker in the Chair)

लोकपाल विधेयक—जारी

Lokpal Bill Contd.

श्री चरण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि लोकपाल विधेयक, 1977 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 33 सदस्य हों, इस सभा से 22, अर्थात्

1. श्री श्याम नन्दन मिश्र
2. श्री मंगल देव

3. श्रीमती मृणाल गोरे
4. प्रो० आर० के० अमीन
5. श्री हरिविष्णु कामत
6. श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
7. श्री गौरी शंकर राय
8. प्रो० दिलीप चक्रवर्ती
9. श्री मधु लिमये
10. श्री राम जेठमलानी
11. श्री केवल लाल गुप्त
12. डा० बी० ए० सईद मोहम्मद
13. श्री सी० एम० स्टीफन
14. श्री बी० शंकरानन्द
15. श्री के० सूर्यनारायण
16. श्री एम० बी० कृष्णप्पा
17. श्री शशांक शेखर सान्याल
18. श्री चरण सिंह
19. श्री जगन्नाथ शर्मा
20. श्री आरिफ बेग
21. श्री सौगत राय
22. श्री नाथू राम मिर्धा

और राज्य सभा से 11

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणगूति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नामों की इस सभा को सूचना दे।"

Before making any other submission to this Hon. House and to you, I would like to say that two days have been allotted for discussing this Bill. But as the Bill is now being referred to the Joint Committee, the debate should be concluded today itself. At present I do not want to go into the details now but when the Bill will be returned by the Committee, the Hon. Members will have full opportunity to discuss it in detail and the House will have the pleasure to allot the required time for its discussion.

The Bill is small in size but according to the principle of homoeopathic medicine it is of vital importance for our entire life and country. My Hon. friend was saying that

Shri Raj Narain should exercise some influence. Doubtless to say that he is exercising influence.

I want to repeat that it is not an ordinary Bill. It is a very important Bill. Such legislation has importance in every country but the conditions of our country are such that it has assumed greater importance.

The Administrative Reforms Commission was probably appointed in 1964. Our Hon. Prime Minister was its Chairman. It submitted its report in 1966. A report to this effect had already been submitted by Shri Santhanam in 1964, that our public and administrative life has been polluted by corruption and in order to root out this cancer from our public life it is essential that an impartial Committee or Commission or institution, consisting of persons commanding respect from all, be constituted in our country. Reference has often been made about the institution of Ombudsman in Sweden and it was suggested that such institution should be set up in our country also. A Bill was presented in 1968 or 1969 as a result of the recommendations of the Administrative Reforms Commission. The Bill was passed in 1969 or 1970 by Lok Sabha and it was under consideration by Rajya Sabha. In the meantime Lok Sabha was dissolved and the bill lapsed. Thereafter in 1971 another Bill was introduced. Though it was introduced in the same form as the previous Bill passed by Lok Sabha earlier, no progress was made in this regard.

Now this bill has been introduced. Before commenting on its similarity or dissimilarity with the previous Bills, I would like to emphasise the importance of this Bill with the words that the country whose political and economic life has become corrupt cannot make any progress in any field. No progress is possible because corruption is such a thing which causes unimaginable harm. At present its scope is limited to financial corruption or misconduct only, but it has much wider consequences. It does not only mean that the person who takes money for his selfish motive in violation of the rules or the national interest is corrupt, but the man who does not discharge his duties honestly is corrupt, who does not fulfil his promise is corrupt and who tells a lie is corrupt. The sphere of the word corruption is so wide that it is very difficult to define it. If the head of a family or some other person of that family tells a lie, it does not mean that he alone is telling a lie but his action definitely results in having adverse effect on all the children of the family. Similarly if the Chief Minister of a State or unfortunately the Prime Minister of any country does not maintain high standards, it naturally lowers the standard of the entire country. So it is essential that political corruption must be rooted out, because it is the main cause of all ills.

You may pass any number of laws, impose taxes, amend the constitution and give speeches that people are not involved in the plans etc. etc. The country can not make any progress, so long as we are not honest and so long as the representatives of the people do not discharge their duty honestly and so long as they treat the political power as a means of earning money. I want to submit that no political power or political office be it Ministership or Chief Ministership or Prime Ministership or Membership of Parliament or State Legislature should be treated as an end. It is only a means to do more public service. But unfortunately the political power has been treated as an aim or as an end in itself. Whenever one becomes Chief Minister or Minister, there remains nothing for him to do except the only worry to keep himself in office by any means. Whatever has happened is just opposite to what should have happened. We have taken the means as end. It is a very simple thing and all of us may say in our meetings that corruption percolates from below. But the fact is that it percolates from above. The headman of the village influences the lives of people of his village and the Chairman of the Municipality influences the lives of people of his town. The character of these persons has good or bad effect on all the people. Whatever the case may be the character of a Chief Minister is discussed in every house and if he does good work, if he is not partial even to his relatives and if he is impartial to one and all, his fame spreads like good smell. People say that Chief Minister is impartial to one and all. He is not partial even to his sister's son. The stories of his impartiality and a honesty will spread from one village to another. I had once read that Mahatma Buddha had said that the smell of good deeds spread in all directions, even against winds. The good smell of strong character spreads in all directions. So whatever we may say, whatever we may write in our books, whatever we may teach in our school, whatever sermon we may deliver, it is all useless unless we have good character. We can not rise in the eyes of the world, unless we have strong character. I am giving you an example of those days when we were not independent, when we were slaves, when Mahatma Gandhi was alive.

Those were the days of Second World War. After the surrender of Italy in the War, the British troops were sent and they occupied Italy, Indian Troops were also sent there. When the Indian troops returned to India, some of them, who were known to me told me that they saw no house in any village or town in Italy where Mahatma Gandhi's photograph was not displayed. Why it was so ? It was so, because they drew inspiration from the photograph of that greatman. It was all the more creditable that the people of an independent country drew inspiration from the leader of a slave country. It was only because they knew that Mahatma Gandhi, though born in a slave country was a man of strong character and he had a new message for the world. When we were in jails, we used to see the dreams of independent India. We used to dream that India will become a great nation from economic and military point of view. But have we made the country great ? No doubt wrong policies are responsible for the present state of affairs, but the main obstacle which stood in the way of our country's progress is political corruption.

It is for this purpose that this Bill has been brought here. I would like to draw the attention of the House to 5 or 6 new features of the Bill, which were not there in the earlier Bill. The First is that the earlier Bill made no reference about the Prime Minister, the members of Parliament and the Chief Ministers. All of them are covered in the present Bill. The Prime Minister or other Ministers and the Chief Ministers of the States have not been excluded from the jurisdiction of this Bill. It had been our attempt in the past to exclude the Prime Minister from the Jurisdiction of the ordinary laws of the land. We forgot the principle of equality before law which is enshrined in our Constitution. There is no country in the world where the Prime Minister is above law. Unfortunately an attempt had been made in our country to put the Prime Minister above law by providing that no criminal or civil proceedings could be instituted against the Prime Minister. Though I believe in the maxim that leadership is produced by circumstances, we are all made of the same stuff and there must be some limit some where. I would like to know from my Hon. friend Dr. Karan Singh, Shri Hitendra Desai and other Hon. Members who were Members of Parliament at that time when that provision was made that no criminal or civil proceedings could be instituted against the Prime Minister, not only during his or her tenure of office but even thereafter so long as he or she is alive irrespective of the fact he or she remains the Prime Minister or not, under what principle of jurisprudence they voted in favour of that provision and made the Prime Minister above the Constitution? There are some countries where criminal proceedings cannot be launched against the President or the Governor during his tenure of office. But there is no provision anywhere in the world that criminal proceedings cannot be launched even after vacating the office or even civil proceedings cannot be launched. What was the principle behind this provision ? How can the country go ahead like this ?

Suppose the Prime Minister wins the election by dishonest or other means in that case a petition cannot be filed against him or her in the High Court and for that purpose a separate Board will be constituted. Why it was made so? I want to know it for the sake of guidance. I want to know why the Prime Minister was made above an ordinary citizen ? The principle of democracy is that every man is equal in the eyes of law.

But in our country the constitution was amended and the Prime Minister was made above law.

Mr. Speaker Sir, we are not prepared to give more rights to the Prime Minister than those enjoyed by all of us present in this House. In the eyes of the Constitution and law our Prime Minister will not only be equal to an Hon. Member of this Hon. House but he will be equal to any ordinary citizen of this country and nothing more. This is our principle and that is why we have brought him within the ambit of this Bill.

Similar is the position in regard to Members of Parliament. It was suggested to us that Members of Parliament had to do so many things, they had to tell the Minister so many things and therefore, they suggested, some line would have to be drawn somewhere. What they told the Minister, whether it was in the interest of the people or not, would not remain hidden from anybody. We have adopted British Jurisprudence, the basic principle of which is that no person should be punished simply on the basis of doubt. A guilty

person might go scot free, but no person would be punished so long as his guilt is not proved. Thus, there was hardly any case where an innocent person was punished. It may happen that 90 out of 100 guilty persons may go scot free, but no innocent person is punished by any law court and even if such a thing happens it has been provided here that the Lokpal will send his recommendations to the prescribed authority and that authority is the Prime Minister, who will place it before the Cabinet. Then it may be said or decided that there might have been same mistake, because after all Lokpal is also a human being and mistake might occur. This provision has been made but I would like to tell my friends sitting on both the sides of the House that even if one guilty Member of Parliament is punished out of lakhs of cases, it would be better than many guilty Members of Parliament escaping in thousands of cases. You know that today one Member of Parliament represents as many as 12 lakh people and whether we go to our constituency or not, we should not forget that our electorate keep an eye on us, though they might be illiterate. Now after the recent elections and after the 18 months of atrocities perpetrated by Shrimati Indira Gandhi our people have become more enlightened and in my opinion the people in the villages are much more informed about what is happening here today. They are aware of inner party politics, be it that of the Congress Party or the Janata Party.

Mr. Speaker, Sir, I have a very long administrative experience and can say on the basis of that experience that common men do not implicate anybody wrongfully. I am telling you about consolidation of holdings. Farmers used to complain to me that the consolidation of their land had not been done properly. On being asked whether the officer had taken bribe, they used to say that that was not so and that had happened only by mistake. They knew that if they said that bribe had been taken by my first act would have been to suspend the Assistant Consolidation Officer. So they did not tell a lie and said that that had happened by mistake only. They used to request that some officer may kindly be sent there to undo the mistake. What I mean to say is that the illiterate villager does not implicate any Government official unnecessarily, not to speak of a Member of Parliament. On the other hand he observes things at least for three months and then complains that that particular person is corrupt and enquiry may be conducted against him. So there need be no apprehension that an innocent person might be entangled in false cases. The facts are otherwise and in case you do some service to them, knowingly or unknowingly, they become your worshippers and leave no stone unturned in praising you. So if we are honest, we need not worry. I have said this about the Members of Parliament.

As regards the inclusion of Chief Ministers, it had been done so in consultation with our legal experts, Law Department and the Law Minister. They are of the opinion that Chief Ministers can also be included in the scope of this Bill. I do not want to go into the legal aspects but they have said that a code of conduct was framed in 1964 when Pt. Jawahar Lal Nehru was the Prime Minister and the Central Government was authorised to conduct enquiry against one Chief Minister. The Central Government was authorised to appoint a Commission of Enquiry against him. The enquiry against the Ministers in a particular state was to be conducted by the Chief Minister, but the enquiry against the Chief Minister could be conducted by the Government of India. Soon the basis of that principle and on the basis of the provisions of the Constitution the Law Minister had advised that Chief Minister could be brought within the purview of this Bill.

Another characteristic of this Bill is that Public servants have been excluded from the scope of this Bill and Public workers, Public bodies and Public men have been included in the purview of this Bill. Had we included the public servants, it would have resulted in too much confusion because in that case the jurisdiction of Lokpal would have to be made wider than that of High Courts. Moreover, there would be a very large number of cases. It is a very vast country and there are so many officers. So the public servants have been excluded from the purview of this Bill. There is already a Vigilance Commission to deal with the cases of misconduct of Public Servants. If necessary, it will be examined whether the present provisions have worked well and if need be a new Bill may be brought in the House. But in the present Bill, public servants have not been included. This is thus a new feature of the Bill.

Sir, another new feature of the Bill is that provision has also been made in this Bill for the appointment of special Lokpals, if there are any cases involving detailed investigation or in cases where Lokpal has no time to go into them. The status of the Lokpal or that of the special Lokpal will be that of a judge or the Chief Justice of the Supreme Court.

Another feature of the Bill is that the appointment of Lokpal will be made by the President in consultation with the Speaker, the Chairman of Rajya Sabha and the Chief Justice of India.

An Hon. Member: Will the appointment be unanimous or by majority ?

Shri Charan Singh: I understand that in this case the choice is unanimous and politics is not involved therein.

Shri Hitendra Desai (Godra): Will the Leader of the Opposition be consulted ?

Shri Charan Singh: The Hon. Speaker represents the Members of the opposition as well as the members belonging to the treasury benches. Therefore, the leader of the House has not been included. The Prime Minister had not been included and likewise the Leader of the opposition has also not been included. Since the Speaker and the Chairman represent all sections of the Members of Parliament, we have, therefore, not included the Leader of Opposition.

It has also been provided in the Bill that the prescribed authority will initiate action on the recommendations of Lokpal within a period of three months. If no action is taken within that period, the Lokpal has been empowered to bring it to the notice of the President that no action has been taken on his recommendations in regard to the Member, Chief Minister or the Prime Minister as the case might be. He may, if he so desires, ask for the report to be placed before both Houses of Parliament so that the competent authority, the Prime Minister or the Cabinet may be asked for reasons for the failure to take action in the matter.

Apart from this the most significant provision of this Bill, which was not in the earlier Bill, is that the investigating agency at the disposal of the Lokpal will be quite independent. He will not be dependent on C.B.I. or any District Magistrate or any other Government official for getting the matter investigated. All these persons are under the control of the Government. How can they make an inquiry against them ? So there will be an investigating agency which will be quite independent from the Government and answerable to Lokpal only. That agency will not be under the control and discipline of the Government. If some body wants to retire and something wrong is noticed against him, there will be rules in that regard and two or three sections have been provided in that regard. I do not want to go into the details of those at present. But the investigating agency will be quite independent and that will not be under the control and discipline of Government. Perhaps there was no provision in the earlier Bill about the time-limit regarding misconduct in regard to which a complaint could be lodged. According to the provision of this Bill a complaint can be lodged about the misconduct pertaining to last five years. Every body will be free to make a complaint direct to the Lokpal. A form will be prescribed for that purpose, and the complainant will have to give an affidavit and furnish a security of Rs. 1000 while lodging a complaint. This provision has been made to avoid totally frivolous complaints. I agree that Rs. 1000 is not a very big amount and anybody can give it against anybody but it will prevent the cases of frivolous complaints to some extent. This point can be considered further. What I was submitting was that one would be required to deposit an amount of Rs. 1000 at the time of lodging a complaint, but the main point is that a complaint can be lodged about the cases of omissions, bribery and abuses of power during the last five years. (*interruptions*)

Some Hon. Members: This provision might be made effective from 1952.

Shri Charan Singh : Mr. Speaker, Sir, I assure my Hon. friends that their interruptions have pleased me. Their sentiments are quite right. In view of the destruction that had been there in the country, there would be nothing wrong to extend that period upto the last 25 years. But it is not practicable, because it will be difficult to collect evidence etc. pertaining to such a distant past. I, therefore, feel that five-year period is enough.

Some Hon. Members : Make it 10 years.

Shri Charan Singh : If my hon. friend Shri Sathe agrees to it, I have no objection.

Shri Vasant Sathe : I agree even for making it 30 years.

Shri Charan Singh : I do not agree for thirty years, because it will be difficult to collect evidence. The bill is being referred to Select Committee and this matter can be discussed there in detail.

Mr. Speaker, Sir, with these words I conclude my submission and reiterate that I will consider whether the number should be increased or not. I also request you to regulate the debate in such a way that it is completed by 5.30 p.m.

Shri Hari Vishnu Kamath : Mr. Speaker, Sir, I seek a clarification. Will the Minister of Home Affairs be pleased to state whether the arrangement for the appointments of Lokayukts will be made by the Central Government or whether this work has been entrusted to State Governments ?

Shri Charan Singh: So far as the Central Government services, their discipline or control are concerned, I.A.S. and I.P.S. officers work under the State Governments and to a great extent disciplinary control is State's responsibility. Only when they indulge in some misdeed, commit mistake or crime or found responsible for dereliction of duty, which might result in their removal or dismissal from service, the permission of Government of India is required. Thus, they are under Central Governments control. The employees belonging to Provincial services are out of the jurisdiction of Central Government. If a separate Bill is deemed necessary for them that will be brought here but in case of State Services and Ministers it will be the right of the States to bring Lokayukt Bills.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि लोकपाल विधेयक, 1977 को दोनों सभाओं की संयुक्त समितिको सौंपा जाये जिसमें 33 सदस्य हों, इस सभा से 22 अर्थात्:—

1. श्री श्याम नन्दन मिश्र
2. श्री मंगल देव
3. श्रीमती मृणाल गोरे
4. प्रो० आर० के अमीन
5. श्री हरि विष्णु कामत
6. श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
7. श्री गौरी शंकर राय
8. प्रो० दिलीप चक्रवर्ती
9. श्री मधु लिमये
10. श्री राम जेठमलानी
11. श्री कंवर लाल गुप्त
12. डा० बी० ए० सईद मोहम्मद
13. श्री सी० एम० स्टीफन
14. श्री बी० शंकरानन्द
15. श्री के० सूर्यनारायण

16. श्री एम० बी० कृष्णप्पा
17. श्री शंशाक शेखर सान्याल
18. श्री चरण सिंह
19. श्री जगन्नाथ शर्मा
20. श्री अरीफ बेग
21. श्री सौगत राय
22. श्री नाथू राम मिर्घा

और राज्य सभा से 11:-

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नामों की इस सभा को सूचना दे ।”

श्री ओ० बी० अलगेसन (अर्कोनिम) : हम विपक्ष की ओर से इन विधेयक का स्वागत करते हैं और सराहना करते हैं कि प्रस्तावक ने सदन के सभी वर्गों को ध्यान में रखा है तथा विधेयक की संयुक्त समिति के पास भेजना उचित समझा है । यह कोई छोटा सा विधेयक नहीं है और इसमें 1971 के विधेयक के प्रावधान बहुत अधिक सीमातक बदल दिए गए हैं । अतः इसे संयुक्त समिति के सम्मुख भेजना ही चाहिए ।

विधेयक के प्रस्तावक ने पिछले विधेयक और इस वर्तमान विधेयक के उद्देश्यों को देखा है और उन पर ध्यान दिया है । जब कांग्रेस सरकार इस विधेयक को लाई थी तो इसमें केवल कांग्रेसी मंत्रियों को ही शामिल किया था संसद सदस्य शामिल नहीं किए गए थे । विपक्ष के सभी सदस्य केवल संसद सदस्य हैं । इसलिए इसपर दुराशय का आरोप नहीं लगाया जा सकता । इस बात में दो मत हैं हमें स्वते कि भ्रष्टाचार जन जीवन के सभी स्तरों से समाप्त किया जाना चाहिये । किन्तु खेद है कि हमारा स्तर अब बहुत गिर गया है । इस स्थिति को सही करने के लिए कोई भी कदम उठाना स्वागत योग्य है ।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक अपनी मूल संकल्पना से बहुत दूर चला गया है । उस समय लोगों का यह ख्याल था कि सामान्य नागरिक द्वारा ही कुप्रबन्ध, और गलत निर्णयों आदि के विरुद्ध शिकायतें दूर किए जाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए । इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । यह असन्तुलन है और सरकार को इसे शीघ्र ही ठीक करना चाहिए । आशा है ऐसी व्यवस्था करने के लिए शीघ्र ही विधेयक पेश किया जायेगा ।

जहां तक मुख्य मंत्रियों का संबंध है, ये प्रशासनिक सुधार आयोग अथवा इस विधेयक की परिधि या क्षेत्राधिकार में नहीं आते थे। मुख्य मंत्रियों को पहली बार इस विधेयक में शामिल किया गया है।

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि मुख्य मंत्रियों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाकर हम संविधान के संघीय सिद्धांतों का कहां तक उल्लंघन कर रहे हैं। इस बात में भी विरोधाभास है कि क्या सदन को मुख्य मंत्रियों की ओर से कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यदि मुख्य मंत्रियों को इस अधिनियम की परिधि के अधीन किया गया है तो राज्य मंत्रियों को इससे मुक्त क्यों रखा गया है? जो बात मुख्य मंत्रियों पर लागू होती है वही राज्य मंत्रियों पर भी होती है। अतः राज्य मंत्रियों को भी इस के क्षेत्राधिकार के अधीन किया जाये। संयुक्त समिति को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

फिर प्रधान मंत्री को इस उपबन्ध के अन्तर्गत शामिल किया गया है। यह कदम स्वागत योग्य है। लेकिन वर्तमान विधेयक में एक कमी है। सक्षम प्राधिकारी के संबंध में जब लोकपाल द्वारा प्रधान मंत्रों की उसी के विरुद्ध रिपोर्ट दी जाएगी तो वह उसे अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों के समक्ष रखेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह कहना सही नहीं है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों के मंत्रियों को इस उपबन्ध से परे रखा है।

श्री ओ० बी० अलगेसन : मैं कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल एक हाथ से जो देना चाहता है उसे दूसरे हाथ से वापिस लेना चाहता है। अतः इससे सुरक्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जब प्रधान मंत्री के विरुद्ध लोकपाल कोई रिपोर्ट देना चाहे तो लोक सभा अध्यक्ष को दे या सदन में ही प्रस्तुत करे। और मुख्य मंत्री के विरुद्ध रिपोर्ट राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को अथवा विधान सभा सदन में ही प्रस्तुत करे। संयुक्त समिति को इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

सचिवों एवं अन्य अधिकारियों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता क्योंकि भ्रष्टाचार इन्हीं से बढ़ता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन्हें भी इस उपबन्ध के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की थी। अतः संयुक्त समिति को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना आवश्यक नहीं है।

यदि संसद सदस्यों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाता है तो उनके काम में बाधा आयेगी। यह उपबन्ध सदन की प्रभुसत्ता और सदन के सदस्यों को प्राप्त सभी सुरक्षाओं को समाप्त कर देगा। संसद सदस्यों के कार्यों की जांच करने के बारे में एक उपबन्ध पहले ही है। इसलिए क्या उन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना आवश्यक है? श्री संध्याम ने भी यही कहा है। वह इस बारे में बहुत सतर्क है कि हमारे जनजीवन को खराब करने के लिए भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। संसद सदस्यों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाना चाहिए। अतः इस मामले को साधारण मामले के रूप में नहीं लिया जा सकता। आशा है संयुक्त समिति इस मामले में उचित निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विरोधी दल के नेता के साथ परामर्श करने का उपबन्ध क्यों नहीं रखा गया है। इसका भी कारण बताया गया है। इससे पहले के विधेयक में विरोधी दल के निर्वाचित नेता के साथ परामर्श करने का उपबन्ध किया गया था। लेकिन अब विरोधी दल के नेता का अधिकार पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है। विपक्ष के नेता

का कोई स्थानापन्न नहीं होता है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि लोकपाल की नियुक्ति के मामले में विरोधी दल के नेता से परामर्श करने का उपबन्ध किया जाना चाहिए। विपक्षी दल के नेता का यह अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

जहाँ तक लोकपाल की अर्हताओं का संबंध है, ये इसके खण्ड 5 में दी गई हैं। किन्तु इन्हें देखने से पता चलेगा कि ये सभी नकारात्मक अर्हताएं हैं। निश्चित अर्हताएं तो हैं ही नहीं।

खण्ड 26 शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है। लोकपाल को अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है। लेकिन खण्ड 14, 15 और 16 के अन्तर्गत वह अपने अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंप सकता है। यह अत्यन्त खतरनाक उपबन्ध है।

खण्ड 23(1) और (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति, अर्थात् केन्द्रीय सरकार संसद को बताये बिना ही लोकपाल को अतिरिक्त कृत्य सौंप सकता है। क्या राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार को लोकपाल की अतिरिक्त कृत्य सौंपने की शक्ति प्राप्त है? इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति लोकपाल से प्रत्यक्ष रूप से शिकायत भी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति साधारण नागरिक नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार इस प्रकार लोगों के खिलाफ शिकायतें करना चाहता है तो जांच आयोग भी स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि वह सीधे ही लोकपाल से शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए कहे। मानो वह साधारण व्यक्ति हो।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर): मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : On a point of Order. I have moved an amendment we should be allotted time to speak on this Bill.

प्रो० आर० के० अमीन : गृह मंत्री महोदय ने बताया है कि पहले विधेयक में कुछ परिवर्तन किए गए थे, इस वर्तमान विधेयक में भी दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अब इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में प्रधान मंत्री और संसद सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

1969-70 में इस विधेयक के संबंध में प्रकाशित संयुक्त समिति की रिपोर्ट तथा वर्तमान विधेयक में जो अन्तर है उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रधान मंत्री और संसद सदस्यों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जायेगा। यदि यह विधेयक 1970 में ही पास कर लिया जाता तो देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रवर समिति के सदस्य हैं। अतः आपको विधेयक पर इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए।

प्रो० आर० के० अमीन : आपात स्थिति के अनुभवों के कारण ही यह विधेयक लाया गया है। अब इसका क्रियान्वयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। हमारी कई अच्छी योजनाएं हैं लेकिन हम ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। प्रशासन सदैव अच्छी योजनाओं के मार्ग में बाधक बना है। उच्चाधिकारियों की अकुशलता और भ्रष्टाचार में कारण ऐसा हुआ है। प्रशासन इतना अधिक भ्रष्ट हो गया है कि हमारी सभी आर्थिक विकास योजनाओं से, इस तथ्य के बावजूद कि वह बहुत अच्छी योजनाएं हैं अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। अतः उच्चाधिकारियों के स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति आवश्यक की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कर दें। मैं आपका ध्यान इस ओर पहले ही दिला चुका हूँ कि आप संयुक्त समिति के सदस्य हैं।

प्रो० आर० के० अमीन : अतः इस विधेयक को पास करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के बीच किसी प्रकार का अन्तर या भेदभाव नहीं होगा और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकपाल का दृष्टिकोण सतर्कता आयोग अथवा अन्य सभी आयोगों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होना चाहिए।

Shri Jagdambi Prasad Yadav (Godda): Sir, the members of the Joint Committee will have opportunity to express their views in their meetings. Now other members should be given time to speak on this Bill.

Mr. Deputy Speaker: I shall not call those who are members of the Joint Committee.

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के दुर्यवहार के बारे में विचार करने का उपबन्ध है। यह ध्यान में रखना चाहिए सदन के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सदस्यों के दुर्यवहार के बारे में विचार करने नहीं जा रहे हैं। इस विधेयक में केवल ऐसा प्राधिकार दिया जा रहा है जिससे किसी सदस्य के दुर्यवहार के बारे में जांच की जा सकती है अतः आपका व्यवस्था का प्रश्न निर्मूल है।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दम-दम) : यह विधेयक पहले भी दो बार पुरःस्थापित किया गया था। एक बार चौथी लोक सभा में और फिर पांचवीं लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। दोनों ही अवसरों पर इस विधेयक को व्ययगत कर दिया गया। अब छठी लोक सभा के आरंभ में ही इसे फिर पुरःस्थापित किया गया है। हमें यह आशा है कि यह अब अधिनियम बन जायेगा। मुझे गर्व है कि संसद सदस्यों को भी सार्वजनिक व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत लाया गया है। यदि मंत्रियों को इसके अन्तर्गत लाया जाता और सदस्यों को इससे परे रखा जाता तो यह आलोचना की जा सकती थी कि सदस्य अपने दायित्व का पालन करने से कतरा रहे हैं। यदि अब किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनर्गल आलोचना की जाती है तो सदस्य लोकपाल अधिनियम का अवलम्ब ले सकते हैं। इससे देश के संसद सदस्यों की गरिमा बढ़ेगी।

कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भूत पूर्व सरकार ने इससे बेहतर विधेयक पेश किया था जिसमें मंत्रियों को उस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन संसद सदस्यों को जिस में विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे, विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि विरोधी पक्ष के विरुद्ध उन का रवैया ऐसा था तो वह विधेयक पास क्यों नहीं किया गया तथा अधिनियम क्यों नहीं बनाया गया। वह विधेयक चौथी लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया और फिर पांचवीं लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। परन्तु उसे पास क्यों नहीं किया गया।

श्री अलगेसन ने जोर देकर यह बात कही है कि कांग्रेसी मंत्रियों को उसमें शामिल करके वे इस दिशा में एक ठोस कदम उठाना चाहते थे। यदि इस बात में सच्चाई है, तो संविधान में अवांछित संशोधन करके प्रधान मंत्री को दिवानी और फौजदारी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया।

विधेयक पेश करने के लिए गृह मंत्री को बधाई देते हुए मैं सभा का ध्यान दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है और

मैं आशा करता हूँ कि संयुक्त समिति में उन बातों पर विचार किया जायेगा। पहली बात यह है कि धारा 2(छ) में दी गई जनसेवक की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें मंत्रियों, संसद सदस्यों, संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं के सदस्यों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। मैं महसूस करता हूँ कि राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों को भी इस परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए और जनसेवक की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए।

इस बारे में दो आपत्तियाँ हो सकती हैं। पहली यह कि यह राज्य का विषय है तथा केन्द्र क्यों हस्तक्षेप करे? मुख्य मंत्रियों को शामिल किये जाने से इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है कि राज्यों का विषय नहीं है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि लोकपाल के पास बहुत अधिक काम हो जायेगा। धारा 8 में कहा गया है कि यदि आवश्यकता हो तो विशेष लोकपालों की नियुक्ति की जा सकती है। अतः यदि यह समझा जाये कि काम अधिक है, तो विशेष लोकपालों की नियुक्ति की जा सकती है। विधेयक में इस की व्यवस्था है।

गृह मंत्री ने आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों के उदाहरण दिये हैं। हमें ज्ञात है कि पिछली सरकार के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में किस प्रकार द्वेषपूर्ण कार्यवाही की गई। मुख्य मंत्री के कहने पर किस प्रकार मंत्रियों के विरुद्ध फाँड़ें बनाई जाती थीं। अतः द्वेषपूर्ण कार्यवाही तथा परेशान किये जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट उपबन्ध होने चाहिए और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि सारी कार्यवाही द्वेषपूर्ण थी तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने यह द्वेषपूर्ण कार्यवाही की, कार्यवाही करने के संबंध में कुछ उपबन्ध होने चाहिए। 1000 रुपये का मुआवजा इस उद्देश्य के लिए कम है। जो लोग द्वेषपूर्ण कार्यवाही करते हैं, उनसे भारी जुर्माना लिया जाना चाहिए।

यह एक अद्वितीय विधेयक है और जब यह पास हो जायेगा तो सारे विश्व के लिए एक अद्वितीय कानून होगा और हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारे देश ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक निश्चित कदम उठाया है।

Shri Vasant Sathe (Akola) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while congratulating the hon. Home Minister for bringing this commendable bill, I would like to comment on the statement of the Home Minister to the effect that not only economic offence is corruption, but telling a lie is also corruption. So far as telling a lie is concerned, I am, referring to Lok Sabha Debate, 1968. It is evident therefrom that in order to save his son the then Deputy Prime Minister misled the House.

The statement regarding the misleading of the House was made by Shri Madhu Limaye speaking on a censure motion againsts the then Deputy Prime Minister, Shri Morarji Desai.

श्री आर० मोहनरंगम (चेंगलपटूर) : हम एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि आप अंग्रेजी में बोलिए।

श्री बसन्त साठे : मुझे आप की बात मंजूर है।

इस विधेयक का उद्देश्य उच्चाधिकारियों और शीर्षस्थ स्थानों पर भ्रष्टाचार को रोकना है। यह स्वीडन के 'अम्बुड्समैन' अथवा ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के 'संसदीय आयुक्त' के समान है। विधेयक के अनुसार 'दुराचरण' शब्द की व्याख्या इतनी व्यापक है कि उसके अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति के काम ही नहीं बरन् उनके सहयोगियों के कार्य भी आ जाते हैं। एक व्यक्ति अपने सहयोगियों की गतिविधियों पर किस प्रकार निगाह रख सकता है।

जहां तक संसद् सदस्यों के क्षेत्राधिकार में लेने का प्रश्न है, हम दिये गये अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं । एक संसद् सदस्य को कौन से कार्यकारी अधिकार प्राप्त हैं ? उन्हें मात्र किसी की शिकायत मंतीसे करने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है। इसलिये संसद् सदस्यों को इस विधेयक में नहीं रखा जाना चाहिये । यदि कोई संसद् सदस्य संसद् के आचार का उल्लंघन करता है, तो उसे संसद् द्वारा दण्ड दिया जा सकता है और यदि वह कोई जुर्म करता है, तो उसे कानून के अनुसार सजा मिल सकती है ।

यदि मुख्य मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो विधान सभा सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये । फिर नगर पालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों को क्यों शामिल न किया जाये ? इस प्रकार तो कोई अन्त ही नहीं । स्थिति हास्यास्पद हो जायेगी । अतः मेरा अनुरोध है कि संसद् सदस्यों को शामिल न किया जाये ।

धारा 26 शक्तियों के प्रत्योजन से सम्बन्धित है । इस धारा के अनुसार लोकपाल को अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने की व्यवस्था है । यह व्यवस्था सही नहीं है । इससे अधिकारों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा । यह व्यवस्थानहीं होनी चाहिये । इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ।

Shri S.S. Das (Sitamarhi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Home Minister deserves our congratulation for bringing forward this commendable Bill. The definition of misconduct as has been included in this Bill is very pertinent and exhaustive.

My hon. friend Shri Vasant Sathe had referred to the speech made by Shri Madhu Limaye in the House in 1968. He made a reference to that speech, because that pertained to a motion against Shri Morarji Desai. In this context may I remind him that many things appeared in the Press against Shri Mathai, who was Private Secretary to the First Prime Minister of India, Shri Jawahar Lal Nehru. May I make a reference to the remarks made by Shri Durga Das in his book "Curzon to Nehru" in which he had said that Nehru wanted to establish a dynastic regime in the country. I am recounting these things only to stress that the Bill is laudable. Its objects are laudable. It has been moved with the same spirit in which my hon. friend Shri Kamath has moved his resolution that there should be some machinery to establish the values for which Lokmanaya Tilak, Mahatma Gandhi and Netaji suffered and sacrificed, lived and died and for which Loknayak Jaya Prakash Narayan called the nation to battle.

The bill deserves our wholehearted support.

Our experience of the last 30 years amply proves that socialism which is purely based on secularism, democracy and equality cannot be sustained for long. Socialism to be effective and permanent requires moral and spiritual values also and that is why my hon. friend Shri Kamath made a reference to spiritual and moral values. The bill gives ample importance to spiritual and moral values and the hon. Home Minister deserves our congratulations for giving a vivid description thereof. The hon. Members belonging to the Congress have no moral right in teaching his morality because it is now known to everybody that corruption was at its worst during its regime.

Before preaching, one should have a look at one's own past conduct. During the last one year, democracy was murdered and we all witnessed it as silent spectators.

The process of political polarisation has been set in motion in the country. We should now give up preaching. It is an admitted fact that the history does not forgive anybody. If this Lokpal Bill is not brought on the statute book expeditiously and the political corruption is not rooted out completely history will not forgive this House and the economic development of the country will not be possible.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए Shri Dhirendra Basu in the Chair]

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): सिद्धांततः हम इस विधान का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। परन्तु विधेयक के कुछ पहलुओं के बारे में हमें आपत्ति है। यह देश और देश के लोग सत्ता के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निराकरण के लिये एक तन्त्र की खोज में हैं। इस विधेयक के बारे में देश में समय-समय पर लोगों की अलग-अलग सम्मति रही है।

हमें प्रसन्नता है कि जनता पार्टी द्वारा सरकार सम्भालने के कुछ महीने में ही यह क्रियक लाया गया है। आशा है यह विधेयक अन्ततः कानून का रूप लेगा।

हम देश में पिछले 30 वर्ष से ऐसे सरकारी ढांचे को देखते आये हैं जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक चलन हो गया है। अनेकों वर्षों तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, दलीय, व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के लिये राजनीतिक भ्रष्टाचार को सहन किया गया। भ्रष्टाचार समाज के महत्वपूर्ण अंगों को खा गया है। हमारा कटु अनुभव है कि हाल ही में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, तथा राजनीतिक संरक्षण के द्वारा तानाशाही किस प्रकार अपने शिखर पर थी। इसलिये हम इस विधेयक के पीछे जो सिद्धांत है उसका दृढ़ समर्थन करते हैं क्योंकि यह इस भयंकर समस्या को हल करने के लिये लाया गया है।

हमारा यह दृढ़ विचार है कि इस देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिये कुछ कठोर कदम उठाने ही होंगे। लोकपाल उनमें से एक है। लोकपाल की गतिविधियों तथा निर्णयों से देश में आचरण सम्बन्धी एक ऐसा मानक निश्चित हो कि न केवल उन लोगों को ही दण्डित किया जाये जिन्होंने अतीत में कदाचार किये हैं वरन् भविष्य में भी लोग ऐसा कदाचार करने का माहस न करें। लोकपाल आम्बड्समैन की सूची उपलब्धि यही है। इसीलिये हम चाहते हैं कि इस पद पर ऐसा व्यक्ति हो जिसकी ओर कोई उंगली न उठाई जा सके और जो चरित्रवान और निष्पक्ष हो।

हमारी चाहे कितनी सद्‌इच्छाएं हों, सरकार और लोकपाल, इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते। सरकार को देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने के लिये इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। इसके लिये देश में समाज का नैतिकता का और आर्थिक हितों का पुनर्निर्माण करना होगा।

हमने देश में बड़े व्यापारियों के गठबन्धन, काले धन की वृद्धि, प्रलोभनों और निहित स्वार्थों के हाथ में खेलना, कम्पनी द्वारा चन्दों का दिया जाना और व्यक्तिगत हितों आदि का बोलबाला देखा है। जब तक राजनीति निहित स्वार्थों और आर्थिक सत्ता के गठबन्धन से मुक्त नहीं होती तब तक हम देश में भ्रष्टाचार की समस्या को हल नहीं कर सकते।

हमारा यह अनुभव है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। जबतक सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता तब तक हम निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह किसी अन्य प्रकार से आचरण करे। जब तक देश में समाज के विभिन्न ढांचों का पुनर्गठन नहीं किया जाता, जब तक बड़े पूंजीपतियों से आर्थिक गठबन्धन समाप्त नहीं होता तब तक हम इस देश से इस बुराई को समाप्त नहीं कर सकते।

हम प्रधान मंत्री को विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल किये जाने का स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि गत 10 वर्षों में इस देश में एक ही व्यक्ति का दबदबा रहा है और इसीलिये 1971 के क्रियक में प्रधान मंत्री को विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा गया। यह प्रसन्नता की बात है कि जान-बूझ कर की गई उस भूल को सुधारा जा रहा है। मुख्य मंत्रियों के संबंध में हमने अपना संशोधन रखा है। वह संशोधन इस दृष्टि से नहीं रखा गया है कि हम किसी मुख्य मंत्री को बचाना

चाहते हैं वरन् देश की संघीय प्रणाली के आधार पर रखा है । हमारा कहना है कि इस विधेयक में मुख्य मंत्रियों के आचरण की जांच का उपबन्ध किया जाये, परन्तु मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच किसी दूसरी संस्था द्वारा की जाये तथा उस व्यक्ति का चुनाव भिन्न ढंग से किया जाये अर्थात् उसका चुनाव राज्य की सत्ता, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति तथा विपक्षी गुट द्वारा किया जाये ।

इस पद के लिये चुनाव में इस संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि वह ऐसा व्यक्ति हो जो किसी भी दल से असम्बद्ध और स्वतन्त्र हो और जिस पर देश के अधिकांश लोगों का विश्वास हो । सरकार ऐसा उपबन्ध करने का प्रयत्न करे जिसके अन्तर्गत परामर्श पर कोई प्रतिबन्ध न हो । सरकार सदन के सभी गुटों और दलों से परामर्श करे । इससे व्यक्ति के चुनाव में उनके सम्बद्ध होने की भावना पैदा होगी तथा लोकपाल के प्रति अधिक विश्वास पैदा होगा । कुछ ऐसे सामान्य कार्य होते हैं जो संसद् सदस्य और विधान सभा के सदस्यों को करने होते हैं । परन्तु उन्हें कोई कार्यकारी सत्ता अथवा अधिकार प्राप्त नहीं है । उन्हें विधेयक के क्षेत्राधिकार में न रखा जाये । इसमें हमारा दृष्टिकोण भ्रष्ट आचरण के दोषी संसद् सदस्यों को बचाना नहीं है ।

विधेयक में 5 वर्ष की अवधि का उल्लेख किया गया है । 5 वर्ष के बजाय हमने 7 वर्ष की सिफारिश की है । पिछले कुछ वर्षों में जो अनुभव हमें हुए हैं उनके आधार पर तो यह समय 11 से 12 वर्ष तक होना चाहिये । 1966 के बाद सभी राजनीतिक सिद्धांतों को बाराए तक रख दिया गया, पहले धीरे-धीरे और अब बहुत तेजी से सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बदल दी गई । परन्तु कुछ समय सीमा रखनी ही होगी । परन्तु वह अवधि उचित होनी चाहिये । हमने 7 वर्ष का सुझाव इसलिये दिया है कि पिछले पांच या छः वर्षों में जनता को भयंकर अनुभव हुए हैं और इसलिये इसके लिये 7 वर्ष की अवधि न्यायोचित है । यह सदैव चर्चा का विषय बना रहेगा । संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी ।

दुराचरण की परिभाषा पर भी विचार किया जाना चाहिये । आशा है संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी ।

यह व्यवस्था की गई है कि 1000 रु० के बिना कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती । बहुत बड़ी संख्या में लोग शिकायत करने के इच्छुक हो सकते हैं । प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार के पीड़ित लोग अमीर नहीं होंगे । यदि रु० 1000 का भुगतान करने का आग्रह किया गया अथवा शिकायत दर्ज करने से पहले लोकपाल से इस से छूट देने की अनुमति मांगी गई तो इससे प्रक्रिया में विलम्ब होगा । जब तक लोकपाल शिकायत के गुण दोषों में जाये, इस बीच वह यह बता दे कि क्या जमा राशि का देना आवश्यक है ।

हमारा विश्वास है और हम आशा करते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति से देश के राजनीति जीवन पर अच्छा असर ही नहीं पड़ेगा बल्कि इससे प्रशासन, राजनीति और समाज में स्वच्छता आयेगी ।

श्री के० लक्ष्मण (नुम्फुर): सरकार ने दावा किया है कि लोकपाल विधेयक से राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान हो सकेगा । लेकिन मुझे इसमें सन्देह है और मेरे विचार से हम केवल विधेयक पेश करके सरकारी प्रशासन को स्वच्छ नहीं बना सकते ।

पहले कांग्रेस सरकार दल-बदल विरोधी विधेयक लाई थी । हम चाहते थे कि यह विधेयक पास हो जाये । इस विधेयक पर काफी विचार विमर्श हुआ । लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो सका । हम कांग्रेस वाले इस बारे में बहुत गम्भीर हैं कि इस विधेयक पर सदन में चर्चा हो । मुझे आशा थी कि यह सरकार पूरी गम्भीरता से दल-बदल विरोधी विधेयक पास करेगी लेकिन यह सरकार प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से दल-बदल करवा रही है। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अतः सरकार को ऐसा विधेयक पेश करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सभी अपराधी हैं। वे विधान को कैसे लागू कर सकते हैं जब वे स्वयं अपराधी हैं। आप जनता पार्टी में खाली स्थानों को भरने के लिये पिछले दरवाजे से लोगों को लाये हैं। अतः आप दल-बदल विरोधी विधेयक पेश करने में तब तक विश्वास नहीं रखते जब तक यह प्रक्रिया पूरी न हो जाये। यह सरकार भ्रष्ट तरीकों और कदाचारों के माध्यम से बनी है। अतः यह सरकार ऐसा विधेयक कैसे ला सकती है या लागू कर सकती है? ऊँचे पदों पर आसीन सभी व्यक्ति भ्रष्ट हैं परन्तु इस सरकार द्वारा आरोप तुरन्त वापस ले लिये गये हैं। यदि विधेयक को निष्ठापूर्वक लागू किया जाये तो श्री चरण सिंह इसके पहले शिकार होंगे। सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि राजनीतिक तंत्र भ्रष्ट न हो। उसके बाद ऐसे राजनीतिक संगठन में लोगों की नियुक्ति करें। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को इस संगठन में नियुक्त न किया जाये। लोकतन्त्र में सहयोग और सूझबूझ होनी चाहिये। अतः इस संगठन में बहुत ही अच्छे व्यक्तियों को लिया जाना चाहिये चाहे वे विरोधी पक्ष के हों या मत्तारूढ़ दल के हों।

आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं। जब तक देश में सामान्य आर्थिक समृद्धता न हो तब तक हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। भूमि सुधार के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। इनका समाजावाद में कोई विश्वास नहीं। उधर ये सामन्तवाद को पोसाहन दे रहे हैं जोकि भ्रष्टाचार को जन्म देता है।

इस विधेयक में मंत्रियों इत्यादि सरकारी व्यक्तियों को तो शामिल किया गया है लेकिन नौकरशाही को छोड़ दिया गया है। इस पर काबू पाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस पहलू पर भी विचार किया जाये।

विधेयक में कई दोष हैं। इन दोषों को दूर किया जाये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सदन के सभी वर्गों को विश्वास में लिया जाये और एक सामूहिक विचार बनाया जाये और विधेयक में अपेक्षित परिवर्तन किये जायें। सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह विधेयक पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मानता हूँ कि विरोधी पक्ष के सदस्य को कुछ भी बोलने का पूरा अधिकार है। परन्तु उनका भाषण विधेयक पर होना चाहिये, उनकी भाषा संसद् की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिये। मैं दो बातों पर आपका निर्णय चाहता हूँ:—

क्या पीठासीन अधिकारी की यह ड्यूटी नहीं है कि वह यह देखे कि इस सदन में वादविवाद घटिया किस्म का न हो, सभी भाषण विषयवस्तु से सम्बन्धित हों और उनकी भाषा बढ़िया हो?

सभापति महोदय : आप ठीक कहते हैं। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के लिये हिदायत दे दी है।

Shri R.L.P. Verma (Kodarma) : The Lokpal Bill presented by the Home Minister observes all support because it is a commendable step in the direction of eliminating corruption from public life. Corruption has been so widely rampant in political life that people are deprived of their constitutional rights and this Bill will go a long way in restoring them to the people.

With the inclusion of Prime Minister and other Ministers within the scope of this Bill, this piece of legislation will prove an effective step towards the abolition of immorality in our public life.

Castism or provincialism or regionalism should find no place in the implementation of this Bill. This Lokpal Bill should create a sense of fear among those who resort to regionalism.

The provision regarding the security of Rs. 1000 for making a complaint is quite good but the amount should be raised to Rs. 5000, so that baseless allegations of mis-conduct should not be levelled against honest and conscientious workers.

The Janata Government's policy in bringing forward this Bill is directed to achieving the maximum welfare of the maximum number of people and this Bill will contribute a lot to achieve this object.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : Mr. Chairman, Sir, my request is that the time may be extended by 10 minutes, because it is already half past five. I propose that the time may be extended by 10 minutes. I will take 8 or 9 minutes.

सभ्यति महोदय: सभा का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है ।

Shri Charan Singh : Mr. Chairman, Sir, at the time of moving the motion for referring this Bill to the Joint/Select Committee, I had made the submission that the debate on the Bill should be limited to one day instead of two days. Two days were allotted for its consideration and passing. In this way the House has got one additional day for its discussion, because I have moved the resolution for referring it to a Joint/Select Committee. As I have already said, I agree that the Bill is of great significance, but there should be some time limit for its discussion. The Bill is being referred to the Select Committee and it will again come before the House. The Hon. Members can express their views at that time. No doubt the Bill is an important one. I think no purpose will be served if Members express their views at this stage? The House has agreed to accept my proposals for extending the time by 8 or 10 minutes. I do not want to take more time. I do not know about the view of my Hon. friend Shri Lakappa, but most of the Hon. Members who participated in the debate have welcomed my suggestions (*Interruption*).....

I am not yielding my Hon. friend Shri Lakappa has said "That Charan Singh is going". Is that the civilized languages. There can be no frank discussion if such language is used. It rather lowers the prestige of the House.

If there are any charges against me or against the Prime Minister, we can not give any proof of our honesty than bringing the Lokpal Bill ourselves and those charges can be brought before him.

It is against the rule of the House to levy charges against a person who is not a member of the House.

श्री एम० एन० गोविन्दननायर: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या गृह मंत्री हमारे में से कुछ सदस्यों को बिना बोले ही वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं ?

Shri Charan Singh : There is no point of order in it.

श्री एम० सत्यनारायण राव: मुझे श्रीगोविन्दन नायर द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कुछ कहना है । यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है । अतः सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये । वजाय ऐसा करने के आपने जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है ।

Shri Charan Singh : There is no point of order.

श्री सी० एम० स्टीफन: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है कि क्या वाद-विवाद का समय 10 मिनट बढ़ाये जाने के लिये सभा सहमत है । सभा सहमत हो गई और आपने इस संबंध में घोषणा भी की । आप पहले इस मसले को हल करें । गृह मंत्री अब उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री चरण सिंह : मैं पहले ही प्रस्ताव पेश कर चुका हूँ कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाये और अब मैं वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हूँ । अतः व्यवस्था के प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता । अब मैं वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हूँ ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय चाहता हूँ । कहा गया था कि पर्याप्त समय दिया जायेगा । गृह मंत्री के कहने पर 10 मिनट का समय बढ़ाया गया । उसके बाद उन्हें उत्तर देना था । यह प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया और सभा 10 मिनट का समय बढ़ाने के लिये सहमत हो गई । ऐसा होने के बाद गृह मंत्री तभी अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं जब वाद-विवाद 10 मिनट तक और चले । माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये 10 मिनट का और समय मिलना चाहिये ।

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : At 5.30 P.M. the Home Minister moved that time be extended by 10 minutes. Originally the House was to adjourn at 5.30 P.M. The Home Minister had asked for extension of time by 10 minutes for his reply and not that the Members of the Opposition be allowed to speak.

Shri Ebrahim Sulaiman Sait (Manjeri) : It is not correct. You had said that AIDMK and C.P.I. Members would be allowed to speak during these 10 minutes.

श्री एम०एन० गोविन्दन नायर : मैं बोलना नहीं चाहता ।

उसके बाद एम०एन० गोविन्दन नायर सदन छोड़ कर चले गये ।

(Shri M.N. Govindan Nair then left the House)

सभापति महोदय : 10 मिनट का समय इसलिए बढ़ाया गया ताकि गृह मंत्री उत्तर दे सकें ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 10 मिनट का समय वाद-विवाद के लिये बढ़ाया गया था न कि गृह मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये । गृह मंत्री को 5.30 बजे उत्तर देना था और उन्होंने 5.30 बजे अपना उत्तर देना शुरू कर दिया । समय बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Chandra Shekhar Singh (Varanasi) : I submit that the sitting of the House be extended until the Home Minister completes his reply.

Shri Ebrahim Sulaiman Sait : I would appeal to the Home Minister that it was said A.I.A.D.M.K. and C.P.I. Members will be allowed to speak for ten minutes and after that he will reply to the debate. So, Members of these parties may be given opportunity to speak.

Shri Charan Singh : You had asked me at what time I would make a reply and I told you that I shall speak at 5.20 P.M. for ten minutes. (Interruption) -

Shri M. Satyanarayan Rao : I rise on a Point of Order (Interruption).

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री महोदय ने कहा था कि वह 5.30 पर बोलेंगे (व्यवधान)

श्री बयालार रवि (चिरायिकील) : दूसरों को भी समय मिलना चाहिये ।

Shri Charan Singh : Earlier I had mentioned the names of 33 members but the opposition took a plea that A.I.D.M.K. and C.P.I. has not been given representation. Therefore, a joint Committee will now consist of following 45 members :—

1. Shri R.K. Amin
2. Shri Arif Beg
3. Shri Dilip Chakravarty
4. Shrimati Mrinal Gore
5. Shri R.D. Gattani
6. Shri Kanwar Lal Gupta
7. Shri Ram Jethmalani
8. Shri Hari Vishnu Kamath
9. Shri M.V. Krishnappa
10. Shri Krishan Kant
11. Shri M. Kalyanasundaram
12. Shri B.C. Kamble
13. Shri Madhu Limaye
14. Shri Shyamnandan Mishra
15. Shri Nathu Ram Mirdha
16. Dr. V. A. Seyid Muhammad
17. Shri Narendra P. Nathwani
18. Shri Balasaheb Vikhe Patil
19. Shri Chand Ram
20. Shri Saugata Roy
21. Shri Gauri Shankar Ra.
22. Shri C.M. Stephen
23. Shri B. Shankaranand
24. Shri K. Suryanarayana
25. Shri Sasankasekhar Sanyal
26. Shri Jagannath Sharma
27. Shri Somnath Chatterjee
28. Shri S.D. Somasundaram

29. Shri Mangal Deo
30. Shri Charan Singh
and 15 from Rajya Sabha;

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

‘कि लोकपाल विधेयक, 1977 को दोनों सभाओं की 45 सदस्य हों, इस सभा से 30, अर्थात:—

1. श्री आर० के० अमीन
2. श्री अरीफ बेग
3. श्री दिलीप चक्रवर्ती
4. श्रीमती मृणाल गोरे
5. श्री आर० डी० गट्टानी
6. श्री कंवर लाल गुप्त
7. श्री राम जैठमलानी
8. श्री हरि विष्णु कामत
9. श्री एम० बी० कृष्णप्पा
10. श्री कृष्ण कान्त
11. श्री एफ० कल्याणसुन्दरम्
12. श्री बी० सी० काम्बले
13. श्री मधु लिमये
14. श्री श्यामनन्दन मिश्र
15. श्री नाथू राम मिर्धा
16. डा० बी० ए० सईदमोहम्मद
17. श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
18. श्री बालासाहेब विखे पाटिल
19. श्री चांद राम

युक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें

20. श्री सौगत राय
21. श्री गौरी शंकर राय
22. श्री सी० एम० स्टीफन
23. श्री बी० शंकरानन्द
24. श्री के० सूर्यनारायण
25. श्री शशंक शेखर सान्याल
26. श्री जगन्नाथ शर्मा
27. श्री सोम नाथ चटर्जी
28. श्री एस० डी० सीमसुन्दरम्
29. श्री मंगल देव
30. श्री चरण सिंह

और राज्य सभा से 15:--

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नामों की इस सभा को सूचना दे ।”

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21व तथा 22वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND
REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : So long as the Caste system remains prevalent, the Conditions of Harijans and Adivasis can not be improved. If the Government

is really sincere towards the betterment of these castes they should abolish this caste system. The atrocities being let loose on Harijans and Adivasis cannot be avoided by use of force. The only remedy is to abolish Caste system. The need of the hour is to bring social revolution.

सभापति महोदय: श्री यादव कल अपना भाषण जारी रखेंगे। सभा अब स्थगित होती है।

इसके बाद लोकसभा मंगलवार, 2 अगस्त, 1977/11 श्रावण, 1899 (शक) के 11 बजे
म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, August 2, 1977/
Sravana 11, 1899 (Saka)